पंचम माला, खंड 5, अंक 36 सोमवार, 12 जुलाई 1971/21 आषाढ़, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. V, No. 36 Monday, July 12, 1971/Asadha 21, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 64592
Date 19.1.72

Conservation Unit
12-8-92
Fumigated
08.2.84
Parliament Library

[खण्ड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हि
में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is Translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and conte Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक सभा वाद विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित

संस्करण

पंचम माला

खण्ड: 5

अंक: 36-40

12-16 जुलाई

1971

P.L.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—36, सोमवार, 12 जुलाई, 1971/21 आषाढ़, 1893 (शक)

No.—36, Monday, July 12, 1971/Asadha 21, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1051. अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन की बैठक	Meeting of Afro-Asian Solidarity Organisation	1—4
1053. भारतीय उर्वरक निगम के लाभ में कमी	Decline in Profits of Fertilizer Corporation of India	5—6
1054. टिंक्चर का निर्माण तथा उसका दुरुपयोग	Manufacture and Misuse of Tinctures	6—8
1056. तेल की खोज के क्षेत्र में अमरीकी परामर्शदायी सेवायें	U.S. Consultancy Services in the Field of Oil Exploration	8—9
1059. विभिन्न नगरों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की इमारतों का निर्माण	Construction of Central Government Office Buildings in various Cities	9—11
1061. दिल्ली में नेत्र रोग (आंखों की भीतरी झिल्ली फूलने की बीमारी) का महामारी के रूप में फैलना	Out-Break of Conjunctivities Epidemic in Delhi	11—13
1062. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी अस्पतालों की स्थापना के लिये डाक्टरों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Doctors for Setting up of Co-operative Hospitals in Rural Areas	13—14

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1063.	बैरल खरीद के बारे में भारतीय तेल निगम और पेट्रोलियम मन्त्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against Officials of I.O.C. and Petroleum Ministry in Barrel Deal	14—17
1064.	सेना अध्यक्ष द्वारा सैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की मांग	Demand for Increase in Salaries and Allowances for Army Personnel by Chief of the Army Staff	17—19
1065.	रक्षा प्रतिष्ठानों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार	Extension of C.G.H.S. Scheme to Defence Establishments	19—20
1067.	नगरीय एवं ग्रामीण आवास समस्याओं का हल करने के लिये सुझाव	Suggestions to tackle Problems of Urban and Rural Housing	21—24
1070.	पश्चिमी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने	Oil Refineries in Western Region	24—25
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1052.	एक पृथक कम्पनी के जरिये अशोधित तेल की खरीद और आयात	Purchase and Import of Crude Oil through a separate Company	25—26
1055.	हल्दिया उर्वरक परियोजना	Haldia Fertilizer Project	26
1057.	भारत में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक को सहायता	World Banks Assistance for India's Fertilizer Expension Programme	26—27
1058.	अन्य देशों के क्षेत्र के ऊपर से विमानों की उड़ान के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का क्षेत्राधिकार।	Jurisdiction of International Civil Aviation Organisation Re., Overflights Issue	27
1060.	पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नये स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid for New Health Centres in Rural Areas of West Bengal	27—28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1066.	एलैप्पो मेडिकल कालेज, केरल में बाल चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा वार्ड खोलने के लिये रूस से सहायता	Aid from Soviet Union for Starting Paediatric and Physiotherapy wards in Alleppy Medical College, Kerala	28
1068.	पाक-अधिकृत जम्मू और काश्मीर के क्षेत्र के लोगों द्वारा बंगला देश के समर्थन में आन्दोलन	Agitations in Support of Bangla Desh by People of Jammu and Kashmir Occupied Area by Pakistan	28—29
1071	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के लिये आवश्यक वस्तुओं को खरीद का काम करने वाली एजेंसी	Agency Entrusted with the Task of Purchasing Requirements of All India Institute of Medical Science, New Delhi	29
1072.	पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में उर्वरक उद्योग समूह	Fertilizer Complex in North Area of West Bengal	29—30
1073.	औषध निर्माता फर्मों द्वारा लाभांश को अपने-अपने देशों को भेजना	Repatriation of Dividents by Pharmaceutical Firms	30
1074.	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित एकक को हानि	Loss of Trombay Unit of Fertiliser Corporation of India	31
1075.	संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त द्वारा बंगला देश की स्थिति के बारे में दिया गया वक्तव्य	Statement made by U.N. High Commissioner for Refugees regarding situation in Bangla Desh	31—32
1076.	भारतीय नौसेना पोत का डूब जाना	Sinking of Indian Naval Ship	32
1077.	वायु सेना अध्यक्ष को "लीजन आफ मैरिट" पुरस्कार	Legion of Merit Award to Chief of the Air Staff	32—33
1078.	दिल्ली में रक्त की चोर-बाजारी	Blackmarketing in Blood in Delhi	33

तां० प्र० संख्या S, Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1079.	बंगला देश में हिन्दुओं के संहार के सम्बन्ध में श्री टोबी एफ० एच० जेस्सेल द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Shri Toby F.H. Jessel regarding Massacre of Hindus in Bangla Desh	33
1080.	राजनयिक कर्मचारियों के स्वदेश प्रत्यावर्तन के संबंध में स्विटजरलैंड के राजदूत का कलकत्ता तथा ढाका का दौरा	Visit of Swiss Ambassador to Calcutta and Dacca regarding Repatriation of Diplomatic Staff	33—34
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
4469.	अनुशासन-सतर्कता संबंधी विचाराधीन मामले	Pending Disciplinary Vigilance Cases	34
4470.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अधिशासी इन्जीनियरों और सहायक इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of C.P.W.D. Assistant Executive Engineers and Assistant Engineers	34
4471.	गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता और मजगांव गोदी बम्बई में कर्मचारियों द्वारा मरम्मत का काम कर के धन कमाया जाना	Earnings by Mazagon Docks, Bombay and Garden Reach Workshop, Calcutta	35
4472.	अन्धे व्यक्तियों का सर्वेक्षण	Survey of Blind Persons	35—36
4473.	गर्भाधान का स्वत: पता लगाने वाले 'किट' का निर्माण	Manufacturing of Self Pregnancy Testing Kits	36
4474.	परिवार नियोजन के लिये रंगीन कार्ड	Coloured Cards for Family Planning	36
4475.	रक्षा मन्त्रालय में नीलामकर्ताओं की नियुक्ति	Appointment of Auctioneers in the Ministry of Defence	37—38
4476.	पश्चिमी राजस्थान में पेय जल की भारी कमी और बेकार पड़े नल-कूप	Acute Shortage of Drinking Water in Western Rajasthan and Tube-Wells lying Idle	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4478.	दिल्ली में ओखला में मैसर्स अब्दुल मजीद परमजीत सिंह द्वारा यमुना रेत का जमा किया जाना	Accumulation of Jamuna Sand by M/s. Abdul Majid Paramjit Singh at Okhala Point, Delhi	38—39
4479.	मैसर्स अब्दुल परमजीत सिंह को खसरों का आवंटन	Allotment of Khasras to M/s. Abdul Majid Paramjit Singh	39
4480.	चण्डीगढ़ में रिहायशी और वाणिज्यिक प्लाटों की नीलामी	Auctioning of Residential and Commercial Plots in Chandigarh	39
4481.	गोहाटी के निकट स्थित भारतीय वायु सेना अड्डे सम्बन्धी वृहद् योजना का गायब हो जाना	Missing of Master Plan of Indian Air Force Base near Gauhati	40
4482.	संक्रामक नेत्र रोग	Epedemic of Eye disease	40
4483.	ढाका में भारतीय कर्मचारी	Indian Staff in Dacca	40—41
4484.	महानगरों में झुग्गी-झोंपड़ी वासियों और बेघर लोगों की समस्याओं के बारे में पुर्नविचार	Re-thinking on problems of Jhuggi Dwellers and Homeless in Metropolitan Cities	41
4485.	भारत में कुछ विदेशी-दूतावासों और मिशनों द्वारा राजनैतिक प्रचार किया जाना	Political Propaganda by certain Foreign Embassies and Missions in India	41—42
4486.	डाक्टरों और वैद्यों के लिये समान वेतनमान	Uniform Pay Scales for Allopathic and Ayurvedic Doctors	42
4487.	विदेशों में अध्ययन कर रहे मेडिकल के भारतीय विद्यार्थी	Indian Medical Students Studying abroad	43
4488.	बंगला देश से आये विस्थापितों के शरीरों पर हथियारों के घावों का होना	Evacuee Patients from Bangla Desh Suffering from Wounds Caused by War Weapons	43
4489.	कोटा उर्वरक कारखाने में उत्पादन	Production in Kota Fertilizer Factory	43—44

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4490.	सदर्न पैट्रो-कैमिकल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन का विदेशी फर्मों से करार	Agreement made by Southern Petro-Chemical Industries Corporation with Foreign Firms	44
4491.	सर्जीकल इन्स्ट्रूमेंट्स प्लांट मद्रास की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Surgical Instruments Plant, Madras	44—45
4493.	पालिथीन का निर्माण करने के लिए उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries for Manufacture of Polythene	45—46
4494.	दिल्ली में पोलियो उन्मूलन टीकों का अपर्याप्त स्टाक	Insufficient Stock of Anti-Polio Vaccine in Delhi	46
4495.	नई दिल्ली में इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति का लगाया जाना	Installation of Mahatma Gandhi's Statue at India Gate, New Delhi	46—47
4496.	सेना के ट्रक के उलट जाने के कारण मारे गये सैनिक	Soldiers Killed by Overturning of an Indian Military Truck	47
4497.	मन्त्रियों के निवास स्थानों पर व्यय	Expenditure on Residences of Ministers	47
4498.	अंगामी की रिहाई	Release of Angami	48
4499.	पेट्रोल की खपत	Consumption of Petrol	48
4500.	राजबंध (पश्चिम बंगाल) स्थित भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठापन में चोरियों का पता लगाना	Detection of Thefts at I.O.C. Installation at Rajbandh (West Bengal)	48—49
4501.	त्रिपुरा के मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों की छात्र-वृत्तियां	Scholarship to Students of Medical College, Tripura	49
4502.	पुनर्नियुक्त रक्षा कर्मचारियों की पेंशन में तदर्थ वृद्धि का लाभ	Benefit of Ad-hoc Increase in Pension of Re-employed Defence Personal	50
4503.	पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की वापसी के बारे में शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का वक्तव्य	Statement made by U.N. High Commissioner for Refugees Re-return of East Bengal Refugees	50—51
4504.	दिल्ली में मैसर्स परमजीत सिंह नियामतुल्ला को उत्खनन कार्य (रेत) का आवंटन	Allotment of Quarrying (Sand) in Delhi to M/s. Parmjeet Singh Niamtullah	51

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
4505. गुजरात में कन्जारी गांव के निकट तेल निकालने के लिये खुदाई-कार्य	Oil Drilling Operations near Kanjari Village in Gujarat	51—52
4506. साबुन निर्माताओं द्वारा कर में हुई वृद्धि का समावेश	Absorption of Tax Increase by Manufacturers of Soap	52
4507. चीन और अमरीका के सम्बन्धों के बारे में नीति का पुनर्विलोकन	Review of Policy Regarding SINO-US Relations	52
4508. गुजरात में तेल के कुओं का पता लगाना	Oil Structures found in Gujarat	53
4509. नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में निर्माण जौर आवास मन्त्री के कमरे का नवीकरण	Renovation of Works and Housing Minister's Room in Nirman Bhavan (New Delhi)	53
4510. ग्राम्य क्षेत्रों में बसे डाक्टरों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देना	Loan Facilities to Doctors Settled down in Rural Areas	53—54
4511. 'निरोध' बनाना तथा उसका वितरण	Production and Distribution of "Nirodh"	54
4512. भारत के उप-उच्चायुक्त के कार्यालय में अनधिकृत वायरलैस ट्रांसमीटर चलने के बारे में पाकिस्तान का आरोप	Allegation by Pakistan Re. Operating of Unauthorised Wireless Transmitter in the Office of Deputy High Commissioner of India	54
4513. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामों में "लालडोरा" का विस्तार	Extension of 'Lal Dora' in Villages of Delhi Union Territory	55
4514. दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Cooperative House Building Societies in Delhi	55
4515. दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को भूमि के आवंटन पर रोक	Check on Allotment of Land to Jhuggi-Jhoppri Dwellers in Delhi	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4516.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को दिया गया बोनस	Bonus Paid to D.D.A, Employees	56—57
4517.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न/मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots by D.D.A. to Low/ Middle Income Groups	57—58
4519.	भारतीय विदेश सेवा में कमियां	Short-comings in the Indian Foreign Service	58
4520.	मुगलसराय और आसनसोल के बीच ग्रांड ट्रंक रोड पर पेट्रोल पम्पों में डीजल और पेट्रोल की कमी	Shortage of Diesel and Petrol in Petrol Pumps on the Grand-Trunk Road between Mughal Sarai and Asansol	58
4521.	यंत्र अनुसंधान विकास संस्थान रायपुर, देहरादून (उत्तर प्रदेश) में उत्पादन में कमी	Fall in Production in Instrument Research Development Establishment Raipur, Dehradun, U.P.	58—59
4522.	दोषपूर्ण रसायनों के निर्माणकर्त्ता	Manufacturers of Defective Chemicals	59
4523.	दिल्ली में कम और माध्यमिक आय वाले वर्गों के लिए नवीन आवास योजना	Novel Housing Schemes for Low and Middle Income Groups in Delhi	59—60
4524.	बंगला देश की घटनाओं के सम्बन्ध में सिनेमाघरों तथा टेलीविजन पर वृत्त चित्रों का दिखाया जाना	Showing Documentaries in Film and T.Vs. in Foreign Countries Regarding Bangla Desh Happenings	60
4525.	राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन	Eradication of Malaria in Rajasthan	60
4526.	पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्र सहायता बन्द कराने के सम्बन्ध में एशियाई मामलों पर होम कमेटी के अध्यक्ष द्वारा किया गया प्रस्ताव	Move to Stop U.S. Arms Aid to Pakistan made by Chairman of Home Committee on Asian Affairs	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पुष्ठ Pages
4527.	संयुक्त राष्ट्र विपत्ति राहत केन्द्र	U.N. Disaster Relief Centre	61—61
4528.	उपकरण कारखाने के कानपुर को स्थानान्तरण के कारण आयुध कारखानों के महानिदेशक के कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment Amongst the Staff of Director General of Ordnance Factories over Transfer of Equipment Unit to Kanpur	62
4529.	मनीपुर में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Government Quarters in Manipur	62—63
4530.	रक्षा सेवाओं के उच्चाधिकारियों के लिये व्यक्तिगत अर्दली की व्यवस्था	Provision for Personal Orderlies to Higher Officers of Defence Services	63
4531.	संसद सदस्यों को जीपों का आवंटन	Allotment of Jeeps to Members of Parliament	63
4532.	सहायक वायु सैनिकों को नगर भत्ते का भुगतान	Payment of City Compensatory Allowance to Auxiliary Airmen	64
4533.	परिवार नियोजन केन्द्रों को जीपें आवंटित करने संबंधी कसौटियां	Criteria for Allotment of Jeeps to Family Planning Centres	64—65
4534.	राज्यों में नगरीय विस्तार के लिये भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिये आवर्तक निधियां	Revolving Funds in the States for Acquisition and Development of Land for Urban Expansion	65
4535.	गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती	Recruitment of Local Persons in Fertilizer Factory at Gorakhpur	65—66
4536.	उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पेय जल पहुंचाने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Drinking Water in Urban Areas of Uttar Pradesh	66
4538.	उत्तर कोरिया महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत के मित्र देशों के विरुद्ध विज्ञापन	Advertisements of North Korean Consulate General against Countries Friendly to India	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4539.	चीन-भारत सीमा विवाद के बारे में उत्तर कोरिया की नीति	Policy of North Korea re. Sino-Indian Border Dispute	67
4540.	गुजरात और आसाम राज्यों से अशोधित तेल और गैस से प्राप्त हुई आय का समन्वेषण तथा समन्वेषी कुओं की लागत से समायोजन	Adjustment of Cost of Exploration and Exploratory Wells with the Income of Crude Oil and Gas from Gujarat and Assam States	67
4541.	तेल कम्पनियों द्वारा राज्यों को राजधानियों को ईंधन-गैसों की सप्लाई	Supply of Cooking Gas to States Capitals by Oil Companies	67
4542.	थ्रोसिका सर्जरी के लिये मेडिकल कालेज	Medical Colleges for Throacic Surgery	68
4543.	विकास खण्डों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in Development Blocks	68
4544.	200 करोड़ रुपये की आवर्तक निधि के माध्यम से सहकारिता और भवन निर्माण सोसाइटियों को सहायता	Aid to Co-operatives and House Building Societies through Revolving Fund of Rs. 200 crores	69—70
4545.	पश्चिम बंगाल में अस्पतालों में पलंगों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Hospital Beds in West Bengal	70—72
4546.	दिल्ली में मच्छरों का उत्पात	Mosquito Menance in Delhi	72
4547.	दुर्गापुर उर्वरक कारखाने को चालू करना	Commissioning of Durgapur Fertilizer Project	73
4548.	पाकिस्तानी उच्चायोग के पठान और पंजाबी कर्मचारियों में विवाद	Clashes between the Pathan and Punjabi Employees of High Commission of Pakistan	73
4549.	ढाका से भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को स्वदेश वापस लाने के सम्बन्ध में स्वीटजरलेंड के राजदूत के साथ हुई वार्ता	Talks held with Swiss Ambassador Regarding Repatriation of Indian Staff from Dacca	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages.
4551.	गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी संस्था, दिल्ली	Gujranwala House Building Cooperative Society, Delhi	74
4552.	दिल्ली में एक नया मेडिकल कालेज खोलने की मांग	Demand for Setting up of New Medical College in Delhi	75
4553.	सी० एल० टी० आर० आई० के कर्मचारियों को एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Employees Association of C.L.T.R.I.	75
4554.	नेशनल इन्स्टीट्यूट फार लेपरासो का पुनः नामकरण	Re-naming of National Institute for Leprosy	75
4555.	सी० एल० टी० आर० आई० का 'मौके पर अध्ययन'	On the Spot Study of C.L.T.R.I.	76
4556.	सी० एल० टी० आर०आई० में कार्य कर रहे कर्मचारियों का दर्जा	Status of the Employees Working at C.L.T.R.I.	76—77
4557.	झांसी में हायर लर्निंग एण्ड एकेडेमिक रिसर्च आयुर्वेद इन्स्टीट्यूशन की सहायता	Setting up of an Institution for Higher Learning and Academic Research in Ayurvedic at Jhansi	77
4558.	राजस्थान के जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों में पेय-जल के लिये सर्वेक्षण	Survey for Drinking Water in Jaisalmer and other Areas of Rajasthan	78
4559.	मध्य प्रदेश में हरिजनों तथा आदिवासियों में व्याप्त कुपोषण	Mal-nutrition among Harijans and Adivasis in Madhya Pradesh	78—79
4560.	राजस्थान और गुजरात में चेचक	Small-pox in Rajasthan and Gujarat	79—80
4561.	कोढ़ पीडित व्यक्ति	Persons Suffering from Leprosy	80—81
4562.	नई गर्भ-निरोधक वस्तुओं की खोज	Discovery of New Contraceptive	81—82
4563.	इटली की एक फर्म के साथ छिद्रण-व्यापार में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हानि	Loss to O.N.G.C. in Drilling Deal with an Italian Firm	83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4564.	सैनिक कर्मचारियों को मेरठ-मवाना सड़क (उत्तर प्रदेश) पर भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Military Personnel on the Meerut Mewana Road (U.P.)	83
4565.	मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के लिये आवेदन पत्र	Applications for D.D.A. Plots from Middle Income Group	83
4566.	श्रीलंका के सैनिक अधिकारियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण	Training to Ceylonese Army Officers in Guerilla Warfare	83
4567.	सेना में कमीशन के लिये "पैनल" में रखे गये उम्मीदवार	Candidates Placed on Panel for Commissions in Army	84
4568.	जटनी (उड़ीसा) में पेय-जल की सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Drinking Water Facilities in Jatni (Orissa)	84
	7 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1451 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting Answer to U. S. Q. No. 1451 dated 7.6.71	85
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	85
	पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने का संयुक्त राज्य अमरीका का कथित निश्चय	Reported US Decision to Supply Arms to Pakistan	85
	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	85
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh	85—89
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Said on the Table	89—91
	अनुदानों की मांगें, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	91
	रक्षा मन्त्रालय	Ministry of Defence	91
	श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	91
	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय	Ministry of Tourism and Civil Aviation	91—98
	श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	98

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	98—103
श्री भोला मांझी	Shri Bhola Manjhi	103—104
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	104
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	104
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri N. S. Bisht	105—106
श्री महादीपक सिंह	Shri Maha Deepak Singh	106
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	106
श्री के० राम कृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	107—108
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	108
राजमाता गायत्री देवी	Rajmata Gayatri Devi	108—110
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	110—111
श्री बृजराज सिंह कोटा	Shri Brij Raj Singh—Kotah	111—112
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	112—113
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	113—114
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	114
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	114—117
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	117—118
श्री के० बासप्पा	Shri K. Basappa	118
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	118—119
श्री तरुन गोगोई	Shri Tarun Gogoi	119—120
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	120
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	120—121
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	121—126
आधे-घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	126
शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए पी० एल०-480 निधियां	P.L.-480 Funds for Educational Activities	126
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	126—128
श्री सिद्धार्थ शंकर राय	Shri Siddartha Shankar Ray	128—130

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 12 जुलाई, 1971/21 आषाढ़, 1893 (शक)
Monday, July 12, 1971/Asadha 21, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर तीन मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at three minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन की बैठक

+
*1051. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 में हुई अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन की बैठक में बंगला देश के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ;

(ख) उक्त बैठक में किन अन्य विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) क्या निर्णय किये गये थे ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । जून 1971 में दमिश्क में हुए अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन के दसवें कार्यकारी समिति के अधिवेशन में चर्चा के लिये कार्यसूची में पूर्व "पाकिस्तान की हाल ही की घटनाओं" नामक विषय शामिल किया गया था ।

(ख) कार्यसूची के मसविदे की एक प्रति संलग्न है ।

(ग) अधिवेशन में एक सामान्य घोषणा की गई थी जिसमें साम्राज्यवाद, हिन्द-चीन, फिलिस्तीन, उपनिवेशवाद आदि विषय शामिल थे । अफ्रीकी-एशियाई लोक एकता संगठन के अधिवेशन में पारित अन्य राजनीतिक संकल्पों में हिन्द-चीन, कोरिया, अफ्रीका का मुक्ति संघर्ष और स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों, अरबों तथा पूर्व पाकिस्तान के साथ एकता सम्बन्धी संकल्प शामिल थे । पूर्व पाकिस्तान सम्बन्धी संकल्प की प्रति संलग्न है ।

विवरण

अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन के 23-24 जून 1971 के दमिश्क (सीरिया) के दसवें कार्यकारी समिति के अधिवेशन की कार्यसूची का मसविदा।

प्रथम : साम्राज्यवाद और नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध, विशेष रूप से ज्वलंत समस्याओं के सम्बन्ध में अफ्रीकी-एशियाई लोगों के संघर्ष में तेजी लाना :

(क) अमरीकी साम्राज्यवाद के आक्रामक युद्ध के निरन्तर विस्तार के विरुद्ध हिन्द-चीन के लोगों का संघर्ष।

(ख) इसरायली-अमरीकी साम्राज्यवादी आक्रमण के विरुद्ध, कब्जा किए गये अरब क्षेत्रों की मुक्ति और फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों की पुनराप्ति के लिए अरब लोगों का संघर्ष।

(ग) उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव से मुक्ति और प्रतिक्रियावादी गुटों की सहायता से आक्रमण के साम्राज्यवादी प्रयत्नों को रोकने के लिये, विशेष रूप से पुर्तगाली कालोनियों और दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीकी लोगों का संघर्ष।

द्वितीय : अफ्रीकी-एशियाई लोक एकता संगठन के राजनीतिक और संगठनात्मक कार्य का दृढ़ीकरण :

(1) अफ्रीकी-एशियाई लोक एकता संगठन 1971 के कार्रवाई-कार्यक्रम के लिये तथा परिषद के नवें अधिवेशन में पारित संकल्पों के कार्यान्वियन के लिये आवश्यक कार्यकारी कदम उठाना और उन पर विचार करना।

(2) बहुत से सम्वद्धन मामलों की समीक्षा करना और नये आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेना।

(3) अफ्रीकी-एशियाई लोक एकता संगठन के पांचवें सम्मेलन की तिथि और स्थान निर्धारित करना और सम्मेलन का सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम तथा उसके दीक्षांत समारोह के लिए प्रमुख संगठनात्मक क्रियाविधि तय करना।

(4) वित्तीय मामले (स्थायी सचिवालय का बजट और कार्रवाई-कार्यक्रम के लिये विशेष बजट पास करने के लिये वित्तीय नियंत्रण समिति की बैठक)।

विवरण

संख्या 102/17/1-ख

अफ्रीकी-एशियाई लोक एकता संगठन की कार्यकारी समिति का दसवां अधिवेशन।

दमिश्क—सीरिया

23-24 जून, 1971

राजनीतिक समिति

पूर्वी पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव

दमिश्क में 23 से 24 जून 1971 तक अफ्रीकी-एशियाई लोक एकता संगठन की कार्यकारी

समिति के दसवें अधिवेशन में पूर्वी पाकिस्तान की हालत पर और शरणार्थियों की दु:खद समस्या पर किया गया।

—अफ्रो-एशियाई जनता की साम्राज्यवाद और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की महत्ता को जानते हुये

—उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के जरिये संसार के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा मानव जाति पर ढ़ाये गये अत्याचारों की निन्दा करते हुये निम्नलिखित की प्राप्ति का आग्रह करती है :—

(1) कि शरणार्थियों की समस्या का ठीक और मानवीय हल निकाला जाय ताकि वे अपनी मातृभूमि को शीघ्रतिशीघ्र लौट सकें जिससे कि समस्त पाकिस्तानी जनता एक हो कर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ सके।

(2) कि अफ्रो-एशियाई लोक एकता संगठन के महासचिव से निवेदन किया जाये कि वह स्थिति की जांच करते रहें।

श्री निहार लास्कर : उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित कार्यसूची का मस्विदा मैं नहीं देख सका। परन्तु भाग (ग) में मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे पता चलता है कि बंगला देश पर बिलकुल कोई चर्चा नहीं की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधि ने किस विषय को उठाया और उनके प्रयास कहाँ तक सफल सिद्ध हुए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मूल कार्यसूची में बंगला देश का मामला शामिल नहीं था परन्तु भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस मामले को कार्यसूची में शामिल किया गया था और इस पर चर्चा हुई थी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता बंगला देश की परिस्थितियों के बारे में वक्तव्य भी दिया था।

श्री निहार लास्कर : समाचार-पत्रों में छपे समाचारों से पता चलता है कि जहां तक बंगला देश का सम्बन्ध है हमारा प्रतिनिधिमंडल बिल्कुल असफल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले अफ्रीकी-एशियाई देशों तथा अन्य सदस्य देशों द्वारा इस मामले में कोई रुचि न दिखाये जाने के क्या कारण हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इसके कारण स्पष्ट है। अन्य देशों के अधिकतर प्रतिनिधि राजनीतिक कारणों से कोई निर्णय लेने के लिये तैयार नहीं थे। इस समस्या के मानवीय पहलू पर चर्चा की गई थी। उपरोक्त सम्मेलन में केवल मानवीय पहलू पर चर्चा की गई थी, राजनीतिक पहलू पर नहीं।

श्री एस० एम० कृष्ण : अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन में अरब देशों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस संगठन के इस सम्मेलन के बारे में कुछ भ्रम है। यह सरकारी संगठन नहीं है। यह एक गैर-सरकारी संगठन है और इसमें जो प्रतिनिधिमंडल गया था वह गैर-

सरकारी प्रतिनिधिमंडल था जहां तक बंगला देश के बारे में भारत सरकार के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है। वह सभा को विदित है। उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान द्वारा पूर्व बंगाल में किये अत्याचारों का उल्लेख किया था और तत्सम्बन्धी सभी पहलुओं पर चर्चा की थी। यह सच है कि सम्मेलन में जो संकल्प पारित किया गया था उसमें अधिक जोरदार शब्द नहीं थे। परन्तु इस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा किया जाना ही एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस संगठन का नियम यह है कि किसी सदस्य विशेष से सम्बन्धित किसी मामले को बिना उस सदस्य की अनुमति के नहीं उठाया जा सकता। इस नियम को हटाकर बंगला देश पर चर्चा करने की अमुमति दी गई थी।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या इस मामले में जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है उससे इस सभा में हुई निराशा भी शामिल हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह संकल्प जोरदार नहीं है परन्तु फिर भी यह एक सफलता है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या यह सच है कि इस सम्मेलन में उक्त समस्या के राजनीतिक समाधान पर बल दिये बिना शरणार्थियों को वापिस भेजने के बारे में अधिक जोर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे देश राजनीतिक समाधान की आवश्यकता के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं इसकाउत्तर दे चुका हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार का विचार अफ्रीकी एशियाई देशों तथा अन्य तटस्थ देशों की बैठक बुलाने का है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री जगन्नाथ राव : उपर्युक्त संगठन की कार्यकारी समिति द्वारा पारित संकल्प में कहा गया है कि शरणार्थियों की समस्या का न्यायसंगत समाधान ढूंढना चाहिये जिससे वे यथाशीघ्र अपने देश लौट सकें और पाकिस्तान की समस्त जनता मिलकर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का सामना कर सके। इसका बंगला देश के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस संगठन ने समस्या के मानवीय पहलू पर विचार किया था, राजनीतिक पहलू पर नहीं और वे अलग तथा स्वतंत्र बंगला देश के विचार से सहमत नहीं हैं। वहां बंगला देशमें किये गये अत्याचारों और वहां की असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था और संकल्प के प्रवर्ती भाग में कहा गया है कि वे चाहते हैं कि वहां सामान्य स्थिति पैदा हो जिससे शरणार्थी वापिस जा सकें।

भारतीय उर्वरक निगम के लाभ में कमी

*1053. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री एम० कतामुतु :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में भारतीय उर्वरक निगम के शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 3 करोड़ रुपये की कमी हुई ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) जी हां।

(ख) 1969-70 में लाभ में कमी के निम्नलिखित मुख्य कारण थे :

(i) नंगल में 1-1-1966 से पूर्वव्याप्ति सहित बिजली की दरों में वृद्धि होने के कारण लगभग 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का समायोजन ;

(ii) कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि ; और

(iii) ट्राम्बे एवं नामरूप में उत्पादन में कमी।

श्री एम० एम० जोजफ : वर्ष 1970-71 में कितनी प्रगति हुई थी ?

श्री पी० सी० सेठी : वर्ष 1969-70 के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं परन्तु वर्ष 1970-71 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट के लाभ में भारी कमी हुई है जो इस वर्ष में 3 करोड़ रुपये से अधिक है और यदि हां तो क्या मूल डीजाइनिंग और इंजीनियरिंग में खराबी के कारण उपकरणों के बार-बार काम न करने के कारण ट्राम्बे में यह स्थिति पैदा हुई है ? इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री पी० सी० सेठी : ट्राम्बे के बारे में हमने अध्ययन किया है और यह सुझाव दिया गया है कि वहाँ बाधाओं को दूर किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त ट्राम्बे के मूल ठेकेदारों के बारे में मी विभिन्न उपाय किये जायेंगे...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल ठेकेदार कौन थे ?

श्री पी० सी० सेठी : पूरे मामले की जांच की जा रही है। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस जे० एस० बेदी इस मामले की जांच कर रहे हैं और क्या भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धक निदेशक...

श्री जगन्नाथ राव : वह मूल ठेकेदारों का नाम पूछ रहे हैं।

श्री पी० सी० सेठी : ठेकेदार का नाम अमरीका की मैसर्स केमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन है।

अध्यक्ष महोदय : इसी विषय से सम्बन्धित एक अन्य प्रश्न है-- प्रश्न संख्या 1074 हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं परन्तु माननीय सदस्य श्री राजदेव सिंह अनुपस्थित हैं ।

टिंक्चर का निर्माण तथा उसका दुरुपयोग

*1054. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत, विशेषकर उन राज्यों में जहां मद्य निषेध लागू है, औषधीय टिंक्चर के दुरुपयोग के बारे में जांच की है ; और

(ख) क्या टिंक्चर बनाने वालों, लाइसेंसशुदा केमिस्टों और औषध विक्रेताओं के आम कदाचारों के बारे में सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो वे आम कदाचार क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) हाल में केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी जांच पड़ताल नहीं कराई है । वैसे, 1963 में श्री न्यायमूर्ति टेक चन्द की अध्यक्षता में योजना आयोग ने मद्य निषेध पर एक अध्ययन दल गठित किया था । इस दल ने अन्य बातों के साथ-साथ औषधीय, प्रसाधनिक और मादक योगों के, जिन्हें पेय पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दुरुपयोग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया ।

(ख) दुराचारी औषधि निर्माताओं तथा कैमिस्टों और ड्रगिस्टों द्वारा जो आम कदाचार किये जाते हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) बहुत दिनों से दवा के रूप में प्रयुक्त वर्तमान भेषज सहिताओं के अन्तर्गत आने वाली टिंक्चरों का निर्माण करना और मादक पेय के रूप में गलत इस्तेमाल के लिए उनकी बिक्री बढ़ाना ।

(2) भेषज संहिताओं के पहले के संस्करणों ने सम्मिलित ऐसे टिंक्चरों का निर्माण करना जो चिकित्सा के क्षेत्र में पुराने पड़ गये हैं और जिनका कोई निर्धारित मानक नहीं है, मादक येय के रूप में गलत इस्तेमाल के लिए उनकी बिक्री बढ़ाना ।

(3) भेषज संहिताओं से बाहर अल्कोहल वाली दवाओं का पेटेण्ट और प्रोप्राइटरी दवा के रूप में निर्माण करना और पेय के रूप में गलत इस्तेमाल करने के लिए उनकी बिक्री को बढ़ाना ।

(4) अल्कोहल वाली दवाएं बनाना और उन्हें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइओं के नाम पर बेचना ।

(5) अल्कोहल वाली तथा कथित प्रसाधक दवा तैयार करना और मादक पेय के रूप में उनके दुरुपयोग करने के लिए उनकी बिक्री बढ़ाना ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वक्तव्य में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि आयुर्वेदिक औषध निर्माणशालाओं द्वारा मद्यसार बनाने के लिए टिंक्चर का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा वह इसको बाजार में अवैध रूप से बेच रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार उन राज्यों से जहां मद्य निषेध लागू है मद्यनिषेध को हटाने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने का है ताकि टिंक्चर के दुरुपयोग को रोका जा सके।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : टिंक्चर तथा अन्य स्पिरिट पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार ने ऐसे आयुर्वेदिक पदार्थों को औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार उन राज्यों में जहां मद्य निषेध लागू है मद्य निषेध हटाने के लिए कार्यवाही करेगी ताकि टिंक्चर का इस प्रकार दुरुपयोग न किया जा सके।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मद्य निषेध मुख्यत: राज्य का विषय है और इस सम्बन्ध में हम केवल राज्य सरकारों का ध्यान इस सुझाव की ओर दिला सकते हैं हम इसके अतिरिक्त अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलायेगी और उनसे मद्य निषेध हटाने को कहेगी।

श्री उमाशंकर दीक्षित : हम यह नहीं कह सकते कि मद्य निषेध हटाया जाए। इस संबंध में कुछ भी निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। केवल माननीय सदस्य का सुझाव उन तक पहुंचा दिया जायेगा।

Shri Paripoornanand Painuli : Since a number of high courts have held that tincture and ginger do not come under prohibition may I know whether Government propose to amend the law so that tincture and ginger could also be brought within the definition of intoxicants ? It is a fatal thing and people are dying in large numbers, particularly at the holy places.

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Uma Shanker Dixit) : Unless we are able to check effiectively the misuse, it is not proper to bustle through a legislation. If we do so, may be the remedy proves worse than the disease. A suggestion had been made by U.P. Government for raising the excise duty and we have invited comments of the other States. Divergent views have been expressed in this regard. They have said that they are facing difficulty in this. If any positive suggestion is made by the hon. Members we will certainly consider that.

Shri Paripoornanand Painuli : Sir many a person has been prosecuted at holy places for the illegal sale of ginger tincture. High Court has held that the sale of tincture does not come within the definition of intoxicants, but all the same deaths have occurred by their consumption. May I know whether the Government propose to amend the Act in view of the High Court judgement ?

Mr. Speaker : He has just said so.

Shri Uma Shanker Dixit ; We will consider the matter.

Shri D. N. Tiwari : Prohibition has been lifted in almost all the States except Maharashtra. As there is no prohibition people need not take all these things. Such things are consumed only at any places. Prohibition cannot be enforced unless Central Government provides aid to the Statas. If prohibition has to be enforced Centre should provide adequate funds to the States for the purpose and if they do not want to prohibit it then there is no need of enacting a law in this regard. I want to know the position of the Government in this regard.

Shri Uma Shanker Dixit : At the present moment our policy is not to compel the dry States to lift the prohibition.

तेल की खोज के क्षेत्र में अमरीकी परामर्शदायी सेवायें

*1056. **मुरुगनन्तम** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने, तेल की खोज के क्षेत्र में परामर्शदायी सेवाएं प्राप्त करने के लिये 'डेगलायर एन्ड मेकनाटन' नामक अमरीकी फर्म के साथ करार करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने करार का प्रारूप तैयार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(घ) इस पर कब तक हस्ताक्षर किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ). निम्न तथ्यों के निर्धारण के विचार से, गुजरात राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के 9 तेल क्षेत्रों से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़ों के अध्ययन एवं पुनरीक्षण हेतु, उक्त आयोग ने अमरीका के मैसर्स डेगलियर एण्ड मेकनाटन नामक परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है :—

(1) इन क्षेत्रों के हाइड्रोकार्बन्स संचय,

(2) इन क्षेत्रों से होने वाले उत्पादन की अनुकूलतम दरें तथा

(3) तेल की अतिरिक्त मात्रा जो वसूली की गौण पद्धतियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। 9 जून, 1971 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

श्री मुरुगनन्तम : करार की शर्तें क्या हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक शर्तों का सम्बन्ध है उन्हें 1,50,000 डालरों की राशि के साथ-साथ यात्रा व्यय भी दिया जायेगा। इस प्रकार कुल व्यय 12.60 लाख के लगभग बैठेगा।

श्री मुरुगनन्तम : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विशेष फर्म को ही क्यों प्राथमिकता दी गई ?

श्री पी० सी० सेठी : विश्व भर में मैसर्स डेगलायर एण्ड मेकनाटन नामक अमरीकी फर्म इस क्षेत्र में संसार भर में प्रसिद्ध है। एक या दो और परामर्शदाता भी हैं पर वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। और यह एक विशेष प्रकार का काम है। सामान्यत: यह कहा जाता है कि गुजरात के तेल क्षेत्रों से कुल प्राप्ति 22 प्रतिशत होगी जबकि सामान्यत: यह 35 से 40 प्रतिशत तक होनी चाहिये। अत: इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जा रहा है।

Construction of Central Government Office Buildings in various Cities

*1059. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) the amount spent annually by Central Government in rent on hiring buildings for their Offices in various cities of the country ;

(b) whether Government have formulated a scheme to construct their own buildings for their offices and vacate rented buildings ;

(c) if so, the main features thereof ; and

(d) the time by which such buildings are likely to be constructed ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) लगभग 366 लाख रुपये।

(ख) जी, हाँ।

(ग) तथा (घ). देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यालय वास की कमी है। वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए, विशेषकर उन नगरों में जहां प्राइवेट भवन किराए पर लिए गए हैं, कार्यलय वास निर्माण करने के प्रस्तावों पर निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, समय-समय पर विचार किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक हो किराये पर लिए गए वास को छोड़ने की दृष्टि से, तथा कमी को पूरा करने के लिए नए भवनों का निर्माण और/अथवा अतिरिक्त वास का निर्माण विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभागीय तौर पर, कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर, पटना, गोआ, मैसूर, मद्रास, कटक, नागपुर, त्रिवेन्डरम, चण्डीगढ़, शिमला, शिलांग, ग्वालियर, हैदराबाद, जम्मू, गोहाटी, पूना, दिल्ली आदि जैसे विभिन्न स्थानों पर आरम्भ किया गया है।

ऐसे निर्माण पर किया जाने वाला कुल व्यय लगभग 44.12 करोड़ रुपये होने की आशा है। कुछ भवन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में और शेष 1975-77 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

Shri Ramavatar Shastri : It is evident from the answer of the hon. Minister that the Government has to incur heavy expenditure in this form of rentals of office accommodation. May I know whether Government pays the rent as dictated by the landlords or they have their own rules and conditions on the basis where of the rentals are settled and if there are any rules what are they ?

श्री आई० के० गुजराल : देश के मुख्य केन्द्रों में किराया निर्धारण समितियां गठित की गई हैं और यह समितियाँ परिस्थितियों का अध्ययन कर किराये की उचित दर निर्धारित करती है और समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किराया निर्धारित किया जाता है।

Shri Ramavatar Shastri : The first part of my question is : What was the scheme of the Government for providing accommodation for the officer of Delhi Administration and what steps have been taken to implement the same and what hurdles if any were faced during the implementation.

The other part of the question is regarding the rents of the Regional Provident Office and N. C. D. C. Office at Patna. The Government has to pay Rs. 16,000 and Rs. 30,000 as rentals for these offices, respectively. You can easily imagine how much rent is paid within a year. Name the Government formulated any scheme for the construction of the buildings of both the offices and if so, what are the main features thereof ?

श्री आई० के० गुजराल : सामान्य पूल के आवास के अंतर्गत पटना नहीं आता। सबद्ध मंत्रालयों द्वारा स्वयं भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मेरे विचार से इस सम्बंध में कुछ कार्यवाही की गई है किंतु इस समय इसका उत्तर देना मेरे लिए कठिन है। मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य संबद्ध मंत्रालय को यह प्रश्न भेजें।

Shri Ramavatar Shastri : At least tell something about the buildings of Delhi Administration.

दिल्ली के बारे में मेरा यह कहना है कि हमने सरकारी आवास का निर्माण करने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपया रखा है और दो महत्वपूर्ण भवन, यथा प्रतिरक्षा मुख्यालय और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर दूसरा भवन, निर्माणाधीन है। इस समय इन दो भवनों का निर्माण हो रहा है और इसके अतिरिक्त एक संसद भवन भी बन रहा है।

श्री के० लकप्पा : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि दक्षिण भारत के बंगलौर और मद्रास जैसे शहरों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय जिन बहुत से भवनों में स्थापित हैं वे इंडियन सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हैं और वे सरकारी अधिकारियों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं? तथा अधिक किराया वसूल कर रहे हैं? क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और इस व्यवस्था को समाप्त करके अपने भवनों का स्वयं निर्माण करायेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। यदि मेरे माननीय मित्र के पास ऐसी कोई विशेष शिकायत है तो मैं खुशी से उसकी जांच करूंगा।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : गत पांच वर्षों में जम्मू में केन्द्रीय सरकार के किन-किन कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण किया गया है ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सरकारी आवास के लिए सम्पूर्ण निर्माण कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय ने सामान्य कार्य के लिए भवनों का निर्माण किया था। देश में ऐसे 8 केन्द्र हैं और जम्मू उस योजना में शामिल नहीं है। अन्य भवनों का निर्माण सम्बन्धित मंत्रालयों

द्वारा किया जाता है और मुझे उनके निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा मालूम नहीं है। परन्तु मैं यह जानता हूं कि रक्षा मंत्रालय, डाक तथा तार मंत्रालय ने भवन निर्माण में काफी काम किया है और गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल आदि के लिए भी भवनों का निर्माण करवाया है। श्रीनगर में सरकारी कार्यालयों के भवनों का निर्माण करने के लिये भूमि का प्लाट अधिग्रहण करने का प्रस्ताव निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के विचाराधीन है ?

श्री दिनेन भट्टाचार्य : मैंने एक महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न पूछना है, क्या सरकार का विचार कलकत्ता स्थित बिड़ला बन्धुओं की 22 मंजिली भवन को अधिग्रहण करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर इस सभा में इसी अधिवेशन में दे दिया गया है।

दिल्ली में नेत्र रोग (आंखों की भीतरी झिल्ली फूलने की बीमारी) का महामारी के रूप में फैलना

+

*1061. **श्री सतपाल कपूर** :
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आंखों की भीतरी झिल्ली फूलने का रोग महामारी के रूप में पहली बार फैला है :

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक संक्रामक और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में तेजी से फैलने वाला रोग होने के कारण क्या सरकार का विचार नेत्र रोग विशेषज्ञों को रोगियों के उपचार के लिए रोग व्याप्त क्षेत्रों में भेजने का और उक्त रोग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता का प्रचार करने का है ; और

(ग) चूंकि यह रोग बच्चों और युवकों को बहुत ही शीघ्र लगता है इसलिये क्या स्कूलों और कालेजों को इस बात के लिये सावधान कर दिया गया है कि वे इस रोग से ग्रस्त छात्रों को अन्य छात्रों के सम्पर्क में न आने दें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। परन्तु इस रोग की घटनाओं में कुछ वृद्धि होने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ख) और (ग). कंजक्टिवाइटिस अपने आप में एक सीमित बीमारी है जो कि लगभग 4 से 7 दिनों तक रहती है और इसके बाद इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। दिल्ली के सारे क्षेत्र में अस्पतालों और औषधालयों/क्लीनिकों का जाल बिछा हुआ है और इन सभी स्थानों पर इस प्रकार के रोगियों का इलाज करने की व्यवस्था है। सामान्य डाक्टर इन रोगियों का इलाज करने में समर्थ हैं अतः नेत्र-रोग विशेज्ञों को इस पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं।

इस बीमारी को रोकने के लिये प्रचार के सभी साधनों द्वारा लोगों को जानकारी देने के लिये "क्या करें और क्या न करें" की हिदायतों के साथ साथ रोग लक्षण, महामारी विज्ञान और उपचार के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय पहले ही मार्गदर्शक आदेश जारी कर चुका है।

दिल्ली नगर निगम ने स्कूल चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क कर दिया है कि वे कन्जक्टिवाइटिस रोग से ग्रस्त बच्चों को अलग रखने के लिये समुचित कार्रवाई करने के लिये तैयार रहें।

Shri Satpal Kapur : What steps have been taken to ensure that this disease does not spread further ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस रोग को रोकना कठिन कार्य है फिर भी हमने सामान्य उपाय करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय ने राज्य सरकारों को अनुदेश भेजे हैं कि जनता को इस रोग के खतरों के बारे में बताया जाये, ऐहतियाती कार्यवाहियों का सुझाव दिया गया है। यही हम कर सकते है, इस रोग का उपचार करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के अस्पतालों में कतिपय व्यवस्था भी की गई है।

Shri Satpal Kapur : Apart from Delhi in what other States this disease has been located and what preventive measures have been taken in that regard ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस रोग का सर्वप्रथम पता बम्बई में लगा था, इसके बाद यह उत्तर, पश्चिम, मद्रास और कलकत्ता की ओर फैला और अब आखिरी चरण में यह आसाम जितनी दूर फैल गया है। इन सभी क्षेत्रों में एक ही उपाय काम में लाये गये हैं क्योंकि यह एक ही प्रकार का रोग है। स्थानीय अस्पतालों को सावधान कर दिया गया है और उनको अनुदेश दिये गये हैं तथा जनता को इस बारे में जानकारी दी गई है। इस रोग से पहले से ग्रस्त व्यक्तियों को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिये रूमाल का प्रयोग करने को कहा गया है ; जिन व्यक्तियों पर इस रोग का आक्रमण हुआ है उनको घरों के अन्दर रहने को कहा गया है। इस प्रकार के सामान्य अनुदेश दिये गये हैं।

श्री समर गुह : चूंकि यह एक विशेष किस्म का कीटाणु है जिससे कंजक्टिवाइटिस रोग पैदा होता है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कीटाणु के बारे में तथा इसके होने के कारण और मूल उत्पत्ति के बारे में पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है और क्या कोई अनुसंधान अथवा जांच कार्य आरम्भ किया गया है अथवा करने का आदेश दिया गया है।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हाँ, अन्तिम प्रश्न पहले लेते हुए मेरा यह कहना है कि पूना, बम्बई और मद्रास स्थित कतिपय अनुसधान संस्थानों ने इस जांच कार्य को हाथ में लिया है और वे इस रोग के कारणों पर विचार कर रहे हैं। इस विजाणु का सामान्यतः पता लगा लिया गया है पर इस बारे में ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता है। (**व्यवधान**) इस विजाणु का पता लगा लिया गया है परन्तु इसका स्पष्ट स्वरूप, इसका प्रभाव तथा इसकी अवधि—इन सब ब्यौरों का पता अभी नहीं लग सका है।

दूसरे, यह सूचना प्राप्त हुई है कि यह रोग अप्रैल और मई के महीनों में आमतौर पर मध्य पूर्व में फैलता है और यह पता लगा है कि बम्बई के लोग सर्वप्रथम इस रोग से ग्रस्त हुए थे और उससे यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल और मई के महीनों में जो व्यक्ति मध्यपूर्व में थे, वे ही इस रोग को बम्बई लाये थे।

जैसाकि मैंने पहले कहा है कि कतिपय उपाय काम में लाये गये हैं जैसे, तैरने के तालाबों को बन्द करना, नेत्रों के गैर-आपात आपरेशनों का स्थगन जनता को कृत्रिम साधन का प्रयोग करने की सलाह देना और एहतियाती उपायों को काम पर लाने की सलाह देना। चिकित्सा अधिकारियों और सामान्य रूप से जनता को ये अनुदेश जारी किये गये हैं।

Shri Paripoornanand Painuli : May I know whether it is fact that about one hundred Members of Parliament are suffering from this disease and if so, the steps being taken to ensure that it does not spread to other persons.

The Minister of Works and Housing (Shri Uma Shankar Dikshit) : I want to say for the general information that the patient is healed up in a week. There are two or three kinds of eyedrops prescribed and every doctor can tell this. The pateint is cured by using it. When such learned and educated persons are here then their is no need to give them such unimportant information. There is no need to treat it as serious.

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether the Government has the information that this eye disease has caused damage to eyesight particularly in Bihar ?

Shri Uma Shankar Dikshit : No such information has been received.

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी अस्पतालों की स्थापना के लिये डाक्टरों को वित्तीय सहायता

*1062. **श्री गदाधर साहा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी अस्पताल स्थापित करने के लिये चिकित्सकों को वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार की कोई योजना है :

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग). जी नहीं। वैसे, निजी धन्धा करने वाले तथा व्यावसायिकों को ऋण सुविधाएं देने के लिए सरकारी क्षेत्र में स्थित सभी बैंकों ने योजनाएं बनाई हैं। डाक्टर व्यवसायकों के वर्ग में आ जाते है। नर्सिंग होम अथवा सार्वजनिक चिकित्सालय खोलने के लिए धन देने की सिण्डीकेट बैंक की योजनाएं हैं और दो अथवा उससे अधिक डाक्टरों द्वारा मिलकर कोई नर्सिंग होम अथवा सार्वजनिक अस्पताल चलाए जाने के लिये उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।

श्री गदाधर साहा : मंत्री महोदय ने कहा है कि जब दो या तीन डाक्टर मिलकर कोई नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं तब विशेष सुविधायें दी जाती हैं। परन्तु हमें भली भांति विदित है

कि नर्सिंग होम का उपचार बहुत मंहगा होता है और केवल धनीवर्ग के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। गरीब लोग यहां इलाज नहीं करा सकते। सरकार का विचार ऐसी योजनाओं से ग्रामीण निर्धन जनता की किस प्रकार सहायता करने का है !

श्री ए० के० किस्कु : यह अनुपूरक मूल प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है। डाक्टर अकेले भी तथा सहकारी आधार पर भी बैंक से ऋण माँग सकते हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के लिये है।

श्री गदाधर साहा : कितने नर्सिंग होम अथवा पालिक्लिनिक्स ने सरकार से इस प्रकार की सहायता प्राप्त की है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न में आपने पूछा है कि क्या कोई ऐसी योजना है। आपने आँकड़े नहीं मांगे हैं। उसके लिए आप अलग से नोटिस दें।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : उनका प्रश्न है कि सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों द्वारा सहकारी अस्पताल खोलने के लिये सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही करने का है। यदि ऐसा कोई अनुरोध किया जाता है तो उस पर विचार किया जायेगा। परन्तु सिन्डीकेट बैंक, कनारा बैंक, महाराष्ट्र बैंक, बड़ौदा बैंक आदि बैंकों के पास डाक्टरों की सहायता के लिए विशेष योजनायें हैं। सहकारी समितियों में कई डाक्टर एक साथ होंगे। इन बैंकों से एक या दो डाक्टर भी ऋण ले सकते हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है यह एक बहुत बड़ी समस्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी अस्पताल स्थापित करने के लिए केवल डाक्टरों की सहायता करना भी अधिक लाभकारी नहीं है।

श्री सुबोध हसदा : मंत्री महोदय ने कहा है कि डाक्टरों की सहायता के लिए बैंकों ने ऋण दिये हैं। अन्य तरीकों से डाक्टरों की सहायता करने अथवा ऋण देने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : उपभोक्ताओं को बैंकों की योजनाओं का पता है। सरकार को इनका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं।

बैरल खरीद के बारे में भारतीय तेल निगम और पैट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

*1063. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जून, 1971 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित बैरल खरीद के बारे में भारतीय तेल निगम और पैट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध की गई आलोचना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातों का एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) रिपोर्ट असत्य सूचना पर आधारित प्रतीत होती है।

विवरण

9 जून, 1971 के '**ब्लिट्ज**' में प्रकाशित रिपोर्ट की मुख्य बातें।

मुख्य बातें

(क) अन्तर-मंत्रालयीन निर्णय की उपेक्षा करते हुए कि बैरल-निर्माताओं को एक पारी से अधिक पारियों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी और विभिन्न यूनिटों की क्षमता के अनुसार आर्डर देने की साम्य पद्धति होगी ; भारतीय तेल निगम तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 9 लाख बैरलों की सप्लाई के लिए बम्बई के एक उद्यम का पक्षपात किया है।

(ख) भारतीय तेल निगम ने इस विशेष मामले में बातचीत करने के लिए आवश्यकता नहीं समझी थी, यद्यपि यह कलकत्ता में आर्डरों के लिये ऐसा करती रही है। इसके परिणाम स्वरूप बम्बई के उक्त उद्यम को आर्डर देने में इसे 33 लाख रुपये तक की हानि हुई।

(ग) भारतीय तेल निगम तथा मंत्रालय के सम्बद्ध अधिकारियों ने इस मामले के पूर्ण तथ्यों से निदेशकों के बोर्ड को जानकारी नहीं दी है।

(घ) पैट्रोलियम मंत्रालय के अनुरोध पर औद्योगिक विकास मंत्रालय ने बैरल यूनिटों पर एक शर्त लागू की है कि बैरल निर्माताओं को दिये जाने वाले इस्पात का 70 प्रतिशत अंश तेल कम्पनियों के लिए अवश्यमेव उपयोग में लाया जाना चाहिए।

(ङ) निर्माताओं में से भारतीय बैरल्स कम्पनी सबसे बड़ी कम्पनी है। यह कम्पनी भारतीय तेल निगम से प्राप्त होने वाले स्थाई आदेशों (आर्डरों) में कमी के कारण, इस्पात के अपने कोटे को उठाने में समर्थ नहीं हुई है।

श्री दिनेश जोरदर : मैंने प्रतिवेदन तथा मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण दोनों ही देखे हैं। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विवरण में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। उन्होंने मामले को यह कहकर टाल दिया है कि रिपोर्ट गलत सूचना पर आधारित है। मैं स्पष्ट रूप में यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर-मंत्रालय बैठक में किसी ऐसी व्यवस्था पर सहमति हुई थी कि प्रत्येक निर्माता को दिये जाने वाले इस्पात के कोटे से कुल निर्मित बैरलों का 75 प्रतिशत अंश तेल निगमों को सप्लाई किया जाये और क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी की गई थी कि भारतीय तेल निगम द्वारा प्रत्येक निर्माता को निर्माण क्षमता के अनुपात में बैरल सप्लाई करने के आदेश दिये जायें और क्या इस मामले में जहां एकाधिकारवादी पूंजीपति गोयनका बंधुओं की केवल एक फर्म के पास 9 लाख बैरल सप्लाई करने के आदेश दिये गये थे इस व्यवस्था को भंग किया गया था ?

श्री पी० सी० सेठी : इस विषय में सरकार के कोई निर्देश नहीं हैं। मैं यह बता कर स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक निर्मित बैरलों के 75 प्रतिशत सप्लाई किये जाने का प्रश्न है निर्माताओं को ये आदेश दिये गये हैं कि जिनका कोटा उन्हें आबंटित किया जाता है उसमें से 75 प्रतिशत तेल कम्पनियों को सप्लाई किया जायेगा शेष 25 प्रतिशत को निर्माता बाजार में बेच सकते हैं। परन्तु इसका निश्चित रूप से यह तात्पर्य नहीं है कि टेन्डर के न्यूनतम मूल्य की अव्हेलना करके निर्माताओं को सप्लाई आदेश दिये जायें।

श्री दिनेश जोरदर : तेल निगम को बैरल सप्लाई करने के लिये दो वर्ष की सीमा का अनुबन्ध किया गया है। गोयनका बंधुओं द्वारा नौ लाख बैरल सप्लाई करने के मामले में समय सीमा बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गयी है और उनके लिए सरलतापूर्वक अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी की गयी है। क्या मामले की विस्तृत जांच के उद्देश्य से इसे संसद की प्राक्कलन समिति के समक्ष रखा जायेगा ?

श्री पी० सी० सेठी : प्राक्कलन समिति सम्पूर्ण ब्यौरा देख सकती है। जो माननीय सदस्य चाहें मैं उन्हें ब्यौरा दिखाने के लिए तैयार हूं। जहां तक दो वर्ष की समय सीमा के अनुबन्ध का प्रश्न है टेन्डर की एक शर्त के अनुसार यह करार दो वर्ष में पूरा होना चाहिए था, परन्तु भारतीय तेल निगम ने टेन्डर में यह अनुबन्ध रखा कि समयावधि एक या दो वर्ष बढ़ाई जा सकती है।

Shri G. S. Mishra : I would like to know the reason as to why Bharat Barrels is in good books of Indian Oil Corporation where as Estimates Committee has condemned the concern in its 85th report and the Government of India, Hindustan Steel and certain other private oil Companies have black listed the said firm ?

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, प्रश्न इसके ठीक विपरीत है। अभी वह कह रहे थे कि भारत बैरल्ज को आदेश नहीं दिये गये हैं। अब माननीय सदस्य कहते हैं कि यह कम्पनी भारतीय तेल निगम की प्रियपात्र बनी हुई है। जहाँ तक भारत बैरल्ज का सम्बन्ध है इसकी एक विचित्र कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा परन्तु यदि दरों आदि के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रश्न किया जाता है तो मैं निश्चित ही उसकी सूचना दूंगा।

श्री उन्नीकृष्णन् : क्या निदेशक बोर्ड को 75 प्रतिशत प्रतिबन्ध के विषय में पता नहीं था ? क्या एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में बताये गए एकाधिकारवादियों को और अधिक समृद्ध बनाना भी पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय की नीति है ?

श्री पी० सी० सेठी : ऐसा करना निश्चय ही पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय की नीति नहीं है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह भारतीय तेल निगम के अधिकार में है क्योंकि संसद के अधिनियम द्वारा निगम को वस्तुओं के लिए आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

श्री उन्नीकृष्णन् : क्या बोर्ड को इस बात की सूचना दी गयी थी ?

श्री पी० सी० सेठी : बोर्ड को सूचित किया गया था और बोर्ड ने इस आदेश के लिए सर्वसम्पति से अपनी स्वीकृति दी थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय की यह बात मानते हुए कि सीधे मन्त्रालय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि निदेशक बोर्ड को अधिकृत रूप से यह नहीं बताया गया था कि औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा यह शर्त निर्धारित है कि 70 प्रतिशत इस्पात का उपयोग तेल कम्पनियों के हेतु किया जायेगा और क्योंकि उन्हें सूचना नहीं दी गयी थी इसलिए उन्होंने टेन्डर मांगने तथा न्यूनतम मूल्य वाले के आदेश देने की सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है ; क्या उन्होंने इस बात की जांच की है, तथा निदेशकों को इस मामले की सूचना क्यों नहीं दी गयी ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक मुझे पता है यह मामला अप्रैल में बोर्ड के सामने रखा गया था परन्तु यह अप्रैल की कार्य सूची में नहीं लिया जा सका इसलिए इसे मई में फिर से बोर्ड के सामने रखा गया और बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस कम्पनी को आदेश देने की स्वीकृति दे दी थी।

एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं जो इस प्रश्न से बहुत अधिक सम्बद्ध है। यह कहा गया है कि इसमें 33 लाख रुपये की हानि है। वास्तव में यह इस आधार पर निकाला गया है कि वास्तव 58.56 लाख रुपये का लाभ हुआ है। यदि माननीय सदस्य दरों का विवरण जानना चाहते हैं मैं निश्चित रूप से उन्हें सभा पटल पर रखूंगा, अथवा यदि माननीय सदस्य मुझ से आकर चर्चा करना चाहते हैं। मैं उन्हें सब जानकारी देने को तैयार हूँ।

सेना अध्यक्ष द्वारा सैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की मांग

*1064. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना अध्यक्ष ने जैसा कि समाचार पत्रों में खबर थी, सभी सैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल सेना अध्यक्ष को ही वेतन आयोग के समक्ष अधिकारियों और जवानों की कठिनाइयां प्रस्तुत करने का अधिकार है ; और

(ग) सेनाध्यक्ष के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने की दशा में प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त राशि खर्च होने का अनुमान है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण सम्बद्ध है।

विवरण

वेतन आयोग के विचारार्थ विषय के अंतर्गत बातों पर, सिविलियन कर्मचारियों के संबंध में वेतन आयोग ने संघों तथा कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों तथा सरकारी कर्मचारियों से व्यक्तिशः भी उनके विचारों के लिए ज्ञापन आमंत्रित किए थे। सशस्त्र सेना के कार्मिकों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार संघ/यूनियनों को स्थापित करने की अनुमति नहीं है। उन्हें व्यक्तिशः वेतन

आयोग को सीधे ज्ञापन भेजने की भी अनुमति नहीं है। अतः विचारार्थ विषय के अंतर्गत अनेक मामलों को जांचने के संबंध में तीनों सेवा मुख्यालयों तथा एक्सपर्ट सैल ने उठाया था जिसे सेना मुख्यालय द्वारा अनेक प्रस्तावों की संवीक्षा करने तथा समन्वय करने तथा सेना, नौसेना तथा वायु सेना के कमांडों के प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त, जैसी कि वेतन आयोग ने इच्छा व्यक्त की थी सेना नौसेना, वायुसेना तथा तीनों सेवा मुख्यालयों की रिपोर्ट को एक्सपर्ट सैल को भेज दिया गया था कि वेतन आयोग सचिवालय को भेज दी गई है। चीफ आफ आर्मी स्टाफ, चीफ आफ नैवल स्टाफ तथा चीफ आफ एयर स्टाफ के मार्गदर्शन में तीनों सेवाओं के तीन वरिष्ठ सैनिक विशेषज्ञों ने प्रस्तावों की जांच की है तथा आयोग के द्वारा विचार किए जाने के लिए रिपोर्ट को सशस्त्र सेना के कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों के प्रस्तावों को वेतन आयोग को भेज दिया गया है।

2. सेना के कार्मिकों के सम्बन्ध में केवल चीफ आफ आर्मी स्टाफ ही अकेले वक्ता नहीं हैं तथा इस सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा मामले की विभिन्न सूत्रों द्वारा जांच करती है।

3. सेना कार्मिकों के सम्बन्ध में दिए गए प्रस्तावों को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो लगभग 225.04 करोड़ रुपए का अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए प्रभाव पड़ेगा तथा अफसरों के लिए 20.39 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में कहा गया है कि केवल सेना अध्यक्ष ही सैनिकों का प्रतिनिधि नहीं है और वेतन आयोग इस सम्बन्ध में अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगा। अब जब कि ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि वेतन आयोग अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगा, तो उन्हें जानकारी मिल गई होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे अन्य लोग कौन हैं, किस पद के लोगों जिन से इस सम्बन्ध में पूछताछ की जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वेतन आयोग का गठन करते समय सैनिक सेवाओं का मामला भी उनके पास भेजा गया था। सशस्त्र सेना मुख्यालय में एक विशेषज्ञ कक्ष बनाया गया था। सेना के तीनों अंगों ने मिल कर इस प्रश्न पर विचार किया था और वेतन आयोग के सम्मुख अपने विचार रखे थे। प्रत्येक अंग के एक वरिष्ठ अधिकारी को यह काम सौंपा गया था। मेरा अनुभव है कि वेतन आयोग इस काम के लिए विशेष रूप से रखे गये इन अधिकारियों को भी परामर्श करेगा जो सेना के अभ्यावेदन और विचार वेतन आयोग को भेजते रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'मेरा अनुमान है' से माननीय मन्त्री का क्या आशय है। विवरण में स्पष्ट लिखा है कि वेतन आयोग अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगा।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : वेतन आयोग जवानों और अधिकारियों को कार्य की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सीमा क्षेत्र पर तैनात कुछ यूनिटों का दौरा करने वाला है। वहां वे कुछ अधिकारियों और जवानों से चर्चा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में यह भी बताया गया है कि सेनाध्यक्ष द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों विशेष कर सेना के सम्बन्ध में को यदि मान लिया जाता है तो अधिकारियों के निचले पदों के लिए 225.04 करोड़ रुपये और अधिकारियों पर 20.39 करोड़ रुपये अधिक व्यय करने होंगे। इस तथ्य के बावजूद कि ये प्रस्ताव अन्य किसी के अलावा अधिकारियों द्वारा रखे हैं, ऐसी

सम्भावना है कि बिना किसी सोच विचार के अन्य पदों का वेतन कम कर दिया जायेगा, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक कल्पित प्रश्न है और नीति सम्बन्धी प्रश्न है। साधारणतः वेतन के आयोग विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयों के अधिकार प्राप्त अधिकारियों के विचार आमन्त्रित करता है और सरकार के निर्णयों के अनुसार इन विचारों को वेतन आयोग के पास भेजा जाता है। मैं समझता हूं इस समय इस सम्बन्ध में कुछ संकेत देना समय पूर्व कहना होगा। ये प्रस्ताव वेतन आयोग के सामने रखे गये हैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या अंतरिम सहायता के सम्बन्ध में की गई वेतन आयोग की सिफारिशों को सशस्त्र सेना में पूरी तरह से लागू किया गया है और उन्हें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 15-45 रुपये नहीं दिये गये हैं बल्कि उसमें से कुछ राशि कम कर दी गई है क्योंकि उन्हें खाद्य सामग्रियों और अन्य वस्तुओं के मूल्य में कुछ रियायत मिलती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस प्रश्न से पैदा होता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह वेतन आयोग के सम्बन्ध में है, कृपया विवरण को पढ़ें।...

अध्यक्ष महोदय : यह उससे सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न सेनाध्यक्ष द्वारा सेना कर्मचारियों का वेतन और भत्ते बढ़ाने की मांग के सम्बन्ध है।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया विवरण को पढ़ें...

अध्यक्ष महोदय : यह उससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह सम्बन्धित है। ये सभी रिपोर्टें और ज्ञापन योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए थे। मैं मुख्य प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं। बहुत से प्रश्नों को उत्तर दिया गया है। सेना के कर्मचारियों के पूरे प्रश्न को वेतन आयोग को भेजा गया है। मेरा प्रश्न यह है कि अन्तरिम सहायता की सिफारिश को, जो वेतन आयोग की ही सिफारिश है, लागू किया गया है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा प्रतिष्ठानों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार

*1065. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना लागू की जाएगी ;

(ख) यदि हाँ, तो कब से ;

(ग) उक्त परिवर्तन के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस बारे में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ की राय ली गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना दिल्ली/नई दिल्ली, इलाहाबाद तथा बम्बई के रक्षा स्थापनाओं के सिविलियन कर्मचारियों के लिए क्रमशः 1 मई, 1954, 17 मार्च, 1969 तथा 1 जुलाई, 1971 से प्रारम्भ की गई है। 1972-73 के दौरान इस योजना को मेरठ, कलकत्ता तथा कानपुर में लागू करने का प्रस्ताव है।

(ग) चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक रूप से व्यवस्था करने के विचार से योजना को विभिन्न स्थानों में लागू किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (जिसमें रक्षा सिविलियन भी शामिल हैं) के लिए चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की वैकल्पिक पद्धति सरकार के लिए महंगी है, संतोषजनक चिकित्सा सेवा प्रदान नहीं करती हैं तथा उसमें प्रतिपूर्ति के दावों के निपटाने में भी विलम्ब होता है।

(घ) जी नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आयुध कारखानों के अपने हास्पिटल हैं। पर एम० ई० एस० जैसी जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलीटरी हास्पिटलों पर ही आधारित रहना पड़ता है। क्या उन कर्मचारियों के लिए रक्षा प्रशासन में हास्पिटल न होने की दशा में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना सभी जगह लागू कर दी जाएगी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है यह एक स्थायी योजना है और उस योजना के अनुसार यह सुविधाएं उन जगहों मे दी जाती है जहाँ पर्याप्त संख्या में रक्षा कर्मचारी होते हैं। उस योजना के अनुसार जो सुविधायें हमने दी हैं उसका जिक्र मैंने अपने मूल उत्तर में पहले ही कर दिया है। जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति ने विस्तार के सम्बन्ध में एक निश्चित योजना दी है और हम सख्ती से उसका पालन कर रहे हैं। हम इस कठिनाई से अवगत हैं और जैसा कि बताया गया है चौथी पंचवर्षीय योजना में हम इसका विस्तार वहां तक करेंगे जहां तक कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस योजना के लागू होने पर रक्षा सेवाओं में दो योजनायें रहेंगी एक तो आयुध कारखानों की जहां उनके अपने हास्पिटल है और एक अन्य स्थानों पर काम करने वालों के लिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रथमतः वह गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए ही है। आयुध कारखानों के लिए अलग योजनायें हैं जो इस योजना से अलग चलती हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री ने गैर-औद्योगिक संस्थानों का जिक्र किया। क्या यह औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आयुध कारखानों में हम अलग योजना रखेंगे। यह योजना औद्योगिक संस्थानों में काम कर रहे गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए है।

नगरीय एवं ग्रामीण आवास समस्याओं को हल करने के लिये सुझाव

*1067. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के आवास मंत्रियों की कई बैठकों में ग्रामीण आवास की समस्या को हल करने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे ;

(ख) बैठकों में की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) राज्यवार नगरों में मकानों को कितनी कमी है, और इसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

ग्रामीण आवास की समस्या पर विचार करने के लिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है । तथापि, जनवरी 1970 में, नई दिल्ली में तथा जुलाई, 1970 में जयपुर में हुई राज्यों के आवास मंत्रियों के पिछले दो सम्मेलनों की चर्चा में ग्रामीण आवास की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई । दोनों सम्मेलनों की मुख्य सिफारिश अनुलग्नक I और II में दी गई है ।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आवास की वास्तविक कमी के बारे में कोई विश्वसनीय ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । 1971 की जन-गणना के दौरान कुछ ब्यौरा इस बारे में एकत्रित किया गया है परन्तु इस को सारणीबद्ध करने और तैयार करने में कुछ समय लगेगा । तथापि, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के लिए आवास पर कार्यकारी ग्रुप ने यह अनुमान लगाया था कि योजना की अवधि आरम्भ होने पर (अप्रैल 1969) देश के नगरीय क्षेत्रों में आवास की कमी 119 लाख एकक थी ।

सरकार ने देश के नगरीय क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लोगों की आवास स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनायें आरम्भ की हैं ।

		आरम्भ करने का वर्ष
1.	औद्योगिक कर्मचारियों और सामुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना ।	1952
2.	निम्न आय वर्ग आवास योजना	1954
3.	गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना	1956
4.	मध्यम आय वर्ग आवास योजना	1959

		आरम्भ करने का वर्ष
5.	भूमि अर्जन तथा विकास योजना	1959
6.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया-आवास योजना	1959
7.	झुग्गी-झोपड़ी हटाओ योजना (दिल्ली के लिए)	1960

राज्य क्षेत्र में विभिन्न आवास और नगर-विकास योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 193.27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। क्योंकि यह सभी योजनाएं राज्य क्षेत्र में आती हैं, राज्य सरकारें अपनी निजी आवश्यकताओं तथा विभिन्न जरूरतों के लिए सम्बन्धित प्राथमिकताओं के अनुसार, इन योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए, चौथी योजना की 193.27 करोड़ रुपए की व्यवस्था में से, उपयोग में लाये जाने वाली राशियों को निश्चित करने में स्वतन्त्र हैं।

सरकार ने राज्य सरकारों को उन के आवास और भूमि विकास कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के लिये, राज्य प्लान सीमा के बाहर प्रमुखतया नगरीय क्षेत्रों में ऋण सहायता देने के लिए, आवास तथा नगर विकास वित्त निगम भी स्थापित किया है। निगम की साम्य पूंजी के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल की गई है।

विवरण-I

दिल्ली में जनवरी 1970 में हुए राज्यों के आवास और नगर विकास मंत्रियों के सम्मेलन में ग्रामीण आवास के संबंध में किये गये महत्वपूर्ण सुझाव

1. भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल देने का प्रश्न तेजी से हल किया जाना चाहिए।

2. राज्य सरकारों को ग्रामों के अन्दर और आस पास फिलहाल उपलब्ध सरकारी भूमि में से भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल आवंटित करने की गुंजाइश का अध्ययन करना चाहिये और ऐसे अध्ययन के परिणाम केन्द्रीय सरकार को सूचित करने चाहिएं।

3. राज्य सरकारों को उचित कानून द्वारा उन भूमिहीन मजदूरों को वास भूमि के अधिकार देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये जो आवास स्थलों के रूप में भूमि के अस्थायी दखल में हैं।

4. भूमिहीन मजदूरों को उन द्वारा एक सीधे सादे मकान बनाने के लिये, नकद या निर्माण सामग्री के रूप में सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

5. ग्रामीण आवास को राज्य से केन्द्रीय क्षेत्र में स्थानान्त्रित करने के प्रश्न पर और तद्धीन अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिये।

विवरण II

जयपुर की बैठक में प्राप्त निष्कर्षों का संक्षेप

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों, विशेषतया भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था तथा उनके लिए मकानों के निर्माण, को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है वहां भूमिहीन कृषि मजदूरों को बिना लागत के (अथवा नाममात्र लागत पर) आवास स्थल उपलब्ध करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा अपने साधनों में से अपेक्षित भूमि अर्जित की जानी चाहिये।

(ख) साधनों की कमी तथा समस्या की विशालता को देखते हुए, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को सारे राज्य भर में अपने अल्प साधनों के फैलाने के बजाए चयनात्मक आधार पर आरम्भ किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य को प्रत्येक एक करोड़ की जन-संख्या के पीछे ग्रामीण आवास के तेज कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए एक जिले को चुनना चाहिए। एक करोड़ से कम की जन संख्या वाले प्रत्येक राज्य आदि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक जिले को चुन सकते हैं।

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिये अपेक्षित व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया जाना चाहिये और शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकारों को स्वयं वहन करना चाहिये। इस कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली सहायता, यदि कोई है, के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाये।

(घ) चुने हुए जिलों के शीघ्र सर्वेक्षण द्वारा, राज्य सरकारों को, सरकारी तथा अन्य भूमि की उपलब्धता और अपेक्षित आवास स्थलों की संख्या, निर्माण किये जाने वाले मकानों की संख्या, और इस उद्देश्य के लिए वांछित निधियों का मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसे मकानों के निर्माण के लिये अपनाए जाने वाली विशिष्टियों को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

(ङ) उपरोक्त (घ). के ब्यौरे को केन्द्रीय निर्माण आवास और नगर विकास विभाग को सितम्बर 1970 तक भेज देना चाहिए, ताकि मामले पर आगे विचार हो सके और तुरन्त उपयुक्त उपाय किए जा सकें।

(च) इसे परिकल्पित विशाल कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, पूंजी के अतिरिक्त, संस्थागत साधनों को जुटाना आवश्यक होगा। इसके लिये और अध्ययन की जरूरत होगी।

Shri K. C. Pandey : The eastern part of Uttar Pradesh is inhabited by the poor people. Have the Government given any assistance to them for the construction of houses and if so, how much ?

श्री आई० के० गुजराल : ग्रामीण आवास की समस्या निश्चय ही बड़ी गम्भीर है और चिन्ता का विषय है। 1964-65 में किए गये नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 8 करोड़ 60 लाख

परिवार ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन हैं और ऐसा माना जाता है कि उनमें लगभग सभी के पास रहने के लिये मकान की जगह नहीं है। यह एक बड़ा कार्यक्रम है और सरकार वास्तव में इस सम्बन्ध में चिन्तित है। कुछ राज्यों ने इस ओर कुछ कदम उठाये हैं। उदाहरणस्वरूप हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिजनों को आवास स्थान देने के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि इस दिशा में अब तक कितना कार्य हुआ है, पर सात या आठ राज्यों में जहां कुछ काम शुरू किया गया है वहां के आंकड़े बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि नौ राज्यों में अब तक केवल 1922 आवास के स्थान दिए गये हैं और समस्या जबकि वास्तव में बहुत ही बड़ी है।

Shri K. C. Pandey : So far as we know no grant has been given for the Janpad township. The procedure of taking loan or grant is so complicated that it is difficult for the poor and labours to have the loan materialised. Is the government prepared to help in sending the forms to the poor ?

Shri I. K. Gujral : I have got every sympathy with them and we have this is our mind that the situation of housing is very acute in rural areas . . .

Mr. Speaker : He asked about the supply of forms.

Shri I. K. Gujral : So far as the question of forms is concerned State Governments want to do that work, but the progress has been so little that it is not possible to say for what purposes the forms are being issued.

Shri M. C. Daga : May I know whether with a view to solving the housing problem in cities government will allot the vacant land of privale individuals who do not use house, lands ?

Mr. Speaker : Here the question is about rural areas. It does not arise out of it.

पश्चिमी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने

*1070. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा चुने गये स्थानों के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो चुने गये स्थानों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) देश में अतिरिक्त परिष्करण क्षमता तथा उसके स्थान के बारे में अध्ययन करने के लिये अप्रैल, 1969 में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्ति की गई। इस समिति ने उत्तर-पश्चिम में एक परिष्करणशाला की स्थापना के लिये सिफारिश की थी। भारतीय तेल निगम को इस परिष्करणशाला की एक सम्भाव्य रिपोर्ट, जिसमें तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न स्थानों के लाभ एवं हानियों का उल्लेख हो, तैयार करने के लिये कहा गया था। रिपोर्ट केवल 1 जुलाई 1971 को प्राप्त हुई है तथा उसकी जाँच की जा रही है। स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या उत्तर के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि क्या कांडला पत्तन पर आने वाले कच्चे तेल का उपयोग करने के लिये गुजरात में एक तेल शोधक कारखाने के लिये स्थान चुना जायेगा ?

श्री पी० सी० सेठी : अनेकों स्थानों का अध्ययन किया गया है और तेल शोधक कारखाने का स्थान कच्चे तेल के मिलने के दृष्टिकोण से तय नहीं किया जायेगा पर तेल की खपत के आधार पर भी तय होगा। तैयार माल की अपेक्षा कच्चे तेल को ले जाना अधिक आसान है इसलिए हम कारखाने की स्थापना ऐसी जगह करेंगे जहाँ खपत हो।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या इसके लिए गुजरात में उचित स्थान चुने जाने पर विचार किया जाएगा क्योंकि इस प्रश्न पर विचार करने वाली समिति ने भी बम्बई की सिफारिश की थी। अतः क्या गुजरात में उचित स्थान पर विचार किया जाएगा अथवा नहीं।

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक पश्चिमी तट का सम्बन्ध है वहां पर्याप्त तेल शोधक कारखाने हैं। इसलिए वह तैयार माल काफी मात्रा में उपलब्ध है। हमें तैयार माल बम्बई से उत्तर और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों को ले जाना पड़ता है। इसलिए तकनीकी सलाह यह है कि जहां खपत अधिक हो वहां तेल शोधक कारखाना स्थापित करना अधिक उचित होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एक पृथक कम्पनी के जरिये अशोधित तेल का आयात और खरीद

*1052. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अशोधित तेल के आयात के लिये अपने कार्यों में विस्तार किया है और उक्त कार्य के लिये उसने एक अलग कम्पनी पंजीकृत की है, यदि हां, तो कब की और इसमें क्या प्रगति हुई है ;

(ख) फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते मूल्यों पर अशोधित तेल खरीदने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ;

(ग) आयातित अशोधित तेल की लागत कम करने के विचार से इसके परिवहन हेतु टैंकरों का भारतीय बेड़ा बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार अशोधित तेल की लागत कम करने के लिए देश के सभी अन्तर्देशीय तेल शोधक कारखानों में आयातित अशोधित तेल को बंदरगाहों से पाइप-लाइन द्वारा ले जाने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भारतीय तेल निगम ने अशो-

धित तेल की सीमित आयात के लिये अपने कार्यों में विस्तार किया है, किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक कम्पनी का पंजीकरण नहीं किया गया है।

(ख) जी हां। सरकारी क्षेत्र की परिष्करणशालाओं के लिये अशोधित तेल का आयात करने की दृष्टि से सरकार इस विषय पर विभिन्न पार्टियों के साथ पत्राचार कर रही है। इस पत्राचार के स्वरूप को बताना जनहित में नहीं है।

(ग) जी हां। मद्रास परिष्करणशाला के लिये दो बड़े जलयान प्राप्त किये जा कुके हैं। कोचीन परिष्करणशाला के लिये उसी श्रेणी के दो जलयानों के लिये आर्डर दिया गया है। हल्दिया बन्दरगाह पर अशोधित तेल ले जाने के लिये इस प्रकार के दो जलयान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। कई भारतीय जलयान बम्बई तथा विशाखापत्तनम स्थित परिष्करणशालाओं को किराये पर दिये जा चुके हैं।

(घ) जी हां। बरौनी स्थित एक मिलियन मीटरी टन क्षमता की परिष्करणशाला और उत्तर पश्चिम तथा कोयाली स्थित परिष्करणशालाओं के लिये अशोधित तेल को पाइपलाइन द्वारा ले जाने की सम्भाव्यता पर सरकार विचार कर रही है।

हल्दिया उर्वरक परियोजना

*1055. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया उर्वरक परियोजना में एक वर्ष से भी अधिक की देरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). हल्दिया में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये संभाव्य रिपोर्ट सरकार को फरवरी, 1970 में प्राप्त हुई थी और उस पर विचार किया जा रहा है।

भारत में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक की सहायता

*1057. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने, विश्व बैंक की प्रेरणा से उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उर्वरक एककों के सम्बन्ध में "बाधा निवारण कार्यक्रम" आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन एककों के कार्यकाज का पुनर्विलोकन किया जा रहा है और उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता मिलेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों ने अत्यधिक उत्पादन को अधिकतम बनाने के प्रश्न का अध्ययन विश्व बैंक ने

किया था जिन्होंने गोरखपुर नामरूप और ट्राम्बे में स्थित भारतीय उर्वरक निगम के कारखानों की कठिनाइयों को दूर करने के कार्यक्रम (डीबाटिलनेकिंग प्रोग्राम) का सुभाव दिया है। निगम द्वारा इन सुभावों के अध्ययन किये जाने और विश्व बैंक से बातचीत के पश्चात् गोरखपुर को डीबाटिलनैकिंग प्रोग्राम के लिए चुना गया है और इसे अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके द्वारा इस कारखाने की नाइट्रोजन की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 80,000 मीटरी टन से बढ़-कर 1,40,000 मीटरी टन तक हो जाने की आशा है। ट्राम्बे स्थित कारखाने में डीबाटिलनैकिंग प्रोग्राम यदि संभव हुआ तो बाद में शुरू किया जायेगा। नामरूप यूनिट में डीबाटिलनैकिंग प्रोग्राम आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है। गोरखपुर में डीबाटिलनैकिंग प्रोग्राम (अपराध निवारण कार्यक्रम) के लिये विश्व बैंक की सहायता के प्रश्न पर उनसे बातचीत हो रही है।

विमानों की उड़ान के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का क्षेत्राधिकार

*1058. **श्री रामचन्द्रन कडमापल्ली** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विमानों की उड़ानों के बारे में भारत पाकिस्तान के विवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के क्षेत्राधिकार को अपने हाल के पत्र में चुनौती दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन की 27 जुलाई 1971 को बैठक में यह प्रश्न उठाया जायेगा।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नये स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये वित्तीय सहायता

*1060. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल ने वहां पर और अधिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता देने हेतु कोई विशेष अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नये स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिये पर्याप्त सहायता देगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का काम केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत किया जाता था। इसमें भवनों के लिए 75% सहायता जो कि अधिक से अधिक 60,000 रुपये हो सकती थी, उपस्कर के लिए 7,500 रु० और आवर्ती खर्च

के लिए 50% सहायता जो कि अधिक से अधिक 8,500 रुपये तक हो सकती थी, दी जाती थी। वर्ष 1966-67 से 1968-69 के दौरान केन्द्रीय सहायता ऊपर बताई गई सीमाओं तक केवल भवन के निर्माण के लिए दी गई।

चौथी योजना अवधि में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, भवनों और स्टाफ क्वाटरों के निर्माण तथा वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती। अब यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

फिर भी, 27 अगस्त, 1970 को राज्य सरकारों से निवेदन किया गया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सभी खण्डों में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसा कोई क्षेत्र न रहे जहां स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध न हों। पश्चिम बंगाल सरकार, चौथी योजना समाप्त होने से पहले सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1-4-1969 को जिन 110 खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं थे उनमें 38 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना चाहती है। राज्य सरकार ने 1969-70 में 11 तथा 1970-71 में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिये हैं। इस समय 97 शण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं।

एलेप्पी मेडिकल कालेज, केरल में बाल चिकित्सा वार्ड खोलने के लिये रूस से सहायता

*1066. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने केरल में एलेप्पी मेडिकल कालेज में बाल चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा वार्ड खोलने के लिये सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ग) क्या सरकार ने पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग). एलेप्पी मेडिकल कालेज में बाल चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा वार्ड खोलने के लिए रूस सरकार से भारत सरकार को सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। वैसे, मेडिकल कालेज एलेप्पी में भौत चिकित्सा और बाल चिकित्सा का एक एक यूनिट खोलने के लिए रूस की सरकार से सहायता का अनुरोध करते हुए केरल सरकार से एक प्रस्ताव मिला था। उक्त राज्य सरकार के परामर्श से इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

Agitations in Support of Bangla Desh by People of Jammu and Kashmir-Occupied Area by Pakistan

*1068. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the people of territory of Jammu and Kashmir State, which is under illegal occupation of Pakistan, have initiated popular agitations in support of the people of Bangla Desh ; and

(b) if so, the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The Government of India have no authentic information in the matter as the area is under the illegal military occupation of Pakistan. However, we receive reports from time to time about disatisfaction prevailing in Pakistan-Occupied Kashmir. According to press reports, there is great resentment in Pakistan Occupied Kashmir, particularly in its northern part, against Pakistan's repressive policies. It has also been reported that the uprising of the people of the area is being crushed with renewed vigour as it has drawn inspiration from the struggle of the people of Bangla Desh.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के लिये आवश्यक वस्तुओं की खरीद का काम करने वाली ऐजेंसी

*1071. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के लिये आवश्यक विभिन्न वस्तुओं की खरीद करने वाली एजेंसी का नाम क्या है ;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर सप्लाई की जाने वाली भेषज और औषधियों का यदाकदा परीक्षण किया जाता है ।

(ग) क्या उक्त माल प्रायः ऐसे गैर-निर्माताओं से खरीदा जाता है जो बिचौलियों के रूप में काम करते हैं ; और

(घ) दवा देने से पूर्व प्रत्येक दवा पर कितने परीक्षण किये जाते हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपनी जरूरत की चीज़ें खुद ख़रीदता है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन का औषधि-नियंत्रक अपनी इच्छानुसार औषधियों और दवाओं की याहच्छिक जांच करता है । जहां आवश्यक हो, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुरोध पर भी ऐसा करता है ।

(ग) सामान्यतया, खरीद निर्माताओं अथवा अपने अधिकृत वितरकों से ही की जाती है । गैर निर्माताओं से खरीद अपरिहार्य स्थितियों में ही की जाती है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन के औषधि-नियंत्रक द्वारा की जाने वाली जांच के अलावा दवा प्रयोग करने से पूर्व यह देखने के लिये कि कहीं वह अपवर्णित तो नहीं है या उसमें कोई बाहरी चीज तो नहीं मिली है अथवा उसकी तिथि तो समाप्त नहीं हो गई है उनकी जांच करली जाती हैं । बतलाये जाने पर संवेदनशीलता परीक्षण भी कर लिया जाता है ।

पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में उर्वरक उद्योग समूह

*1072. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल के उत्तरी बंगाल क्षेत्र में उर्वरक की भारी मांग

को दृष्टि में रखते हुए, उस क्षेत्र में एक उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व एक विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के आधार पर योजना आयोग ने यह व्यक्त किया था कि उत्तरी बंगाल में एक उर्वरक परियोजना स्थापित की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) उत्तरी बंगाल में उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी नहीं । सरकार को विशेषज्ञ समिति की ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है जिस में उत्तरी बंगाल में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का सुझाव दिया गया हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औषध निर्माता फर्मों द्वारा लाभांश को अपने-अपने देशों को भेजना

*1073. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी विदेशी औषध निर्माता फर्मों की संख्या कितनी है कि जिनका कि साम्य पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, और जिन्होंने गत तीन वर्षों में लाभांश, रायल्टी तथा बढ़ा कर बनाए गए बीजकों के रूप में कितना धन अपने-अपने देशों को भेजा है ; और प्रत्येक फर्म ने कितना धन भेजा है ;

(ख) क्या दवाओं की टिकियों और इंजेक्शनों की तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध होने पर भी विदेशी फर्मों को अपना विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में हमारे देश की तकनीकी जानकारी को उपयोग में लाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) ऐसी 35 विदेशी फर्में हैं जिनका साम्य पूंजी में 50 प्रतिशत हिस्सा है । इन फर्मों में से किसी फर्म द्वारा बढ़ा कर बनाये गये बीजकों के बारे में इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है । लाभांश, रायल्टी आदि के बाहर भेजे जाने से संबंधित सूचता एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) और (ग). तकनीकी जानकारी, चाहे वह विदेशी फर्मों के पास है अथवा भारतीय कम्पनियों के पास है, का पूरी तरह से प्रयोग किया जाता है और विदेशी जानकारी विदेशों से उपलब्ध करना केवल उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ इस समय देशी जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही निकट भविष्य में उसके उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए क्षमता के विस्तार के प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित एकक को हानि

*1074. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित एकक को वर्ष 1968-69 में 40.46 लाख रुपये का लाभ हुआ था परन्तु वर्ष 1969-70 में 302.30 लाख रुपये की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो केवल एक ही वर्ष के अंदर 342.76 लाख रुपये का घाटा होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) कमी होने के निम्नलिखित कई कारण थे :

(1) उत्पादन में कमी जिसके परिणामस्वरूप नियत खर्चों के लिए कम अंशदान।

(2) डी०ए०पी०, पोटाश, सल्फर, पैकिंग सामग्री, बोरियों तथा बिजली की दरों और अन्य सामग्रियों के मूल्यों एवं उनकी खपत में वृद्धि।

(3) यूरिया तथा सम्मिश्र उर्वरकों के सज्जित स्टाक में कमी।

(4) मरम्मतों तथा देख-रेख भाड़े एवं चढ़ाने उतारने के खर्चों और अन्य नियत खर्चों में वृद्धि।

(5) नेफ्था के मूल्यों में वृद्धि आदि जैसे पिछली अवधि के समायोजन, दी गई सामग्री का समायोजन आदि।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त द्वारा बंगला देश की स्थिति के बारे में दिया गया वक्तव्य

*1075. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त श्री सदरुद्दीन ने कहा है कि बंगला देश की स्थिति पुन: सामान्य होती जा रही है जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका खंडन करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बाद में मिली अखबारी खबरों के अनुसार सयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों के उच्च आयुक्त ने पूर्वी बंगाल में स्थिति सामान्य होने की स्थिति के बारे में कुछ कहा था इस बात से इंकार कर दिया है।

(ख) शरणार्थियों का भारत में आना जारी है इनकी 8 जुलाई, 1971 तक कुल संख्या 67,33,019 हो गई है, यह बात इस तथ्य को निश्चयात्मक प्रमाण है कि पूर्वी बंगाल में स्थिति सामान्य नहीं है।

भारतीय नौसेना पोत का डूब जाना

*1076. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना का एक जहाज जिस पर तीन अधिकारी तथा 30 नाविक सवार थे 19 जून, 1971 को मद्रास से पूर्व की ओर लगभग 250 मील दूर डूब गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दुर्घटना के कारणों का पता लगाया गया है ; और

(ग) क्या उनमें से कुछ व्यक्ति जीवित बच गये हैं, और यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). 19 जून, 1971 को सायं बजे मद्रास के पूर्व की ओर लगभग 250 मील पर आई०एन०एस० 'अजीत', डूब गया जबकि उक्त जहाज को आई०एन०एस० 'मगर' द्वारा खींच कर पोर्टब्लेयर से मद्रास होते हुए विशाखापत्तनम ले जाया जा रहा था। जहाज पर 3 अफसर, 25 नाविक एवं 1 असैनिक कर्मचारी थे। 3 नौसेना के जहाज और 1 वायु सेना के डकोटा द्वारा बचाव कार्यवाही की गई और 18 बचे हुये व्यक्ति (1 अफसर और 17 नाविक) उठा लिये गये। ऐसा अनुमान है कि 11 व्यक्ति (2 अफसर, 8 नाविक एवं 1 असैनिक) डूब गये। मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का प्रश्न विचाराधीन है। एक जांच बोर्ड उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिनसे यह दुखद घटना हुई।

वायु सेना अध्यक्ष को "लीजन आफ मैरिट" पुरस्कार

*1077. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना अध्यक्ष श्री पी० सी० लाल को अमरीकी सरकार ने "लीजन आफ मैरिट" का पुरस्कार दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अध्यक्ष द्वारा यह पुरस्कार स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) रक्षा सेवा अधिकारियों द्वारा विदेशी पुरस्कार स्वीकार करने के सम्बन्ध में भारतीय सरकार की क्या नीति है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को विदेशी पुरस्कार एवं सम्मान लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास के अनुरोध पर, भारत सरकार ने सारी संबंधित परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, एयर चीफ मार्शल पी०सी० लाल डी०एफ०सी०, चीफ आफ एयर स्टाफ को उनके हाल की संयुक्त राज्य यात्रा के दौरान, "लीजन आफ मैरिट"

से सम्मानित करने के प्रस्ताव से सहमत हो गई थी। तदनुसार यू०एस०ए० सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार को उक्त अफसर ने स्वीकार किया है।

दिल्ली में रक्त की चोरबाजारी

*1078. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर रक्त की चोर बाजारी चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का सम्बन्ध है उनके पास अपने रक्त-बैंक हैं और वे अपने भण्डारों से अपनी सारी आवश्यकता पूरी करने में समर्थ हैं। व्यावसायिक रक्त-दाताओं को निर्धारित दरों पर सीधे ही भुगतान कर दिया जाता है। कोई रक्त-दाता जिसका स्वास्थ्य किसी प्रकार से गिरा हुआ हो, उसे रक्त-दाता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।

Statement made by Shri Toby F. H. Jessel regarding Massacre of Hindus in Bangla Desh

*1079. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the daily "**Hindustan**" of 27th June, 1971 to the effect that Shri Toby F. H. Jessel, a Conservative Member of British Parliament has said that "I have gathered sufficient proof that a large number of Hindus are still being massacred in Bangla Desh daily" ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. The news-item appeared in the "**Hindustan**" of the 29th June.

(b) The statement confirms our own information and reports of foreign correspondents.

Visit of Swiss Ambassador to Culcutta and Dacca regarding Repatriation of Diplomatic Staff

*1080. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(e) whether one Swiss Ambassador recently visited Calcutta and Dacca so as to en-

able the staff of Indian and Pakistani embassies in Dacca and Calcutta to go to their respective places ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अनुशासन-सतर्कता सम्बन्धी विचाराधीन मामले

4 69. **श्री सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि एवं विकास कार्यालय, लोक निर्माण विभाग और मुद्रण तथा लेखन सामग्री मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में 1 जनवरी, 1966 से पहले चलाये गये बहुत से अनुशासन-सतर्कता सम्बन्धी मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इन मामलों का निपटान करने के लिये विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 जनवरी, 1966 से पहले चलाए गए केवल पांच अनुशासन-सतर्कता सम्बन्धी मामले अनिर्णीत पड़े हैं । भूमि तथा विकास अधिकारी, और मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के कार्यालयों में ऐसा कोई मामला अनिर्णीत नहीं पड़ा है ।

(ख) पांच मामले, जैसे कि ऊपर बताए गए हैं । ये मामले कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । उनके शीघ्र निपटान के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अधिशासी इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों की भर्ती

4470. **श्री सोम सुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने संग लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके सहायक अधिशासी इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती बन्द करने का निर्णय किया हैं जिसमें उतने ही योग्य एवं अच्छे अनुभवी विभागीय इंजीनियरों की शिकायतें दूर की जा सकें और उनका मनोबल बना रहे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : सहायक कार्यापालक इंजीनियर (कनिष्ठ श्रेणी-1) के ग्रेड में सीधी भर्ती समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सहायक इंजीनियर (श्रेणी-2) के स्तर पर सीधी भर्ती आस्थगित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता और मजगाँव गोदी बम्बई में कर्मचारियों द्वारा मरम्मत का काम करके धन कमाया जाना

4471. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में मजगांव गोदी और कलकत्ता में गार्डन रीच वर्कशाप जहाजों की मरम्मत कर के प्रति वर्ष 3-4 करोड़ रुपया अर्जित करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970 में इन पत्तनों पर वस्तुतः कितना धन अर्जित किया गया था ; और

(ग) देश के अन्य किन पत्तनों पर इस प्रकार मरम्मत का कार्य किया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मजगांव डाक लि० बम्बई और गार्डन रीच वर्कशाप्स लि० कलकत्ता, दोनों मिलकर करीब 5 से 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जहाजों की मरम्मत करके अर्जित करते हैं। जहाजों की मरम्मत से, उनकी कुल आमदनी 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में क्रमशः 552.82 लाख रुपये, 518.62 लाख रुपये और 609.64 लाख रुपये (अंततिम) हुई है।

(ग) बम्बई और कलकत्ता के अतिरिक्त, विशाखापत्तनम, मारमगोआ और भावनगर में भी जहाज के मरम्मत का कार्य होता है।

अन्धे व्यक्तियों का सर्वेक्षण

4472. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि विश्व में प्रत्येक तीसरा अन्धा व्यक्ति भारतीय है ;

(ख) यह सर्वेक्षण किस एजेंसी ने किया था ;

(ग) उस सर्वेक्षण के आधार पर भारत में अन्धे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) देश में इतने अधिक व्यक्तियों के अन्धे होने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) उस राज्य का नाम क्या है जिसमें अन्धे व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अनुमानतः लगभग 45 से 50 लाख व्यक्ति अन्धे हैं। इसके विपरीत 1969 में विश्व में अन्धों की अनुमानित संख्या कम से कम 1 करोड़ 50 लाख थी।

(घ) भारत में अन्धता के मुख्य कारण रोहे, चेचक, पोषक तत्वों की कमी, मोतियाबिंदु, सबलवाय (ग्लोकोमा), अलसर और अन्य चोटें आदि हैं।

(ङ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता लगा है कि

मैसूर राज्य में अन्धों की संख्या (2.40 प्रतिशत) अपेक्षाकृत अधिक है। इसके पश्चात् क्रमश: असम (1.54 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (1.53 प्रतिशत), महाराष्ट्र (1.38 प्रतिशत), गुजरात (1.24 प्रतिशत) और उड़ीसा (1.23 प्रतिशत) आते हैं।

गर्भाधान का स्वत: पता लगाने वाले "किट" का निर्माण

4473. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक अमरीकी फर्म ने गर्भाधान का स्वत: पता लगाने वाले 'किट" का आविष्कार किया है ; और

(ख) क्या सरकार परिवार नियोजन क्लिनिकों को सप्लाई करने के लिए इस प्रकार के किट बनाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार को ऐसी किसी जांच किट की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन के लिये रंगीन कार्ड

4474. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय ने परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले लोगों के लिये रंगीन कार्ड तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि परिवार नियोजन के किसी एक स्वीकृत तरीके को अपनाने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनकी तुरन्त बाद की देख-भाल की जायेगी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों चिकित्सालयों, प्रसूति-गृहों आदि में उपचार के लिये उन्हें और उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी, वे निम्नलिखित रंग-योजना के अनुसार पहचान-पत्र जारी करें :—

लाल—उन पुरुषों को जिन्होंने नसबन्दी आपरेशन करवा लिया है।

नारंगी—उन महिलाओं को जिन्होंने वन्ध्यकरण करवा लिया है।

नीला—उन महिलाओं को जिनको लूप पहनाया जा चुका है।

भूरा—उन व्यक्तियों को जो प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोग करते हैं।

रक्षा मन्त्रालय में नीलाम कर्ताओं की नियुक्ति

4475. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय तथा एम० ई० एस० में क्षेत्रावार फालतू तथा कबाड़ भंडारों का निपटान करने के लिये रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त मंजूरशुदा नीलामकर्ताओं के नाम क्या हैं और उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या हैं ;

(ख) क्या ये नीलामकर्ता पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की स्वीकृत तालिका में से नियुक्त किये जाते हैं ;

(ग) उन नीलामकर्ताओं के नाम क्या है जो अब भी उपरोक्त दो रक्षा संस्थानों में कार्य कर रहे हैं यद्यपि कदाचार के कारण उनके नाम पूर्ति तथा निपटान निदेशालय की तालिका से काट दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके कार्य करते रहने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आवश्यक सूचना के साथ एक विवरण संलग्न है।

(ख) नियुक्ति के समय इसकी जांच की जाती है कि नीलामकर्ता, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की स्वीकृत तालिका में है।

(ग) और (घ). सूचना का पता लगाया जा रहा है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

रक्षा मंत्रालय की स्वीकृत तालिका में नीलाम-कर्ताओं की सूची।

क्षेत्र		नाम	नियुक्ति की तिथि
कलकत्ता	1.	मेसर्स वी लाल ब्रदर्स	22-5-1951
	2.	मेसर्स इगवर्ट एनड्र्युज आक्शन एण्ड फरनीचर मार्ट.	1-7-1964
	3.	मेसर्स धर्म पाल चड्डा एण्ड सन्स (केवल उत्तर बंगाल के लिये)	4-6-1969
कानपुर	1.	मेसर्स पी स्टेनबिल एण्ड कम्पनी	24-5-1951
	2.	मेसर्स धर्म पाल चड्डा एण्ड सन्स	2-10-1957
	3.	मेसर्स बी दादा भोय	24-5-1951
	4.	मेसर्स रूपजी एण्ड सन्स	1-9-1969
	5.	मेसर्स घेरुमल कपूर एण्ड सन्स	7-2-1955
	6.	मेसर्स गोपीचन्द एण्ड सन्स	17-5-1951
	7.	मेसर्स गुलाब राय एण्ड सन्स	7-8-1959

बम्बई	1.	मेसर्स घांदी एण्ड कम्पनी	23-5-1951
	2.	मेसर्स वेनेट एण्ड कम्पनी	30-6-1959
	3.	मेसर्स आर० एस० ग्रेवेन्सन एण्ड कम्पनी	21-5-1951
	4.	मेसर्स शंकर रामचन्द्र एण्ड ब्रदर्स	21-5-1951
	5.	मेसर्स चन्द्रमनी एण्ड कम्पनी	27-11-1970
मद्रास	1.	मेसर्स मरे एण्ड कम्पनी	20-9-1969

पश्चिमी राजस्थान में पेय जल की भारी कमी और बेकार पड़े नल-कूप

4476. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान में पेय जल की भारी कमी है जबकि केन्द्रीय नल-कूप संगठन द्वारा खोदे गये सैकड़ों नलकूप बेकार पड़े हैं तथा स्थानीय अधिकारियों और उस क्षेत्र की जनता की ओर से अभ्यावेदन देने के बावजूद भी उन्हें चालू करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों की जनता को विवश होकर गन्दा पानी पीना पड़ रहा है ; और

(ख) चिर अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों की पेय जल की सप्लाई के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में ओखला में मैसर्स अब्दुल मजीद परमजीत सिंह द्वारा यमुना रेत का जमा किया जाना

4478. **श्री अचल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स अब्दुल मजीद परमजीत सिंह ने दिल्ली में ओखला में 80,000 से 1,00,000 ट्रक-भार यमुना रेत जमा कर ली है ;

(ख) क्या कोई फर्म एक ही स्थान पर 10 फुट की ऊंचाई से अधिक रेत जमा नहीं कर सकती ; और

(ग) यदि हाँ, तो इतनी अधिक रेत जमा किए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जमा की गई रेत 50 से 60 हजार ट्रक-भार के बीच हो सकती है ।

(ख) ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन ऐसी सीमा निर्धारित की जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स अब्दुल मजीद परमजीत सिंह को खसरों का आवंटन

4479. **श्री अचल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ओखला में यमुना रेत निकालने के लिए मैसर्स अब्दुल मजीद परमजीत सिंह को कुछ खसरों का आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो खसरों की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ग) क्या मैसर्स अब्दुल मजीद परमजीत सिंह, उन्हें आवंटित किए गये खसरों से भिन्न क्षेत्र से भी रेत निकाल रहे हैं ; और

(घ) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) ओखला ग्राम का खसरा संख्या 323 और ओखला और जसोला ग्रामों में पड़ने वाले यमुना नदी के तल में भुजारोध (स्पर) संख्या 1 से 9 के बीच की भूमि।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चण्डीगढ़ में रिहायशी और वाणिज्यिक प्लाटों की नीलामी

4480. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चंडीगढ़ में जिस प्रकार पुराने और विकसित क्षेत्रों में रिहायशी और वाणिज्यिक प्लाटों का नीलाम किया जा रहा है उससे कुछ अमीर लोगों के ही हाथ में सम्पत्ति जमा हो जायेगी ;

(ख) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने, सरकार की छोटे प्लाटों को नीलाम करने की नीति के विरुद्ध किये गये विरोध की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है ; और

(ग) क्या सरकार नीति का पुनरीक्षण करने को तैयार है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) खुली नीलामी में भूमि खरीदने अथवा प्राइवेट मकानों को किराये पर लेने में आबादी के निर्धन वर्गों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को देखते हुए, निम्न आय वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रशासन के पास पूर्व निर्धारित दरों पर प्लाटों के आवंटन के लिए तथा सस्ते मकानों के निर्माणार्थ योजनायें हैं।

Missing of Master Plan of Indian Air Force Base near Gauhati

4481. **Shri Ishwar Chaudhury : Shri Bishwanath Jhunjhunwala : Shri Ramachandaran Kadannappalli :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the Master Plan of Indian Air Force aerodrome near Gauhati is missing and if so, when the authorities came to know of it ; and

(b) the action taken by Government in this matter ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

संक्रामक नेत्र रोग

4482. **श्री टी० बालकृष्णैया : श्री सतपाल कपूर : श्री समर गुह :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उस नेत्र रोग की जानकारी है जोकि मद्रास, बम्बई, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आदि शहरों में व्याप्त है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संक्रामक रोग को अन्य स्थानों में फैलने से रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक ने इस रोग के लक्षणों, महामारी विज्ञान, उपचार आदि के सम्बन्ध में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आवश्यक मार्गदर्शक हिदायतें जारी कर दी हैं। इस रोग के रोक-थाम के लिए "पालन करो और न करो" मार्गदर्शक हिदायतों का प्रेस, सिनेमा, प्रचार गाड़ियों आदि के माध्यम से सार्वजनिक हित में प्रचार किया गया है। राज्य सरकारें भी इस रोग के उपचार और रोक-थाम के लिये अपेक्षित उपाय बरत रही है।

Indian Staff in Dacca

4483. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news-item published in the "**Statesman**" on the 6th June, 1971 under the caption 'Sen Gupta under Home internment in Dacca' ;

(b) if so, whether the Deputy High Commissioner of India and other staff members of the Commission in Dacca are under Home internment ;

(c) whether they are being tortured in various ways ; and

(d) if so, the action being taken by Government of India in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) They are undergoing hardships because of the restrictions placed upon them by the Pakistan Government in total violation of the Vienna Convention and the usual norms of diplomatic behaviour.

(d) We have repeatedly asked the Pakistan Government to remove the restrictions imposed by them on our Mission personnel in Dacca. We have brought the Pakistan Government's action to the notice of the representatives of some other countries and have approached the U. N. Secretary General to get restrictions on our staff in Dacca removed.

Upon the Pakistan Government's continued intransigence we have imposed identical restrictions on the former Pakistan Deputy High Commissioner and his staff in Calcutta with effect from the 5th June, 1971.

महानगरों में झुग्गी-झोंपड़ी वासियों और बेघर लोगों की समस्याओं के बारे में पुनर्विचार

4484. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और अन्य महानगरों में झुग्गी-वासियों और बेघर लोगों की समस्याओं के बारे में पुनर्विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किन नये परिवर्तनों के बारे में निर्णय लेने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जहां तक दिल्ली में अनधिकृत झुग्गी के निवासियों का सम्बन्ध है, झुग्गी, झोंपड़ी हटाये जाने की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत उनकी झुग्गियों को हटाये जाने पर उन्हें वैकल्पिक स्थान दिया जाता है। यह योजना पुनरीक्षणाधीन है।

महानगर तथा अन्य नगरों के झुग्गी निवासी तथा गृह-हीन लोग भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित विभिन्न आवास योजनाओं (निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना, औद्योगिक कर्मचारियों और समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना, गन्दी बस्ती सफाई योजना तथा इस योजना के अन्तर्गत बने रैन-बसेरों, आदि) मे लाभ उठा सकते हैं, जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन व्यक्तियों के लिये कोई अन्य नई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत में कुछ विदेशी दूतावासों और मिशनों द्वारा राजनैतिक प्रचार किया जाना

4485. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में कुछ विदेशी दूतावास तथा मिशन विभिन्न समाचार पत्रों में राजनीतिक आन्दोलनों और देश के नेताओं के बारे में विज्ञापन जारी करके राजनीति प्रचार कर रहे हैं ;

(ख) क्या कुछ मामलों में ऐसे देशों के विरुद्ध प्रचार किया जाता है जो हमारे मित्र हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत स्थित विदेशी मिशनों ने उनके द्वारा जारी की गई प्रकाशन सामग्री को आमतौर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बना लिया है। फिर भी, सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोरियाई लोक जन गणराज्य के प्रधान कोंसल द्वारा भारत के अखबारों में दिये गये विज्ञापनों में, कुछ मामलों में, भारत के मित्र देशों की आलोचना की गई थी।

(ग) विदेश मन्त्रालय ने कोरियाई लोक गणराज्य के प्रधान कोंसल का ध्यान भारत के मित्र देशों की आलोचना करने के अनौचित्य की ओर दिलाया है। प्रधान कोंसल ने आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों में वे निर्धारित राजनयिक पद्धति का पालन करेंगे।

Uniform Pay Scales for Allopathic and Ayurvedic Doctors

4416. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the courses prescribed for M.B.B.S. and Ayurvedacharya are of five years' duration each ;

(b) whether the Ayurvedic doctors have got less specilisation in cases of injury than the Allopathic doctors ;

(c) whether the pay scales of both categories of doctors mentioned above are not the same ; and

(d) if so, whether Government propose to treat Ayurvedic doctors on par with Allopathic doctors and enforce uniform pay scales for both the categories of doctors ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) The duration of training of M.B.B.S. Course is normally 4½ years, followed by compulsory rotating internship of one year, making a total of 5½ years. The curriculum and syllabus, the duration of training and the minimum standards for admission in Ayurvedic System vary from State to State and in some cases, even from institution to institution within the same State. There are courses of education in Ayurveda spread over a period of 2 years, 3 years, 4 years, 4½ years, 5 and 5½ years with differing standards of training in Ayurveda.

(b) In almost all courses of training in Ayurveda, minor surgery is taught to treat the injuries.

(c) Under the Central Government, Ayurvedic physicians are paid salary in the scale of Rs. 325-800 plus non-practising allowance at the rate of 25% of pay subject to a minimum of Rs. 150 and a maximum of Rs. 400/- per mensem. Allopathic doctors who are in Grade II of the Central Health Service are paid Rs. 350-900 with non-practising allowance at the rate of Rs. 33⅓% of pay subject to a minimum of Rs. 150 per mensem.

(d) Allopathic doctors under the Government of India belonging to the Central Health Service are recruited for service under the Central Government, Union Territories and some autonomous bodies. Their emoluments are determined, keeping in view the nature of their duties and the totality of their service conditions. It is not possible to concede parity in emoluments and status between the Allopathic Doctors and the Ayurvedic Physicians.

विदेशों में अध्ययन कर रहे मेडिकल के भारतीय विद्यार्थी

4487. **श्री एम० कतामुतु : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में चिकित्सा के लिए एम० बी० बी० एस० और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या भारत में दी जाने वाली स्नातकोत्तर डिग्री की तुलना में ब्रिटेन में दी जाने वाली एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० सी० पी० और एम० डी० जैसी स्नातकोत्तर डिग्रियों को आज भी अधिमान दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1.1.1970 को उपलब्ध सूचना के अनुसार चिकित्सा में उच्च अध्ययन के लिये विदेश गये हुए विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या 750 थी। विदेश में एम०बी०बी०एस० तथा स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहे छात्रों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश से आये विस्थापितों के शरीरों पर हथियारों के घावों का होना

4488. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थायी रूप से स्थापित अस्पतालों सहित पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में अब तक बंगला देश से आने वाले ऐसे रोगी शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें गोलियां लगी हैं या जो युद्ध में काम आने वाले हथियारों से घायल हुए हैं ;

(ख) उपरोक्त जख्मों के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई हैं ; और

(ग) कितने रोगियों की चिकित्सा की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1,144 (4 जुलाई, 1971 तक)।

(ख) 42

(ग) 141

Production in Kota Fertilizer Factory

4489. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the monthly production capacity of the Kota Fertilizer Factory ;

(b) the extent of assistance provided by Central Government to this factory ; and

(c) the steps being taken by Government to increase production in this factory ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) Kota Fertilizer factory is licensed to produce 1,60,000 tonnes of amonia per annum and 2,40,000 tonnes of urea per annum. On this basis, the monthly capacity will come to 13,330 tonnes of ammonia and 20,000 tonnes of urea.

(b) No financial assistance has been provided to this factory by the Central Government.

(c) On an application by the company, a letter of intent has been issued for expansion of the factory for the manufacture of an additional quantity of 40,000 tonnes of ammonia per annum and 90,000 tonnes of urea per annum.

सदर्न पैट्रो-केमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का विदेशी फर्मों से करार

4490. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास की सदर्न पेट्रो-केमिकल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन और टोकियो इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, टोकियो, जापान के बीच 12.75 करोड़ रुपये के किसी करार पर हस्ताक्षर हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सदर्न पेट्रो-कैमिकल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन और इंग्लैंड के पावर गैस कारपोरेशन के बीच इस बारे में पहले ही करार हो चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ). सदर्न पैट्रो-कैमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ने निम्नलिखित करार किये हैं :

(1) जापान की टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन के साथ 1,600 मीटरी टन प्रति दिन की क्षमता के यूरिया संयंत्र और 500 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता के डी० ए० पी० संयंत्र की सप्लाई के लिये ;

(2) यू० के० की पावर गैस कारपोरेशन के साथ 1100 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता के अमोनिया संयंत्र की सप्लाई के लिए ।

उपरोक्त करारों के बारे में भारत सरकार तथा जापान एवं यू० के० की सरकारों और इंडस्ट्रीयल डैवलपमेंट बैंक आफ इन्डिया की अनुमति ली जानी है । उनकी शर्तें बतायी नहीं जा सकतीं ।

Production Capacity of Surgical Instruments Plant, Madras

4491. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the percentage of production capacity of Surgical Instruments Plant at Madras which remained unutilised during the last year ; and

(b) the comparative position in regard to the working and profit and loss of this undertaking during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The plant was designed to produce 2.5 million picees of a specified product-mix of 166 types of instruments per annum All the types of instruments are not being produced for lack of demand The actual production during 1970-71 was 4,09,060 peices. In addition, the plant also produced 14,152 family planning instruments and also took up some job orders that year.

(b) The working results of the company during the last three years are given below :

	1968-69	1969-70	(Rupees lakhs) 1970-71 (Provisional)
Sales turn-over	19.03	18.13	43.36
Loss before depreciation and interest	47.17	33.75	31.31
Depreciation	11.36	16.18	16.23
Interest	32.96	37.63	37.78
Loss including depreciation and interest	91.49	87.56	85.32

पालिथीन का निर्माण करने के लिये उद्योगों की स्थापना

4493. **श्री डी० के० पंडा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालिथीन का निर्माण करने के लिये सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में तीन उद्योग निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किये जाने वाले ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने उड़ीसा में प्रसारित उद्योगों के लिए स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). मैसर्स अल्कली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (पश्चिमी बंगाल) तथा मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि० (महाराष्ट्र) नामक दो कम्पनियां लो डेंसिटी पोलिथीलीन रेसिन का उत्पादन कर रही हैं और मैसर्स पोलियोलिफिन्ज इंडस्ट्रीज लि० (महाराष्ट्र) नामक एक कम्पनी हाई डेंसिटी पोलिथीलीन का उत्पादन कर रही है।

मैसर्स अरविन्द मिल्स लि० को गुजरात में प्रतिवर्ष 40,000 मीटरी टन लो डेंसिटी पोलिथीलीन रेसिन के उत्पादन के लिए एक आशय पत्र दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने गुजरात में सरकारी क्षेत्र में इस मद के लिए 40,000 मीटरी टन/प्रतिवर्ष का एक और कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

(ग) और (घ). उड़ीसा में कोई कारखाना स्थापित किये जाने की योजना नहीं है। पोलिथीलीन के उत्पादन के लिए व्यवहार्य आकार के एक कारखाने को नेफ्था क्रेकर काम्पलैक्स के साथ सघटित करना होगा और इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है जो कि लघु पैमाने के क्षेत्र की सीमा से बहुत अधिक है। अतः लघु पैमाने के उद्योग के विकास आयुक्त से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली में पोलियो उन्मूलन टीकों का अपर्याप्त स्टाक

4494. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :**
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली में पोलियो उन्मूलन टीकों के अपर्याप्त स्टाक के बारे में 11 जून, 1971 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या स्टाक की कमी को पूरा कर लिया गया है और अब तक कितने बच्चों को पोलियो उन्मूलन टीके लगाये गये ; और

(ग) क्या वातावरण को शुद्ध करने, खुले और गले सड़े खाद्य पदार्थों के बारे में कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) पोलियों रोधी वैक्सीन के स्टाक में अब वृद्धि कर दी गई है। 28-6-71 तक 1.5 लाख से भी अधिक बच्चों को रोग प्रभाव मुक्त कर दिया गया है और रोजाना अधिकाधिक बच्चों को रोग प्रभाव मुक्त किया जा रहा है।

(ग) म्युनिसिपल प्राधिकारियों ने कूड़ा कचरा उठाने, मक्खियों के प्रजनन स्थानों को समाप्त करने, खुले हुये खाद्य पदार्थ बेचने वाले फेरीवालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने आदि जैसे पर्यावरणीय-सभाई कार्यों में सुधार करने के लिये उपाय किये हैं।

नई दिल्ली में इंडिया गेट पर महात्मा गाँधी की मूर्ति का लगाया जाना

4495. **श्री आर० एन० बर्मन :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में इण्डिया गेट पर महात्मा गाँधी की मूर्ति अब तक न लगाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या मूर्ति के माडल का चयन करने के लिये श्री खजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अब तक किसी माडल का अनुमोदन नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो उन शिल्पियों के नाम राज्यवार, क्या हैं जिन्होंने नये माडल भेजे थे और उन्हें रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक विश्व प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रतियोगिता की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). इण्डिया गेट के निकट स्थापित की जाने वाली महात्मा गाँधी की प्रतिमा के लिये सर्वश्री सी० कार, कलकत्ता, साखों चौधरी, बड़ोदा, राम वी० सुतर, नई दिल्ली, पी० दास गुप्ता, कलकत्ता, रामकिंकर बैज, शान्ति निकेतन, सदाशिव साठे, बम्बई, बी० सान्याल, दिल्ली तथा केवल सोनी, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किये गये माडल (मैकटस) महात्मा गाँधी के सम्मान में एक राष्ट्रीय यादगार बनाने के लिये डा० पी० बी० गजेन्द्रगड़कर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाये गये ।

(घ) ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Soldiers killed by overturning of an Indian military truck

4496. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether some soldiers were killed when an Indian military truck overturned in Cachar District of Assam ;

(b) if so, the number of soldiers killed and wounded as a result thereof ;

(c) whether Government have conducted any enquiry into the causes of the said accident ; and

(d) if so, the findings thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) 11 soldiers were killed and 11 wounded as a result thereof.

(c) and (d). A Court of Inquiry is in progress.

Expenditure on residences of Ministers

4497. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state the estimated expenditure incurred on the residences of Ministers and the maintenance thereof by the Central Government every year and the the total amount of expenditure incurred during the financial years 1969-70 and 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : The information is as under :—

	Estimated expenditure for civil works.	Actual expenditure for civil works.
1969-70	Rs. 6,73,327/-	Rs. 5,58,435/-
1970-71	Rs. 10,77,689/-	Rs. 8,62,469/-

Release of Angami

4498. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Dinen Bhattacharyya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Angami the so-called General of the Federal Government of Nagaland, who is in jail at present, has asked for his conditional release from jail ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Mowu Angami is at present detained in Nowgong Special Jail. In his representation Mowu Angami requested the Government of Nagaland to release him and his men unconditionally or permit their transfer to Nagaland immediately.

(b) Government of Nagaland did not find any reason to release him and other detenus or to transfer them to Nagaland.

पेट्रोल की खपत

4499. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पेट्रोल की वार्षिक कुल खपत कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : वर्ष 1970 में देश में पैट्रोल (मोटर गैसोलीन) की कुल खपत 1411.0 हजार मीटरी टन थी ।

राजबंध (पश्चिमी बंगाल) स्थित भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठापन में चोरियों का पता लगाना

4500. **श्री योगेन्द्र झा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजबन्ध स्थित भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन डिवीजन) पूर्वी शाखा में 27 अक्टूबर, 1970 को यह पता लगा था कि मैसर्स प्रीमियर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का टेंक संख्या डब्लू० बी० के० 6231 प्रत्येक बार 950 लिटर पेट्रोलियम उत्पाद अधिक ले जा रहा था ;

(ख) क्या गत् दो वर्षों में इस अधिक पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने के कारण भारतीय तेल निगम को 4 लाख लिटर से अधिक की हानि हुई ;

(ग) क्या इसका पता लगाने के उपरांत भी यह कार्य चलता रहा और अब भी वही ठेकेदार अन्य ट्रेंक ट्रकों द्वारा यह कार्य कर रहा है ;

(घ) यदि उपरोक्त का उत्तर हाँ में है तो सम्बन्धित ठेकेदार और अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या लाने ले जाने का 90 प्रतिशत कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौंप दिया गया है ; और

(च) यदि हां, तो क्या ठेकेदार प्रणाली समाप्त कर देने और इस कार्य को विभागीय तौर पर करने का विचार है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारतीय तेल निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस ट्रक द्वारा उस तिथि से, जिस (तारीख) से तोल एवं माप नीरीक्षक यूनिट संख्या 4 द्वारा सशोधित व्यासमापन प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उत्पाद अधिक मात्रा में ले जाया गया था । इस आधार पर टेंक ट्रक ने राजबन्ध प्रतिष्ठापन पर दस बार कार्य किया । अतः मोटर स्पिरिट के 5 लदानों तथा हाई स्पीड डीजल आयल के 5 लदानों पर 9.5 किलोलिटरज के रूप में अधिकतम सम्भावित हानि का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) और (घ). ठेकेदार को चेतावनी दे दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति करने पर भारतीय तेल निगम उसके विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही करेगी । उससे अधिक मात्रा में ले जाये गये उत्पाद का प्रमाणित मूल्य भी वसूल कर लिया गया है । भारतीय तेल निगम को अपने अधिकारियों की ओर से यदि कोई त्रुटियाँ हुई हैं, तो उनकी जांच करने के लिए कहा गया है ।

(ङ) प्राइवेट ठेकेदारों को सौंपे गये परिवहन कार्यों की सही प्रतिशतता, तेल परिवहन की उपलब्धता पर निर्भर होने से, समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है । यह कुल उत्पाद की आवश्यकताओं तथा जो रेल द्वारा ले जाया जा सकता है, का केवल अन्तर है जो कि प्राइवेट परिवहन ठेकेदारों को सौंपा गया है ।

(च) विभागीय प्रणाली की लागत सापेक्षिक रूप में अधिक आती है और, इस लिये ठेकेदार प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

त्रिपुरा के मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

4501. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के जनजातियों के विद्यार्थियों को मेडिकल कालेजों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये छात्रवृत्तियाँ कितने विद्यार्थियों को मिलती हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को कितना धन दिया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पुर्नियुक्त रक्षा कर्मचारियों की पेंशन में तदर्थ वृद्धि का लाभ

4502. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्य रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों को पुन: नियुक्ति होने पर अपनी पेंशन में तदर्थ वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है ;

(ख) क्या उपयोक्त श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन पर मंहगाई भत्ता नहीं मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, उन्हें पंशन पर तदर्थ वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है, इसका कारण है कि पुन: रोजगार पर लगाये गये सैनिक कार्मिकों को महंगाई भत्ता मिलता है ।

(ख) जी नहीं । उन्हें वेतन तथा पेंशन के केवल उस भाग को छोड़ कर जो कि पुर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के लिये पेशन का जो भाग लेखे में नहीं लिया जाता है शेष पर महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

(ग) पेंशन का वह भाग जो कि छोड़ दिया जाता है वेतन नियतन करते समय गणना में नहीं लिया जाता है, नियत किये गये वेतन पर तथा पूरी पेंशन पर उस भाग को मिला कर जो कि छोड़ दिया गया है महंगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की वापसी के बारे में शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का वक्तव्य

4503. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने 15 जून 1971 को कलकत्ता में कहा था कि पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की वापसी में सहायता करने के लिये शीघ्र ही एक संगठन स्थापित किया जायेगा ;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले पर भारत सरकार के साथ चर्चा की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इससे संबंधित अखबारी खबरें देखी हैं ।

(ख) और (ग). संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों के उच्चायुक्त ने कहा कि उनका संगठन शरणार्थियों को लौटने के लिए निश्चयात्मक हल निकालने में सहायता करेगा इसके वास्ते उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों को ढाका में संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों के उच्च आयुक्त के प्रतिनिधि का कार्यालय खोलने की अनुमति के लिये प्रेरित किया । परन्तु उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया कि पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के लौटने में यह प्रतिनिधि वास्तव में क्या

सहायता करेगा। उन्हें यह बता दिया गया था कि ढाका में संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों के उच्च आयुक्त के प्रतिनिधि के होने से ही शरणार्थियों को वापिस लोटने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। आवश्यकता तो इस बात की है कि विश्वसनीय गारन्टी के अन्तर्गत पूर्वी बंगाल में शरणार्थियों को सुरक्षित और जल्द लौटने के लिए वातावरण पैदा किया जाये।

दिल्ली में मैसर्स परमजीत सिंह नियामतुल्ला को उत्खनन कार्य (रेत) का आवंटन

4504. **श्री अचल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** 14 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2084 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स परमजीत सिंह नियामतुल्ला, दिल्ली को किन परिस्थितियों में 25 मार्च, 1970, यथा पांच वर्षों के पश्चात् उत्खनन कार्य जारी रखने का अधिकार दिया गया है ;

(ख) उत्खनन कार्य के तीन स्थानों में से दो अन्य स्थानों को रोक रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दो उत्खनन स्थानों को रोक रखने के परिणामस्वरूप राजधानी में निर्माण सामग्री यथा रेत के मूल्य बढ़ने और सरकार को रायल्टी के रूप में धन सम्बन्धी हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) उन्हें जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने यह मांग की है कि रेत-क्षेत्र में जाने का मार्ग मिलने के बाद ही पट्टे की अवधि आरम्भ होनी चाहिये, तथा मामला विचाराधीन है।

(ख) मदनपुर खादर का स्थान बन्द है, क्योंकि रेत के क्षेत्र के लिए, सिवाय उस कुछ गैर-सरकारी मालिकों की भूमि में से, जो अपनी भूमि के ऊपर से रेत ले जाने की अनुमति नहीं देते, कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। जैतपुर के बारे में रेत क्षेत्र के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। इसके अतिरिक्त जैतपुर ग्राम-पचायत ने खनन अधिकार का पट्टा नहीं दिया।

(ग) कोई भी उत्तरदायी नहीं है तथा सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। ओखला में रेत का बड़ा भण्डार है तथा अपेक्षित रेत वहीं से निकाली जा रही है।

गुजरात में कंजारी गांव के निकट तेल निकालने के लिये खुदाई कार्य

4505. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आनन्द ताल्लुक के कन्जारी गाँव के निकट तेल निकालने के लिए खुदाई का कार्य जारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या तेल खोज के स्थान को कोई नाम दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) गुजरात में तेल के लिए खुदाई का काम कंजारी ग्राम के समीप चल रहा है ।

(ख) और (ग). इस क्षेत्र में अब तक तीन कुएं खोदे जा चुके हैं । इन में से दो सूखे निकले हैं और तीसरे कुए की जांच की जा रही है । इन कुओं का नामकरण इस प्रकार किया गया है—वासो पूर्व-1, चकलासी 1 और वासो पूर्व 2 । इस पूरे क्षेत्र को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ कोई तेल क्षेत्र नहीं मिला है ।

साबुन निर्माताओं द्वारा कर में हुई वृद्धि का समावेश

4506. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा, स्वास्तिक, पामोलिव और मोदी जैसे साबुन निर्माताओं को कर में हुई वृद्धि का समावेश करने को कहा है जैसा कि उन्होंने हिन्दुस्तान लीवर के मामले में किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन निर्माताओं के कर में हुई वृद्धि का समावेश करना स्वीकार कर लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) सरकार ने भारतीय साबुन एवं प्रसाधन निर्माता संघ (इण्डियन सोप एण्ड टाइल्-इट्रीज मेकर्ज एस्सोसीयेशन) (आई० एस० टी० एम० ए०) के साथ, जो साबुन उद्योग के संगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इस विषय पर विचार-विमर्श किया है ।

(ख) आई० एस० टी० एम० ए० ने सरकार को आश्वासन दिया है कि उनके सदस्य लाइफबाय साबुन सहित जिसके मूल्य में 28 मई, 1971 को लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के अनुसरण में निर्माताओं द्वारा वृद्धि की गई थी, कारबोलिक साबुनों के मूल्यों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं । जहाँ तक श्रृंगार साबुनों का सम्बन्ध है उनके मूल्य में लगभग 2 पैसे प्रति टिकिया के अतिरिक्त शुल्क की मात्रा तक वृद्धि की गई है । बिलासिता के तथा सुगन्धित साबुनों के मूल्य में वृद्धि निर्धारित कर की मात्रा से सम्बन्धित है ।

यह बताया गया है कि साबुन पर कोई साविधिक मूल्य नियंत्रण नहीं है ; यद्यपि संगठित क्षेत्र, मूल्यों में वृद्धियाँ करने से पूर्व, सरकार के साथ इस विषय पर विचार-विमर्शकर लेते हैं ।

चीन और अमरीका के सम्बन्धों के बारे में नीति का पुर्नविलोकन

4507. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अपनी चीन सम्बन्धी नीति के पुर्नविलोकन के सम्बन्ध में भारत सरकार से विचार विमर्श किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में तेल के कुओं का पता लगाना

4508. **श्री एम० एम० हाशिम।**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन चार वर्षों में गुजरात में कुल कितने तेल के कुओं का पता लगाया है ; और

(ख) इन कुओं का पता लगाने में कुल कितना व्यय हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पिछले तीन वर्षों (1968-69 से 1970-71) में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में खोदे गये और जाचें गये कुओं में से 145 कुओं में तेल पाया।

(ख) इन कुओं की खुदाई पर 19 करोड़ रुपयों का व्यय आया।

नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में निर्माण और आवास मंत्री के कमरे का नवीकरण

4509. **श्री निहार लास्कर :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है कि निर्माण भवन में उनके कमरे के नवीकरण पर एक लाख रुपया व्यय आया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कहां तक सत्यता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) यह सत्य नहीं है। वास्तव में, मत्री महोदय के कमरे के नवीकरण पर कोई व्यय नहीं किया गया था। तथापि नीचे दिया गया वास्तविक व्यय किया गया :—

(i) मंत्री, राज्यमंत्री तथा सचिव के मुलाकातियों के उपयोग के लिए लगभग 4,000 रुपये के व्यय से एक अतिथि कक्ष की व्यवस्था की गई है ;

(ii) मंत्री के कमरे के साथ ही एक बाथरूम की व्यवस्था की गई है। इसकी लागत केवल 11,000 रुपये के लगभग है। यह लागत सामन्य से अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि बाथरूम पानी के नल तथा मुख्य मल-निकास नालियों से कुछ दूरी पर स्थित है। बाथरूम मुलाकातियों तथा अन्य अधिकारियों के लिये भी सुलभ है।

ग्राम्य क्षेत्रों में बसे डाक्टरों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देना

4510. **श्री माधुर्य हाल्दार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में बसे डाक्टरों को जनता की सेवा के लिये औषधालय बनाने और छोटे मकान बनाने हेतु सहायता देने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से इन डाक्टरों को ऋण संबंधी सुविधाएं देने को कहा था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से, अपना काम करने वाले व्यक्तियों और व्यावसायिकों को ऋण-सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनायें बनाई हैं। डाक्टर व्यावसायिक वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। कुछ बैंकों ने डाक्टरों की उपकरणों को खरीदने में तथा शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय खोलने के लिए सहायता देने की विशेष योजनाएं बनाई हैं। डाक्टरों सहित व्यावसायिकों से कारोबार की दृष्टि से व्यवहार्य प्रस्तावों पर बैंक विचार करते है।

Production and Distribution of Nirodh

4511. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the total number of 'Nirodh' produced during the financial year 1968-69 and 1969-70 by Hindustan Latex Limited ;

(b) the approximate number of 'Nirodh' to be produced during the financial year 1971-72 keeping the family planning requirements thereof in view ; and

(c) the number of 'Nirodh' proposed to be distributed free of cost and on commercial basis separately during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b). Hindustan Latex Limited went into production in July, 1969. The total number of 'Nirodh' produced during 1969-70 was 62.75 millon pieces. It is proposed to manufacture about 90 million pieces of 'Nirodh' during 1971-72.

(c) It is expected that 130 million pieces of Nirodh will be distributed free of cost during 1971-72 and 90 million pieces of Nirodh will be sold under the Commercial Scheme during the some period.

Allegation by Pakistan Re. Operating of Unauthorised Wireless Transmitter in the Office of Deputy High Commissioner of India

4512. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Pakistan Radio had broadcast a news many times in the month of April, 1971 that an unauthorised wireless transmitter was operating from the office of the Deputy High Commissioner of India in Dacca ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government in protest thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Pakistan Radio broadcast such a news item on the 10th and the 11th of April, 1971.

(b) It was a baseless and mischievous allegation which was rejected by the Government through a statement made by a spokesman of the Ministry of External Affairs.

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामों में "लाल डोरा" का विस्तार

4513. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 7 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1401 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ग्रामों के नाम क्या हैं जिनमें 'लाल डोरा' का विस्तार करने के मामले पर विचार किया जा रहा है और प्रत्येक मामले में 'लाम डोरा' का विस्तार करने के अन्तर्गत कितनी अतिरिक्त भूमि आयेगी।

(ख) प्रत्येक मामले में कार्यवाही के पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ग) इससे कितने परिवारों को लाभ होने की आशा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०—644/71].

(ख) लएभग एक वर्ष।

(ग) आवंटन का वास्तविक कार्य जब आरम्भ होगा इसका पता केवल तभी चलेगा।

दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन

4514. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 7 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सहकारी गृह ग्रामीण समितियों के नाम क्या हैं जिनको दिल्ली/नई दिल्ली में विकसित/अविकसित भूमि आवटित की गई है तथा ये भूमि किन-किन बस्तियों में आवंटित की गई है और उनको अलग-अलग कितनी-कितनी भूमि आवटित की गई है ;

(ख) ग्रुप आवास योजना के अन्तर्गत किन सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि आवंटित करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या भूमि आवंटित करने के लिए और सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि आवंटित करने पर विचार किया जा रहा है ; और यदि हां, तो उनके नाम तथा अन्य व्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विवरण संलग्न है (विवरण I)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल०टी० 645/71]

(ख) विवरण संलग्न है (विवरण II)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या** एल०टी०—645/71]।

(ग) जी हां। ग्रुप हाउसिंग के आधार पर 48 और आवास निर्माण सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है, जैसा कि संलग्न विवरण III में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, सम्राट अशोक को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को भी उनकी भूमि को अधिग्रहण करने के पश्चात्, विकसित भूमि का आवंटन किया जायेगा।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को भूमि के आवंटन पर रोक

4515. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पड़ताल करने के लिए कि दिल्ली में किसी एक झुग्गी के बदले में एक परिवार के एक से अधिक व्यक्ति द्वारा भूमि के आवंटन हेतु दावा न किया जाये, कोई जांच अथवा प्रति, जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला आया है जहां एक परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों ने भूमि के आवंटन हेतु दावा किया हो अथवा किसी एक ही व्यक्ति ने अन्य कल्पित नाम रख कर एक से अधिक बार भूमि के आवंटन के लिये दावा किया हो तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की जांच न करने के क्या कारण हैं जब कि दिल्ली/नई दिल्ली में बड़ी संख्या में झुग्गियां बनती जा रही हैं तथा ऐसे व्यक्ति भी बड़ी संख्या में हैं जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों को जिनके मामले सच्चे नहीं हैं और जो लाभ कमाने के उद्देश्य से सरकार से धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं, भूमि का आवंटन रोकने के लिए सरकार ने अन्य क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अनधिवासों को स्थलों से हटाते समय तथा "पुनर्वास स्थलों" पर वैकल्पिक आवंटन करने से पूर्व आवश्यक छानबीन की जाती है।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है, जिसमें उसी व्यक्ति द्वारा जाली नाम से आवंटन की मांग की गई हो तथापि, ऐसे कई मामले ध्यान में आते हैं जिनमें एक ही परिवार के सदस्य अलग 2 आवंटन की मांग करते हैं तथा ऐसे सभी मामलों में, यह सुनिश्चत करने के लिए पूर्णतया छानबीन की जाती है कि केवल विवाहित वयस्क सदस्यों को अलग से आवंटन किया जाय, बशर्ते कि ऐसे सदस्य झुग्गी हटाने से पूर्व अलग 2 झुग्गियों में रहते हों।

(ग) और (घ). प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इनका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को दिया गया बोनस

4516. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 7 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में किस वार्षिक दर से बोनस दिया गया और उन्हें गत तीन वर्षों में श्रेणीवार कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रत्येक वर्ष में कितने प्लाट नीलाम किये, प्रत्येक बस्ती में किस आकार के प्लाट नीलाम किये गये और भिन्न-भिन्न बस्तियों में किस न्यूनतम और अधिकतम दर पर उक्त प्लाट नीलाम किये गये हैं ; और

(ग) इस मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को बोनस देने के लिए अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से अधिकतम प्लाट नीलाम न करे, क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ; अथवा किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	दर	राशि (लाख रुपये में)
1967-68	4 प्र० श०	0.84
1968-69	12 प्र० श०	6.60
1969-70	19 प्र० श०	15·66

बोनस श्रेणीवार नहीं दिया जाता अपितु बोनस अधिनियम, 1965 के उपबंधों तथा इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न हिदायतों के अनुसार दिया जाता है ।

(ख) विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 646/71]

(ग) स्टाफ को बोनस देने के उद्देश्य से रिहायशी प्लाटों की बिक्री से प्राप्त राशि पर विचार न किये जाने के कारण से प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन

4517 : **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार निम्न तथा मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने रिहायशी प्लाट अलाट किये गये हैं, ये प्लाट किस-किस कालोनी/क्षेत्र में स्थित हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में कितने प्लाट हैं ; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि निम्न और मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को अधिक से अधिक प्लाट अलाट किए जायें ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत 813 प्लाट (628 प्लाट पंखा रोड पर तथा 185 रोहतक रोड रेजीडैंसियल स्कीम में आवंटित किए गये हैं) । निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

(ख) अपवाद स्वरूप श्रेणियों में आने वाले निम्न तथा मध्यम आय वर्गों जैसे मामलों को छोड़कर, विकासित भूमि नीलामी द्वारा बेचने की सरकार की नीति है । उन्हें लाटरी द्वारा पूर्व

निर्धारित दरों पर (अधिग्रहण तथा विकास की लागत आदि पर आधारित) रिहायशी प्लाट आवंटित किए जाते हैं। नीलामी के लिए प्लाटों को विकासित करने के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण, निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए भी प्लाटों को विकासित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये टेनामेंटों का आवंटन केवल निम्न तथा मध्यम वर्गों के लोगों को किया जाता है।

Short-Comings in the Indian Foreign Service

4519. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the article written by the former Foreign Secretary Shri K P. S. Menon published in the "Sunday Standard" on the 18th April, 1971 wherein he has pointed out the short-comings in the foreign service ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The shortcomings which were noticed 19 years ago have by and large been remedied through training, experience, guidance, rationalisation of service conditions, streamlining of administrative procedure and by codifying the conduct rules.

Shortage of Diesel and Petrol in Petrol-Pumps on the Grand-Trunk Road between Mughal Sarai and Asansol

4520. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an actue shortage of diesel and petrol in the petrol pumps working on the Grand Trunk Road between Mughalsarai and Asansol ; and

(b) if so, the action so far taken by Government in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). There has been some shortage of high speed diesel oil at the retail outlets (pumps) on the Grand Trunk Road between Mughalsarai and Asansol, on account of the difficulties in rail transport availability in the eastern region coupled with a reduction in the availability of road tank trucks, due to some of these having been diverted to meet the very heavy demands generated by the influx of refugees. There have also been some isolated cases of shortage petrol for the same reasons. However, these shortages have been of a very sporadic nature and cannot be considered to have been acute. In consultation with the Railway Board, special steps have been taken to normalise the position.

Fall in Production in Instrument Research Development Establishment Raipur. Dehradun, U. P.

4521. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the production in the Instrument Research Development Establishment, Raipur, Dehradun (U. P.) has been 50 per cent or even less this year as compared to that of previous years ;

(b) whether the items produced in the said establishment are being purchased from private firms due to short production therein ;

(c) the reasons for which the production has gone down in the said establishment ;

(d) the full production capacity of the said factory ; and

(e) whether Government would enquire into the causes for which the full production capacity of the said establishment could not be utilised ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. Instruments Research and Development Establishment is not a Production Unit. The Charter of duties of this Establishment is to design and develop instruments and optical equipments based on the operational requirements defined by the Services and also to carry out applied research in the field of optics and fire control instruments. There has been no slackening of effort in this regrrd.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) to (e). Does not arise.

दोषपूर्ण रसायनों के निर्माणकर्ता

4522. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित अनेक रसायन वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से अनुपयुक्त पाये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो दोषपूर्ण या घटिया किस्म के रसायनों का उत्पादन कर रही हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) देश में निर्मित बहुत से रसायनों के लिए मानक विशिष्टयां निर्धारित करता है। आई० एस० आई की विशिष्टियां उनके गुणों की गारन्टी देती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में कम और माध्यमिक आय वाले वर्गों के लिए नवीन आवास योजना

4523. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कम और माध्यमिक आय वाले वर्गों के लाभ के लिए "नई आवास योजना" के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण को सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन योजनाओं का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त योजनाओं को स्वीकार कर लिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) कुछ नई योजनाओं का सुझाव दिया गया है।

(ख) योजनाएं निम्न प्रकार है :—

(i) उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण जो 10 वर्ष की अवधि में सेवा निवृत होने वाले हैं ; और

(ii) दिल्ली में आम जनता के लिए किराया आवास योजना।

(ग) योजनाओं का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

बंगला देश की घटनाओं के संबंध में सिनेमाघरों तथा टेलीविजन पर वृत चित्रों का दिखाया जाना

4524. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी बगाल में पाकिस्तानी सैनिक प्रशासन द्वारा किये गये नरसंहार से विश्व को अवगत करने के विचार से विदेशों में सिनेमाघरों तथा टेलीविजन पर वृत चित्र दिखाने की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ इस प्रकार से समझौते हुए हैं तथा इनके क्या परिणाम निकते हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मँत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। इस विषय पर विश्व भर में वृत चित्र एवं समाचार चित्र दिखाए गए हैं। इसके लिए किसी भी देश से कोई खास समझौता करना आवश्यक नहीं था।

राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन

4525. **श्री विश्व नाथ झुनझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से किये गये विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार ने राज्य में मलेरिया उन्मूलन के लिये राज्य सरकार को सहायता देने हेतु कोई योजना बनाई है क्योंकि राज्य में मलेरिया महामारी के रूप में फैल रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). मलेरिया उन्मूलन स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कीटनाशी सप्लाई करने के सम्बन्ध में 3 जून, 1971 को राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने स्वास्थ्य सेवाओं के अपर महानिदेशक एवं राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निदेशक के साथ विचार-विमर्श किया।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। एक विशिष्ट पद्धति के अनुसार इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को मुफ्त सामान एवं उपस्कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के बचनबद्ध खर्च के ऊपर जो संचालन लागत आएगी उसको उपाय एवं साधन के लिए पेशगियों के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्र सहायता बंद कराने के संबंध में एशियाई मामलों पर होम कमेटी के अध्यक्ष द्वारा किया गया प्रस्ताव

4526. **श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून 1971 को एशियायी मामलों पर होम कमेटी के अध्यक्ष ने कोई ऐसा प्रस्ताव किया था कि जब तक पाकिस्तान पूर्वी बंगाल के निवासियों के कष्ट निवारण के लिए कोई कदम नहीं उठाता है तब तक उसे अमरीकी शस्त्रास्त्र सहायता बंद कर दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) अमरीकी हाउस के विदेश संबद्ध समिति के एशियाई एवं प्रशांत मामलों की उप समिति के अध्यक्ष कांग्रेस मैन कार्निलियस इ० गैलाधर ने पाकिस्तान सरकार को सभी सहायत। बंद करने के लिए 1961 के विदेशी सहायता अधिनियम में अपने संशोधन बिल के क्रम में 17 जून 1971 को अमरीकी हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव में ब्यौरा दिया था।

(ख) संशोधन के विवरण निम्नलिखित थे :—

i. विदेश सहायता अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार को दी जाने वाली सभी सैनिक, आर्थिक या अन्य सहायता, सभी सैन्य उपस्करों की बिक्री और कृषि सामग्री की बिक्री (चाहे नकद, उधार अथवा किसी अन्य तरीके से) बंद की जानी चाहिए।

ii. संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ऐसे सभी उपाय करें, जो आवश्यक हो, जिनमें यह सुनिश्चित हो सके कि अमरीकी सरकार द्वारा किसी अन्य देश को दिए गए सैन्य उपस्करों को पाकिस्तान सरकार को पुनः हस्तान्तरित नहीं किया जाए।

iii. यह नीति तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए कि अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण दल ने यह पता लगा लिया है कि पाकिस्तान सरकार उचित स्थायित्व लाने में पूर्णतः सहयोग दे रही है और भारत में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अपने घर वापस लौटने तथा अपनी जमीन एवं सम्पति पर पुनः कब्जा करने की अनुमति दी गई है।

ऐसा नहीं प्रतीत होता कि सम्पति अमरीकी सरकार के पूर्णतः उपर्युक्त प्रकार के हों।

संयुक्त राष्ट्र विपत्ति राहत केन्द्र

4527. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव ऊ थान्ट ने यह सुझाव दिया है कि दैवी आप-

दाओं के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहायता में सुधार और तेजी लाने के लिये संयुक्त राष्ट्र विपत्ति राहत केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए ; और

(ख) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र सघ में उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने का समर्थन किया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) महासभा के संकल्प 2717 (25) के अनुसरण में हाल ही में तैयार की गई रिपोर्ट में महासचिव ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इस संकल्प में महासभा ने उनसे, अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक विपत्तियों, महामारियों, अकालों और ऐसी ही आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित कार्य के समन्वय के लिए उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के वास्ते संगठनात्मक प्रबंधों सहित, प्राकृतिक विपत्तियों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को और सुदृढ़ करने के लिए सर्वोचित उपायों के बारे में सिफारिशें करने का अनुरोध किया था । भारत ने इस संकल्प का समर्थन किया था । महासचिव के वर्तमान प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, इस प्रस्ताव पर महासभा के अगले अधिवेशन में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा ।

उपकरण कारखाने के कानपुर को स्थानान्तरण के कारण आयुध का कारखानों के महानिदेशक के कर्मचारियों में असंतोष

4528. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपकरण बनाने वाले एकक का कानपुर में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में आयुध कारखानों के महानिदेशक के कर्मचारियों में गम्भीर असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में कौन से कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या इस स्थानान्तरण के सरकार को महंगा पड़ने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) डाईरेक्टर जनरल आर्डनेंस फैक्टरी मुख्यालय के कर्मचारियों के संघ के विरोध पत्र तथा आपत्तियाँ सरकार को प्राप्त हुई हैं ।

(ख) बदली स्वेच्छा के आधार पर की जा रही है तथा जो स्थानान्तरित नहीं होंगे उनकी छटनी नहीं की जायेगी किन्तु उन्हें अधिसंख्य आधार पर कलकत्ता में रखने का प्रस्ताव है ।

(ग) व्यय बदली की आवश्यकता के अनुरूप है तथा वह किया जाना है ।

मनीपुर में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

4529. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवास सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मनीपुर सरकार नये सरकारी क्वार्टर बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) कितने क्वार्टरों का निर्माण कराने का विचार है और इस उद्देश्य के लिए कौन सा स्थान निश्चित किया गया है ;

(ग) क्या इम्फाल के कुछ विशेष क्षेत्रों को आवासीय कालोनियों के रूप में विकसित करने का निश्चय किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रक्षा सेवाओं के उच्चाधिकारियों के लिये व्यक्तिगत अर्दली की व्यवस्था

4530. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवा के उच्चाधिकारियों के लिए व्यक्तिगत अर्दलियों की व्यवस्था की जाती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अर्दलियों को रसोइए और घरेलू नौकरों के रूप में काम करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रथा को समाप्त करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) युद्ध कालीन स्थापनाओं में कमीशन प्राप्त तथा जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को अर्दलियों की व्यवस्था की जाती है तथा कुछ हद तक शान्ति कालीन स्थापनाओं में व्यवस्था की जाती है ।

(ख) अर्दलियों को रसोइया या वैयक्तिक नौकरों के रूप में प्रयोग करने की अफसरों को अनुमती नहीं है ।

(ग) अर्दलियों से सही ढंग के कार्य लेने के लिए बल देने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किये जाते हैं । ऐसे अनुदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध कों शिकायतों की जांच की जाती है तथा समुचित कार्यवाही की जाती है ।

Allotment of Jeeps to Members of Parliament

4531. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of jeeps allotted to Members of Parliament together with their party affiliations and the price charged from each one of them immediately after the dissolution of the Fourth Lok Sabha ; and

(b) the party-wise number of Members allotted jeeps in 1970 ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) and (b). The number of jeeps sold to the Members of Parliament at a pre-determined price in accordance with the policy in force was 39 during the period 1st January 1970 till 31st December 1970 and 129 during the period 1st January 1971 till 28th February 1971. The respective party-wise position is given in Statement 'A' attached herewith. [*Placed in Library. See* No. LT—647/71].

The prices charged are on the basis of the last auction sale rates for similar types of vehicles. The prices current for the respective makes and classification of jeeps effective from 1st August 1970 are indicated in Statement 'B' attached herewith. [*Placed in Library. See* No, LT—647/71].

सहायक वायु सैनिकों को नगर भत्ते का भुगतान

4532. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 की आपात स्थिति में भारतीय वायु सेना के साथ नियमित सेवा में काम करने के लिए रेलवे से बुलाये गये सहायक वायु सैनिकों को, आरक्षित और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1962 के सेक्शन '9 (2) का उल्लघन कर, नगर भत्ते का भुगतान असैनिक दर से नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आरक्षित और सहायक वायुसेना अधिनियम 1952 के नियम 29 (2) का उल्लंघन नहीं किया गया है जिसका सम्बन्ध केवल प्रशिक्षण अवधि में वेतन और भत्तों से है। सिविल सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो कि सहायक वायुसेना के सदस्य थे तथा जिन्हें सक्रिय सेवा के लिये बुला लिया गया था उनके मामले में सब स्थानीय प्रतिकर भत्त उपर्युक्त अधिनियम वायु सेना वेतन संहिता की धारा 29 (1) के अनुसार नियमित किया गया था। उन्हें जोखिम वेतन, तुंगता भत्ता, सक्रिया क्षेत्र की रियायतें तथा वायु-सेना सेवा के विशेष अन्य लाभ के लिए भी वायुसेना नियमों के अनुसार हक दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Criteria for Allotment of Jeeps to Family Planning Centres

4533. **Shri Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of jeeps given to Madhya Pradesh out of the jeeps received from UNICEF during the last three years ;

(b) whether those jeeps have not boen allotted to the concerned Family Planning Centres or Primary Health Centres and there are several centres not provided with jeeps ; and

(c) the criteria for allotment of such jeeps to State Governments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) As against 566 vehicles (Jeeps) allotted to the Primary Health Centres in the country by UNICEF. 49 vehicles were allotted to Primary Health Centres in Madhya Pradesh during the last three years.

(b) No UNICEF, vehicles are supplied for Family Planning Programme. Out of 446 Primary Health Centres in Madhya Pradesh, 164 Primary Health Centres were without vehicles upto the end of 1970.

(c) The criteria for allotment of vehicles to a qualified Primary Health Centre is as follows :

(i) A suitable building with safe water, sanitary latrines facilities.

(ii) Essential staff according to the staffing pattern.

(iii) Beds for emergency/maternity cases.

(iv) At least three sub-centres per Primary Health Centre.

(v) Budgetary provision for ,maintenance of vehicle including the salary of driver.

The above criteria are for the Primary Health Centre to receive full UNICEF assistance. If a Primary Health Centre qualifies for partial assistance, a vehicle can be allotted provided a qualified Medical Officer is in position and funds for the maintenance of a vehicle including salary of the driver are provided.

राज्यों में नगरीय विस्तार के लिये भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिये आवर्तक निधियाँ

4534. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जित करने, उसका विकास करने तथा नगरों का विस्तार करने के लिये आवर्तक निधियां कायम करने हेतु राज्य सरकारों को ऋण/सहायता देने के लिए चौथी योजना में स्वास्थ्य तथा नगरीय विकास के मुख्य कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर एक बहुत बड़ी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के लिये कितनी धन राशि नियत की गयी है और उसके जिले-वार वितरण का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जिले-वार नियतन किन आधारों पर किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों को भूमि के अर्जन और विकास तथा नगरीय विस्तार के लिए आवर्तन निधि स्थापित करने के निमित्त केन्द्र द्वारा ऋण/सहायता के रूप में दिये जाने वाली कोई राशि निर्धारित नहीं है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए मिलाकर "खंड ऋणों" और "खंड अनुदानों" के रूप में दी जाती है । राशि का निर्धारण प्रतिवर्ष वार्षिक योजना के आकार और साधनों आदि की उपलब्धता को ध्यान में रख कर किया जाता है । केन्द्रीय खंड सहायता की कोई राशि किसी विशिष्ट योजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है । राज्य सरकारें अपनी निजी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय खड सहायता को नियत करने में स्वतंत्र हैं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण भी उपलब्ध किया जाता है । जिन्हें भूमि के अर्जन और विकास तथा नगरीय क्षेत्रों में आवास के लिये भी उपयोग में लाया जा सकता है ।

राज्ग कर विभिन्न ज़िलों में उपयोग के लिए निधियों का नियतन करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है ।

गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में स्थानीय व्यक्तियों की भर्त्ती

4535. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में स्थानीय व्यक्तियों की भर्त्ती के लिये कुछ मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मापदण्ड क्या हैं ;

(ग) क्या भर्त्ती के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन न किए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). भारतीय उर्वरक निगम के आप्रवेशन और पदोन्नति नियम-निगम के गोरखपुर प्लांट पर भी लागू है। इन नियमों के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भरती, गोरखपुर में रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है जिससे कि इन स्थानों पर स्थानीय लोगों की भरती में सुविधा रहे । निगम को निदेश दिया गया है कि वह सरकार का वर्तमान नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखें।

(ग) और (घ). जब कभी कोई शिकायत आती है तो सरकार उनकी जांच करती है और उचित कार्यवाही करती है। भारतीय उर्वरक निगम के पास आई शिकायतों पर निगम के द्वारा भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाने के लिये वित्तीय सहायता

4536 **श्री कृष्ण चन्द पांडे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार से कोई विशेष वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर कोरिया महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत के मित्र देशों के विरुद्ध विज्ञापन

4538. **श्री पीलू मोदी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर कोरिया महावाणिज्य दूतावास द्वारा दिये गये विज्ञापनों में अमरीका, जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कोरिया गणराज्य, जापान आदि जैसे भारत के मित्र देशों के विरुद्ध प्रचार था ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी हाँ । भारत के मित्र देशों की आलोचना के अनौचित्य की ओर कोरियाई लोकजन गणराज्य के प्रधान कौंसल का ध्यान दिलाया गया है। कोरियाई लोक जन गणराज्य के प्रधान कोंसल ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि वे इन विषयों पर मान्य पक्ष का पालन करेंगे।

चीन-भारत सीमा विवाद के बारे में उत्तर कोरिया की नीति

4539. **श्री पीलू मोदी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-साम्यवादी चीन सीमा विवाद के बारे में उत्तर कोरिया सरकार की जानी पहचानी तथा घोषित नीति क्या है?

विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : 1963 में कोरियाई लोक जनगण-राज्य ने भारत-चीन सीमा विवाद के प्रश्न पर सार्वजनिक रूप से चीन का समर्थन किया था।

गुजरात और आसाम राज्यों से अशोधित तेल और गैस से प्राप्त हुई आय का समन्वेषण तथा समन्वेषी कुओं को लागत से समायोजन

4540. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और आसाम से अशोधित तेल और गैस से प्राप्त हुई आय का गुजरात और आसाम को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में समन्वेषण तथा समन्वेषी कुओं की लागत से समायोजन किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ली जाने वाली गैस की लागत की गणना किस आधार पर की जाती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां। देश के विभिन्न भागों में जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग काम कर रहा है, समन्वेषण तथा समन्वेषी कुओं की लागत 15 वर्षों की अवधि में उसके विभिन्न तेल क्षेत्रों, जिनमें गुजरात और असम सम्मिलित है, से प्राप्त अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री से होने वाली आय से पूरी की जाती है।

(ख) अंकलेश्वर/कैम्बे क्षेत्रों की प्राकृतिक गैस के मूल्य का निर्धारण इस विषय पर डा० वी० के० आर० वी० राव के परिनिर्णय (एवार्ड) के आधार पर किया जाता है। अन्य मामलों में तेल और गैस प्राकृतिक गैस आयोग ने संबंधित उपभोक्ताओं के साथ समझौता-वार्ता करके मूल्य का निर्धारण किया था।

तेल कम्पनियों द्वारा राज्यों की राजधानियों को ईधन गैसों की सप्लाई

4541. **श्री डी० के० पंडा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियां सभी राज्यों की राजधानियों में ईधन के रूप में उपयुक्त होने वाली गैस की सप्लाई कर रही है ; और

(ख) किन राज्यों की राजधानियों में इन गैसों की सप्लाई नहीं हो रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) कोहिमा, अगरतला, इम्फाल, दादरा, पोर्ट ब्लेयर और लंकादिव।

थोरेसिका सर्जरी के लिये मेडिकल कालेज

4542. **श्री डी० के० पंडा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है जिनमें विद्यार्थी स्नातकोत्तर थोरैसिका सर्जरी का कोर्स कर सकते हैं ; और

(ख) उन कालेजों के नाम क्या हैं जहां स्नातकोत्तर अध्ययन में विद्यार्थियों के लिए जीवित हृदय के अध्ययन और कार्डियो वैस्क्यूलर सर्जरी की सुविधाएं प्राप्त हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वक्ष शल्यक्रिया का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण निम्नलिखित कालेजों में दिया जा रहा है :—

1. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैलोर ।
2. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास ।
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
4. के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ ।

(ख) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विकास खण्डों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

4543. **श्री बी० एन० पी० सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो देश के कितने विकास खण्डों में अभी तक कोई प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के ऐसे विकास खण्डों के क्या नाम हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां ।

(ख) 308 खण्ड (31-12-1970 तक) ;

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भवन निर्माण सोसाइटियों को सहायता

4544. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी अथवा ऐसी ही संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण तथा नगरीय जनता को अपने निजी मकान बनाने हेतु सहायता देने की सरकार की कोई निश्चित योजना है ;

(ख) क्या नगरीय तथा ग्रामीण आवास निगम ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे छोटे उपनगरों में सहकारी संस्थाओं तथा गृह निर्माण संगठनों की वित्तीय सहायता दे सकता है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) नगरीय तथा ग्रामीण जनता के लिये अपने निजी मकान बनाने संबंधी योजनाओं के 200 करोड़ रुपये की प्रार्वतक निधि से किस प्रकार सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं, सहकारिताओं के माध्यम से जनता को अपने भवन निर्माण में सहायता देने में प्रोत्साहन देती है । इसकी सूची नीचे दी जाती है :—

1. **औद्योगिक कर्मचारियों और सामुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना ।**

(i) औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारिताओं को अनुमेय ऋण सहायता की मात्रा, मालकों को अनुमेय 50 प्रतिशत की तुलना में, 65 प्रतिशत है । यह 25 प्रतिशत अनुमेय सहायता के अतिरिक्त है (सह-किरायेदारी के आधार पर आवास सहकारिताओं द्वारा निर्मित मकानों के बारे में) ।

(ii) 65 प्रतिशत ऋण के रूप में और 25 प्रतिशत सहायता के रूप में निकालने के उपरान्त, शेष 10 प्रतिशत जोकि कर्मचारियों की लागत का अपना भाग है, कर्मचारियों के अपने भविष्य निधि लेखा से न लौटाने वाले अग्रिम के रूप में निकालने की अनुमति है ।

(iii) सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत फैक्टरी स्थापनाओं को वित्तीय सहायता उसी पद्धति पर देने की अनुमति है जैसेकि औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारिताओं को ।

(iv) औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारिताओं को ऋण देने की पद्धति उपेक्षाकृत अधिक उदार है । उन्हें प्रत्येक तीन चरणों में राशि के 33⅓ प्रतिशत की अनुमति है, जैसे, शर्तों के मानने, निर्माण के कुर्सी स्तर तक पहुँचने पर तथा निर्माण के छत स्तर तक पहुँचने पर । इस की तुलना में, मालिकों को, ऋण की शर्तों के मानने पर, किसी सहायता की अनुमति नहीं है ।

2. **निम्न आयवर्ग आवास योजना ।**

राज्य सरकारों से ऋण की निधियों की अदायगी के मामले में सहकारिताओं को तरजीह देने का अनुरोध किया गया है ।

3. **ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ।**

इस योजना में भी, ऋण देने के बारे में सहकारिताओं को तरजीह देने की परिकल्पना है। भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिये भी सहकारिताओं को प्रोत्साहन देना योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

4. **मध्यम आय वर्ग आवास योजना :**

पर्याप्त निधियां निर्धारित करने और सहकारिताओं को तरजीह देने में राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं।

5. **भूमि अर्जन तथा विकास योजना ।**

राज्य सरकारें आवास-सहकारिताओं को रियायती दरों पर विकासित प्लाट आवंटित करने में स्वतन्त्र हैं, और इस अन्तर को, व्यापारिक तथा अन्य अनुमेय लोगों को, इस योजना के अधीन भूमि की बिक्री द्वारा हुए लाभ में से पूरा कर सकते हैं।

(ख) और (ग). निःसंदेह, इस निगम के लक्ष्य इतने व्यापक हैं कि उन में ग्रामीण आवास भी आ जाता है। तथापि, इसके साधनों पर दबाव होने से, निगम द्वारा अपनी गतिविधियों को, राज्य सरकारों, सांविधिक आवास बोर्डों/प्राधिकरणों, नगर निगमों आदि को, मूलतः नगरीय क्षेत्रों में और विशेषकर महानगरों में कमी जहां ऐसी कमी अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक शोचनीय है, में राहत पहुँचाने में सहायता देने तक सीमित रखे जाने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल में अस्पतालों में पलंगों की संख्या में वृद्धि

4545. **श्री बी० के० दासचौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों के अस्पताल पर पड़े भार को देखते हुए सरकार ने पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में पलंगों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमावर्ती जिलों के अस्पतालों में पलंगों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना उनके मंत्रालय को भेजी है और उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कूच बिहार जिले के लिए 300 पलंगों की वृद्धि अन्तिम रूप से मंजूर कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कूच बिहार की योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी राहत कार्यों की व्यवस्था हेतु 628.87 लाख रुपये की लागत की एक योजना भेजी है। इसके साथ साथ इस योजना में राज्य के सीमांत जिलों के अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में 2,700 अतिरिक्त पलंग बनाने तथा उनके रख रखाव की व्यवस्था है। अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने, 98,28,000/- रु० की अनुमानित लागत पर अर्थात 3,640 रु० प्रत्येक पलंग की दर से सीमांत जिलों के 43 राज्य अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में 2,700 अतिरिक्त पलंगों के स्थान के लिए नए स्थाई किस्म के आवास के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की मंजूरी दे दी है। इनमें से 360 पलंग कूचबिहार के जिले में रखे जाएंगे।

विवरण

(क) अनावर्ती	रुपये	
(i) 1,000 रु० प्रति पलंग की दर से 2,700 पलंगों के लिये उपस्कर, फर्निचर आदि खरीदना	27.00	लाख
(ii) विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था हेतु (चुने गए 25 संस्थानों में)	17.50	लाख
(क) एक्स-रे सेवाएं 50,000 रु० प्रति संस्थान की दर से		
(ख) प्रयोगशाला सेवायें (माइक्रोस्कोप तथा अन्य उपस्कर) 5,000 रु० प्रति संस्थान की दर से		
(ग) इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम (ई०सी०जी०) की व्यवस्था 15,000 रु० प्रति संस्थान की दर से		
(iii) अर्द्ध-स्थायी भवनों के निर्माण हेतु 2,640 रु० प्रति पलंग की दर से	71.00	लाख
(iv) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु	126.77	लाख
(v) टैन्ट, सफाई व्यवस्था आदि हेतु (भवन निर्माण पूरा होने तक इनकी आवश्यकता पड़ेगी)	10.00	लाख
(vi) 16 एम्बूलेंस खरीदने के लिये 36,000 रु० प्रति एम्बूलेंस की दर से	5.76	लाख
योग (क) अनावर्ती	258·03	लाख
(ख) आवर्ती	108.00	लाख
(1) 2700 पलंगों के लिये स्टाफ, औषधियां, आकस्मिक व्यय आदि 4,000 रु० प्रति पलंग की दर से स्टाफ के लिये 2,200 रु० प्रति पलंग की दर से औषधियों, आकस्मिक व्यय के लिये 1,000 प्रति पलंग की दर से	59,40,000 रु० 48,60,000 रु०	

(2) 16 ऐम्बूलेंस	2.48	लाख
(क) स्टाफ के लिए (ड्राईवर, क्लीनर आदि) 11,500 रुपये प्रति ऐम्बूलेंस की दर से 1.84 लाख रुपये		
(ख) रख-रखाव के लिए (पैट्रोल, मरम्मत, आकस्मिक व्यय आदि) 4,000 रुपये प्रत्येक की दर से 0.64 लाख रुपये		
योग (ख) आवर्ती	110.48	लाख
योग (क) और (ख)	368.51	लाख

Mosquito Menace in Delhi

4546. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether mosquito-menace is much on the increase in Delhi this year resulting in out break of diseases ;

(b) if so, the steps taken by Government to prevent it and the expenditure incurred thereon and the out-come thereof ;

(c) whether mosquito-menace has increased in some parts of Delhi due to worsening insanitary conditions there despite the preventive measures taken ;

(d) if so, whether any action has been taken by Government in this regard and for removal of insanitary conditions at an early date ; and

(e) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Some reports have appeared in the Press about the increase of mosquitoes in some localities of the Capital. Generally, there is a tendency towards an increase in the density of mosquitoes before the onset of spring, However there has been no focal out break of Malaria in Delhi.

(b) Anti-mosquito measures by applying larvicides to the water collections—the breeding places of mosquitoes—were intensified by the various authorities responsible for such measures. The provision made for these measures by D.M.C. and N.D.M.C. are Rs. 17 lakhs and Rs. 5 lakhs respectively for the year 1971-72. In addition, it is proposed to sanction a scheme to cover urban areas, as control of malaria in urban areas under local bodies has not been satisfactory. This scheme envisages supply of free larvicidal oil and augmentation of staff of local bodies.

(c) There is a close relationship between increase in densities of mosquitoes and insanitary conditions, improper disposal of sewages and water. Rapidly expanding population of Delhi and inadequate drainage prevailing in unauthorised colonies have, therefore, added to the problem of mosquito menace, in Delhi.

(d) and (e). The removal of insanitary conditions and control of mosquito menace in the capital is the responsibility of the various local bodies like Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Committee, the Railways, and the Army in their respective areas. It is understood that necessary preventive measures are being taken by these authorities.

दुर्गापुर के उर्वरक कारखाने को चालू करना

4547. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गापुर उर्वरक कारखाने को वर्ष 1971 के आरम्भ तक चालू कर दिया जाना था ;

(ख) क्या अब एक वर्ष तक स्थगित किये जाने के बाद भी कारखाने को चालू किया गया है अथवा नहीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्गापुर पूर्व-चालन अवस्था में प्रवेश कर चुका है और प्रायोजना के कुछ खण्डों में परीक्षण परिचालन भी आरम्भ हो गये हैं।

(ग) 1971 के आरम्भ से 1971 के मध्य तक परीक्षण परिचालनों के प्रारम्भ होने में विलम्ब के निम्न मुख्य कारण थे :

(i) देशीय निर्मित सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब ;

(ii) विदेश से उपकरणिका, पाइप-फिटिंगज, वाल्वज आदि के कुछ मदों, जो खो गये, कम प्राप्त हुए के प्रतिस्थापन की सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब । जिनकी अब जुलाई, 1971 में प्राप्त होने की आशा है ; और

(iii) स्थल पर विशेषरूप से ठेकेदारों तथा निर्माता के वर्कशाप में श्रमिकों की समस्या का निरन्तर बना रहना ।

पाकिस्तानी उच्चायोग के पठान और पंजाबी कर्मचारियों में विवाद

4548. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के पठान तथा पंजाबी कर्मचारियों के मध्य भी झड़पों के समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सभी गतिविधियां राजनयिक आचर के नियमों के अनुरूप है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसके बारे में विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) चूंकि ये घटनायें विदेशी राजनयिक मिशन के अहाते की है अतः सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है ।

ढाका से भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को स्वदेश वापस लाने के संबंध में स्विटजरलैंड के राजदूत के साथ हुई वार्ता

4549. **श्री रामचंद्रन कडनापल्ली** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1971 को नई दिल्ली में स्विटजरलैंड के राजदूत के साथ वार्ता हुई थी और ढाका से भारतीय राजनयिक कर्मचारियों को स्वदेश वापस लाने तथा कलकत्ता से पाकिस्तानी कर्मचारियों को वापस भेजने की रीतियों पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विचार-विमर्श में मुख्य विषय कलकत्ता में भूतपूर्व पाकिस्ता ी हाई कमिश्नर तथा कलकत्ता स्थित भूतपूर्व पाकिस्तानी हाई कमिशन के पूर्व बंगाली कर्मचारियों के बीच, जिन्होंने बंगला देश के प्रति निष्ठा प्रकट की है, बैठक की व्यवस्था करना था। यह बैठक ढाका से हमारे कर्मचारियों और कलकत्ता से पाकिस्तानी कर्मचारियों की वापसी की भूमिका के रूप में होगी।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी संस्था दिल्ली

4551. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी संस्था के ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने 300 वर्ग गज के प्लाटों के लिए तो अपने नाम पंजीकृत करवाये थे मगर जिन्हें उक्त संस्था ने 225/200 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किये हैं ;

(ख) उन व्यक्तियों की इस संस्था में सदस्यता किस-किस तारीख को पंजीकृत हुई ;

(ग) क्या उक्त संस्था के ऐसे भी कुछ सदस्य हैं जिन्होंने 500 वर्ग गज के आवंटन के लिए अपने नाम पंजीकृत कराये थे परन्तु जिन्हें 225/200 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है तथा वे उक्त संस्था में किस किस तारीख को पंजीकृत हुए ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) दस।

(ख) जैसा कि समिति ने सूचित किया है, उनके रजिस्ट्रेशन की तारीख 24-11-57 से 9-8-59 के बीच है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में एक नया मेडिकल कालेज खोलने की माँग

4552. **श्री सी० एस० मूर्ति :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नया मैडिकल कालेज खोलने की माँग की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय से काफी बड़ी संख्या में छात्र प्रथम श्रेणी में प्री मैडिकल परीक्षा पास कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान मेडिकल कालेज उनको खपाने में असमर्थ हैं। अतः कालेजों में मेडिकल सीटें बढ़ाना बहुत ही जरूरी है।

(ग) दिल्ली में नये मेडिकल कालेज की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सी०एल०टी०आर०आई० के कर्मचारियों की एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन

4553. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०एल०टी०आर०आई० के कर्मचारियों की एसोसिएशन ने एक ज्ञापन पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

नेशनल इंस्टीट्यूट फार लेपरासी का पुनः नामकरण

4554. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०एल०टी०आर०आई० संस्थान के शासी निकाय ने प्रस्ताव किया था कि उसका नाम बदल कर "नेशनल इंस्टीट्यूट फार लेपरासी रिसर्च' कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). 1965 में एक प्रस्ताव था कि सेन्ट्रल लेपरासी टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर राष्ट्रीय लेपरासी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया जाये। परन्तु शासी निकाय ने निश्चय किया कि इन्स्टीट्यूट का नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं।

सी०एल०टी०आर०आई० का "मौके पर अध्ययन"

4555. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी०एल०टी०आर०आई० (चेंगलपुट) के "मौके पर अध्ययन" के लिये किसी उच्च अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया था और यदि हां, तो उन्होंने किन-किन प्रस्तावों की सिफारिश की ; और

(ख) क्या चौथी योजना में इस संस्थान के सुधार के लिये कोई ठोस प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। प्रस्तावों को दर्शाते हुये एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हाँ। 19.97 लाख रुपयों की धन राशि आवटित की गई है।

विवरण

1. आहार की मात्रा में परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की व्यवस्था करना।
2. दैनिक उपयोग की जरूरी दवाइयों का भण्डार रखना ताकि इन दवाइयों की कमी न हो।
3. संस्थान के पुराने भवनों के रख-रखाव के लिए इनमें सफेदी और न्यूनतम मरम्मत करना।
4. केन्टीन का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये।
5. रोगियों को दो जोड़ी वर्दियां दी जायें तथा उनकी धुलाई भी सप्ताह में दो बार की जाये।
6. सभी वार्डों एवं ब्लाकों में छत के पंखों की व्यवस्था।
7. एक केन्द्रीय सामुदायिक रसोई-घर का निर्माण।
8. प्रत्येक रोगी शयन-कक्ष के साथ एक शौचालय बनाने की सिफारिश की गई थी।
9. अशक्त-रोगियों को उनके दैनिक जीवन में सहायता देना।

सी०एल०टी०आर०आई० में कार्य कर रहे कर्मचारियों का दर्जा

4556. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेंगलपुट स्थित सी०एल०टी०आर०आई० में कार्य कर रहे कर्मचारियों का दर्जा क्या है ;

(ख) क्या उन्हें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी माना जाता है अथवा सरकारी उपक्रम के कर्मचारी ;

(ग) क्या वे पेंशन तथा उपदान पाने के अधिकारी हैं और क्या इस समय उनके लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हैं ;

(घ) क्या सरकार इन कर्मचारियों को उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने जा रही है ; और

(ङ) क्या इस संस्थान में कोई कर्मचारी संघ कार्य कर रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों आदि से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी अन्य कर्मचारी व्यवहारत: इस संस्थान के कर्मचारी हैं। इसका संचालन एक शासी निकाय द्वारा चलाया जाता है। इस संस्थान को कानूनी दर्जा देने के प्रश्न पर विच र किया जा रहा है।

(ग) और (घ). इस संस्थान के कर्मचारी अंशदायी भविष्य-निधि के अन्तर्गत आते हैं।

(ङ) सस्थान के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एक संघ है।

Setting up of an Institution for Higher Learning and Academic Research in Ayurveda at Jhansi

4557. **Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government had in 1967 made an announcement to the effect that an Institution of Higher Learning and Academic Research in Ayurveda would be set up at Jhansi, which was publicised through the Press Information Bureau and All India Radio ;

(b) if so, the progress made during the last five years in this regard ;

(c) whether the outlines and the expenditure to be incurred on the said institute have since been worked out :

(d) if so, the main features thereof ; and

(e) how many more years are likely to be taken in implementing it and the steps proposed to be taken to set it up as early as possible ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) The Government of India had approved, in principle, a proposal in 1967 to establish a Central Institute for Advanced Studies and Research in Ayurvedic literature at Jhansi.

(b) to (e). The implementation of the Scheme which involved consultation with and the concurrence of the State Government, Servants of the Nation Society and the concerned departments of the Government, is being expedited.

राजस्थान के जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों में पेय-जल के लिये सर्वेक्षण

4558. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राजस्थान के जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों में पेय-जल के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित विशेष जांच प्रभाग ने, जैसलमेर सहित राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जलपूर्ति के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया है।

राजस्थान में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (पहले जिसका नाम "अन्वेषण ट्यूबवैल्स संगठन" था) द्वारा भूमिगत जल का सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा पड़ताल भी की जा रही है।

(ख) विशेष जांच प्रभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, कुओं के निर्माण तथा मरम्मत, क्षेत्रीय तथा पाइप जल पूर्ति योजनाओं, पम्प तथा टैंक एककों एवं डिग्गियों द्वारा पीने का पानी देने की व्यवस्था पर अनुमानतः कुल 69.60 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। अकेले जैसलमेर जिले के निर्माण कार्यों की लागत लगभग 65.39 लाख रुपये होगी।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने अभी तक नागौर, सीकर, चुरु, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, उदयपुर, बीकानेर, टौंक, झुनझुनू, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, तथा जयपुर जिलों का बाकायदा अध्ययन कर लिया है।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 94 तथा विशेष अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम के अंतर्गत 281 गवेषण सम्बन्धी गड्ढे खोदे हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की सहायता से पश्चिमी राजस्थान में स्रोतों का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत परियोजना भी शुरू की है।

मध्य प्रदेश में हरिजनों तथा आदिवासियों में व्याप्त कुपोषण

4559. **श्री उमेद सिंह राठिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में हरिजन तथा आदिवासी लोग कुपोषण के कारण रोगों के शिकार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पिछड़े राज्य का सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) इस कुपोषण को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा वर्ष 1971-72 के दौरान इस उद्देश्य के लिये केन्द्र द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासियों में कुपोषण एवं अल्प पोषण व्याप्त है और आदिवासी बच्चों में से लगभग 80 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। हरिजनों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) पोषण सम्बन्धी कमी पर काबू पाने के विचार से समाज कल्याण विभाग द्वारा 1970 से मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास खण्डों, पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों में 0-3 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिये एक विशेष भोजन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में सोयाबीन के दूध से बनी एक मिठाई-केक या बर्फी बच्चों को दी जाती है। 1971-72 के वित्तीय वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती तथा गोद के बच्चों वाली महिलाओं को भी लाया गया है।

इस समय आदिवासी क्षेत्रों में 68,877 बच्चों को भोजन देने के लिए 2018 भोजन केन्द्र हैं और मध्य प्रदेश की शहरी गन्दी बस्तियों में 21,130 बच्चों को भोजन देने के लिए 96 केन्द्र हैं। इन भोजन केन्द्रों के अन्तर्गत आदिवासी तथा हरिजनों सहित सभी समुदायों के लोग आ जाते हैं।

1971-72 के दौरान, मध्य प्रदेश को इस कार्य के लिए 51.19 लाख रुपये के धन का आवंटन कर दिया गया है।

राजस्थान और गुजरात में चेचक

4560. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और गुजरात में चेचक का अब भी भारी प्रकोप है तथा देश में चेचक के कुल मामलों में से 60 प्रतिशत मामले इन राज्यों के हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1971 (19-6-1971 तक) में देश भर के 7849 रोगियों में से राजस्थान और गुजरात में क्रमशः 3676 (46.8 प्रतिशत) तथा 197 (2.5 प्रतिशत) व्यक्तियों के इस रोग से ग्रस्त होने की सूचना मिली है। ये आंकड़े अस्थायी हैं।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) टीका लगाने, निगरानी कार्य तथा इस रोग के फैलाव की रोक थाम से सम्बन्धित गतिविधियों में तेजी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(2) दुमुही सुइयों का उपयोग कर अधिक कारगर और कम पीड़ा-कारक विधि से टीके लगाने का काम शुरू कर दिया गया है,

(3) लोग अधिक संख्या में टीके स्वैच्छिक रूप से लगवाने के लिए प्रस्तुत हों—इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार कार्य को तेज कर दिया गया है।

(4) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों जिसमें राजस्थान और गुजरात भी सम्मिलित है, को अतिरिक्त कर्मचारियों और आकस्मिक खर्चों के लिए शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जा रही है।

(5) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को जमाई हुई सूखी वैक्सीन नि:शुल्क दी जाती है।

कोढ़ पीड़ित व्यक्ति

4561. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कोढ़ पीड़ित व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1960-61 और 1970-71 में सरकारी और सरकार द्वारा धन लगाये गये अस्पतालों और क्लीनिकों में कुष्ठ रोगियों के लिये कुल कितने बिस्तर थे ;

(ग) कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि के लिये कौन से तथ्य उत्तरदायी हैं ; और

(घ) इस रोग पर नियन्त्रण पाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० कि कु) : (क) देश में लगभग 35 लाख लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। इन रोगियों का राज्यवार व्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	रोगियों की अनुमानित संख्या (लाखों में)
1. तमिलनाडु	6.4
2. आन्ध्र प्रदेश	5.2
3. बिहार	2.8
4. महाराष्ट्र	2.2
5. मैसूर	1.4
6. उड़ीसा	1.9
7. उत्तर प्रदेश	1.4
8. पश्चिम बंगाल	2.4
9. शेष भारत	1.3
योग :	25.0

(ख) 1960-61 में रोगी पलंगों की व्यवस्था वाले 221 अस्पतालों में लगभग 2800 पलंग उपलब्ध थे। घरों पर जाकर उपचार करने की पद्धति के कारगर होने के कारण पलंगों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

(ग) इस रोग के स्थानीय रूप से फैलने वाले क्षेत्रों की सारी जनता का सर्वेक्षण करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तथा अभी तक अनुमानित 25 लाख कुष्ठ रोगी रिकार्ड नहीं किए गए और उनका उपचार अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस काम के पूरा हो जाने के बाद दूसरे सर्वेक्षण से हमें यह जानकारी मिल जायेगी कि भारत में यह रोग बढ़ रहा है या घट रहा है क्योंकि पहले सर्वेक्षण के जो आंकड़े होंगे वे हमारे लिये आधारिक आंकड़ों का काम करेंगे।

(घ) सन् 1955 में भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिल कर जो राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था उसे तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। 1.4.1969 से इस कार्यक्रम को केन्द्र पुरोनिधानित योजना बना दिया गया है और यह 20 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में चल रहा है। इस समय यहां पर कुल मिलाकर 207 कुष्ठ नियंत्रण एकक और 1298 सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र हैं।

इनके अतिरिक्त 31 स्वैच्छिक संगठनों को कुष्ठ नियंत्रण कार्य करने के लिये सहायतार्थ अनुदान भी दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी 5 नियंत्रण प्रोजेक्ट स्थापित करवाये हैं। अभी तक हम इस कार्यक्रम के अधीन 8 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों को ला सके हैं तथा 9,19,142 रोगियों को दर्ज किया गया।

नई गर्भ-निरोधक वस्तुओं की खोज

4562. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में नई गर्भ-निरोधक वस्तु की खोज की गई ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने हाल ही हमें दो गर्भनिरोधक तैयार किये हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

( ) सेण्टक्रोमेने (67/20) : यह एक नयी खाई जाने वाली गैर-स्टेराइडल जननक्षमता-रोधी वस्तु है। यह एक गोली के रूप में है और इसकी केवल एक गोली महिला द्वारा सम्भोग क्रिया के चार दिनों के भीतर खाई जाती है। इस औषधि के सेवन से चूहों, कुत्तों और बन्दरों में तत्काल शत प्रतिशत गर्भनिरोध होने की सूचना मिली है। जैसा कि चूहों पर किये गए प्रयोग से पता चला है इस जनन-क्षमता-रोधी प्रभाव को दूर भी किया जा सकता है। बन्दरों और चूहों पर किये गये अध्ययनों से विदित हुआ है कि यह औषधि विषेश विषैली नहीं है। लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान में मनुष्य पर इस औषधि के गुणधर्मों का अध्ययन किया जा रहा है।

(2) **सेन्ट्रास्क्वेयर** : यह एक गर्भनिरोधक झिल्ली है जिसका योनि में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रभावकारी अंश है वह यूरिया है जो शुक्राणुनाशक पाया गया है और उसका उस स्थान विषविशेष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। लखनऊ और दिल्ली स्थित कुछ खास-खास परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों में हाल ही में इस तरीके की चिकित्सीय परख शुरू कर दी गई है।

इटली की एक फर्म के साथ छिद्रण-व्यापार में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हानि

4563. **श्री विरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली का एक फर्म के साथ छिद्रण व्यापार में फर्म को ठेका दिये जाने के बाद से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पांच करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है ;

(ख) क्या ठेका देते समय विश्व के सभी देशों से टेंडर नहीं मांगे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ). सन 1961 में ई० एन० आई० (ENI) इटली, जिस पर कि इटली सरकार का स्वामित्व है ने भारत सरकार को पैट्रोलियम क्षेत्र में भारत-इटली का सहयोग बढ़ाने के लिये एक बड़ा ऋण दिया। इस ऋण में से कुछ भाग ठेके पर व्यधन के लिये निर्धारित किया गया। इस ऋण के अन्तर्गत खुदाई का ठेका केवल ई० एन० आई० संघ की कम्पनियों को ही दिया जा सकता था। चूंकि स्नाम (SNAM) ही ई० एन० आई० संघ की एक मात्र व्यधन कम्पनी थी अतः यही कम्पनी व्यधन के ठेके की पात्र थी। इस कारण विश्व भर से विश्वीय निविदा (टैंडर) मंगाने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई।

2. दिसम्बर 1962 में और मई, 1963 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बहुत गहरे कुएं, जिसमें दिसम्बर 1962 ठेके के अंतर्गत बिहार तथा उत्तर प्रदेश में और मई 1963 के ठेके के अन्तर्गत पंजाब में खोदने के लिए दो ठेके किये थे। इन ठेकों के अन्तर्गत अक्तूबर 1963 से मई 1965 की अवधि में बिहार और उत्तर प्रदेश में और अक्तूबर 1964 से सितम्बर, 1966 की अवधि में पंजाब में व्यधन कार्य किया गया था। पहले ठेके के अन्तर्गत दो कुएं खोदे गये थे—एक बिहार के रक्साल नामक स्थान पर और एक उ० प्र० के मौहन्द्र नामक स्थान पर। 1963 के ठेके के अंतर्गत, जनौरी तथा बहल नामक स्थानों पर दो कुए खोदे गये थे। सभी कुएं शुष्क पाये गये थे। पहले ठेके (बिहार/उ० प्र०) के अंतर्गत कार्य एवं सेवाओं के लिये 24,19,053.93 डालर और व्यधन के लिये 68,17,476.00 रुपये के बीजक और पंजाब में 25,01,886.09 डालर और व्यधन के लिये 66,34,059.89 रुपये के बीजक थे।

3. एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अवलोकन पर, मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा केंद्रीय जांच ब्यौरो ने इस मामले पर विचार किया था। सरकार के सूचना के अनुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उन्होने इस मामले की आगे पैरवी नहीं की। सरकार द्वारा आगामी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक कर्मचारियों को मेरठ मवाना सड़क (उत्तर प्रदेश) पर भूमि का आवंटन

4564. **श्री विजय पाल सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बस्ती बनाने की योजना के अंतर्गत सैनिक कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेरठ-मवाना सड़क पर भूमि का आवंटन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने सैनिक कर्मचारियों को भूमि का आवंटन किया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने सभी अलाटियों को भूमि का कब्जा दे दिया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के लिए आवेदन-पत्र

4565. **श्री विजय पाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार लाटरी निकाल कर प्लाटों के आबंटन के लिये मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों से आवेदन-पत्र मांगने का है जैसा कि 1969 में किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में विज्ञापन, शीघ्र ही समाचार पत्रों में दिये जाने की सम्भावना है।

श्रीलंका के सैनिक अधिकारियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण

4566. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने श्रीलंका के सैनिक अधिकारियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) उस पर कितना खर्च आयेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). भारत सरकार विकासशील मित्र देशों को प्रशिक्षण सुविधायें, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी शामिल हैं, उन देशों को आर्थिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत देती हैं। श्रीलंका भी इन सुविधाओं का उपयोग करता है। प्रत्येक देश द्वारा उपयोग में लाई गई सुविधाओं का ब्यौरा देना वांछनीय नहीं होगा।

सेना में कमीशन के लिये "पैनल" में रखे गये उम्मीदवार

4567. **श्री मुल्की राज सैनी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो वर्ष में नियमित कमीशन के लिये (1) इण्डियन मिलिटरी अकादमी (2) नेशनल डिफेंस अकादमी और (3) शार्ट सर्विस कमीशन द्वारा चुने गये तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य पाये गये ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिन्हें चुने गये उम्मीदवारों के पैनल में रखा गया था ;

(ख) उनमें से वास्तव में कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा गया तथा प्रत्येक वर्ष सेवा में लिया गया ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष विभिन्न कमीशन सेवाओं में कितने स्थान रिक्त हुये तथा प्रत्येक पैनल की अवधि में कितने रिक्त स्थानों को नहीं भरा गया तथा अगले पैनल की अवधि के लिये छोड़ दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

जटनी (उड़ीसा) में पेय-जल की सुविधाओं की व्यवस्था

4568. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेय-जल की सप्लाई के सम्बन्ध में कठिनाई पूर्ण तथा कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना उड़ीसा में भी लागू की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय केन्द्र कौन-कौन से हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिए स्वीकार कर लिया गया है तथा उन क्षेत्रों के लिए तैयार की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं तथा अब तक केन्द्र ने क्या सहायता दी है ; और

(ग) क्या उड़ीसा के पुरी जिले में जटनी में पेय-जल की सुविधायें देने के लिए अब तक कोई प्रगति की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हाँ । विशेष जाँच प्रभागों की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में एक प्रभाग तथा तीन उप-प्रभाग हैं। इनका उद्देश्य गांवों को पेय जल की सप्लाई के सम्बन्ध में दुर्गम तथ-अभावग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाना तथा ऐसे क्षेत्रों के लिये लाभदायक योजनाएं एवं लागत अनुमान तैयार करना है ।

(ख) प्राप्त सूचना के आधार पर अस्थायीरूप से 1931 गांवों में पीने के पानी के संबंध में अभावग्रस्त एवं दुर्गम क्षेत्र पाये गए । इस संबंध में अभी विस्तृत रूप से जांच की जा रही है ।

(ग) इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है ।

7 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1451 के उत्तर में शुद्ध करने वाला वक्तव्य

Statement Correcting Answer to U. S. Q. No. 1451 dated 7.6.1971

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : दिनांक 7 जून, 1971 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1451 के उत्तर के आखिरी भाग में बतलाया गया था कि "रोगी अब चेहरे पहचान सकता है" । परन्तु इसके बाद जो पूछताछ की गई उससे मालूम हुआ कि यह सही नहीं है । श्री हजारी लाल नामक एक रोगी, जिसका आपरेशन डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नेत्र रोग विज्ञान केन्द्र में किया गया था, बचपन से ही अंधा था । आपरेशन से पूर्व उसे केवल प्रकाश का बोध हो सकता था । 28 अप्रैल को प्लास्टिक कोरनियल ग्राफ्टिंग किया गया और पाँच सप्ताहों के अंत में यह देखा गया कि ग्राफ्ट आंख में न लगाने का कोई चिन्ह नहीं है और ग्राफ्ट साफ है । जहां तक नजर में सुधार होने का प्रश्न है यह केवल नाम मात्र का था । मुंह के पास हाथ हिलाने डुलाने का उन्हें आभास हो जाता है, परन्तु यह कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं है ।

यह आपरेशन नजर ठीक करने के लिए नहीं किया गया था । प्लास्टिक कोर्निया ग्राफ्टिंग का मुख्य उद्देश्य फिलहाल यह सुनिश्चित करना है कि आदमी की आंख पालोमेर ग्रहण करले और वह स्पष्ट माध्यम के रूप में अनुरक्षित रह सके इसके साथ-साथ जहाँ तक नजर का सम्बन्ध है, हो सकता है कि उसमें भी किन्चित सुधार हो जाय ।

फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है कि रोगियों की आंखों में ये पोलोमेर उनकी नजर में किसी खास सुधार लाने के लिए अजमाया जाय । जितने रोगियों की आंखों में यह लगाया जाये उनमें से कितनों में यह ठीक लगता है और साफ रहता है यह देखने के लिए आगे परीक्षण किये जाते रहेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने का संयुक्त राज्य अमरीका का कथित निश्चय

Shri G. P. Yadav (Katihar) : I call the attention of the hon. Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Reported decision of U.S.A. to supply arms worth 35 million dollars to Pakistan under personal orders of President Nixon."

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 7 जुलाई, 1971 को सिनेटर चर्च के इस वक्तव्य का पाठ सरकार ने देखा है कि करीब 3.50 करोड़ डालर मूल्य के सैनिक उपस्कर अभी पाकिस्तान को जा रहे हैं । 8 जुलाई, 1971 को अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा था कि "पिछले पांच वित्तीय वर्षों में प्रति वर्ष औसतन अनुमानत: एक से डेढ़ करोड़ डालर तक का सामान भेजा गया है" ।

[श्री स्वर्ण सिंह]

सिनेटर चर्च अच्छी जानकारी रखने वाले सिनेटर हैं और वे अमरीका द्वारा विभिन्न देशों को हथियारों की सप्लाई के प्रश्न में बहुत रुचि लेते रहे हैं। सम्भव है कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वे बहुत गलत न हों। जो भी हो, डालर की राशि से यह ठीक-ठाक पता नहीं चलता कि कैसा और कितना सैनिक समान दिया गया है। कतिपय सरकारी स्रोतों से खरीदे गये उपस्कर सामान्य बाजार भाव से बहुत कम भाव पर खरीदे गये होते हैं। बहुत कम दामों पर खरीदे गए सभी फालतू पुर्जों से मारक शस्त्रास्त पुनः तैयार किये जा सकते हैं।

इस सदन के सभी वर्गों की तरह सरकार भी अमरीका द्वारा पाकिस्तान को निरन्तर सैनिक उपस्करों की सप्लाई के विषय में चिन्तित है। मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में हमने अमरीकी सरकार को अपने विचारों से स्पष्ट शब्दों में अवगत करा दिया है।

सरकार यह समझती है कि वर्तमान सन्दर्भ में किसी भी देश द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने का अर्थ है बंगला देश में नरसंहार की उपेक्षा करना और पाकिस्तान के सैनिक शासकों को अत्याचार जारी रखने के लिए प्रोत्साहन देना। इसका यह भी अर्थ है कि बंगला देश की जनता के खिलाफ पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासकों का पक्ष लेना। हमने अमरीकी सरकार को बहुत साफ-साफ शब्दों में यह बता दिया है कि बंगला देश की स्थिति पर तथा इस उपमहाद्वीप की शान्ति एवं स्थिरता और इस समूचे क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता पर भी इस तरह की नीति अपनाने का कितना गम्भीर परिणाम हो सकता है।

Shri G. P. Yadav : It has been said repeatedly by the Government of U.S.A. that it is interfering in vietnam and it has interfered in Korea for the protection of democracy and human rights and also to check the expansionism of China. But in the case of Bangla Desh, it is doing just the opposite. It has all along been advising us not to spend much on defence and, on the other hand, it has been equipping Pakistan with the most modern arms. The House is well aware that the efforts of an external affair minister to acquaint the administration of America with the Indian point of view on Bangla has not met with any success. Senator Frank Church has just now revealed that armaments worth 55 lakhs dollar are now being supplied to Pakistan. I want to know whether Mr. Kissinger has assured that in future no arms will be supplied to Pakistan and that pressure will be put on Pakistan in accordance with the spirit of freedom struggle which is already going on there ?

May I also know whether in view of Americas' anti-Indian policy and dumping huge quantity of armaments in Pakistan and thus endangering our security the Government will not accept any grant from U.S.A. ?

It has also been revealed in a press report that the ships which carry foodgrains from U.S.A. to Pakistan are being used for carrying troops from West Pakistan to East Pakistan. So it is a known fact now that America has come out openly to suppress the freedom struggle of Bangla Desh. May I also know whether Government will take effective measures against this policy of U.S.A.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनके भाषण के प्रथम भाग से सहमत हूं जिसमें उन्होंने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बारे में देश तथा सभा की चिन्ता व्यक्त की है। डा० किसिंगर तथ्य जानने आये थे और उन्होंने हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप ने उनको ऐसा आश्वासन देने के लिए कहा था।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने बहुत ऊंचे स्तर पर आश्वासन मांगा था परन्तु अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमने अमरीका सरकार के साथ इस बात को उठाया था कि वह बंगला देश में सैनिक कार्यवाही बन्द किये जाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाले, उनका कहना था कि वह इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठायेंगे। परन्तु इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार ने जो भी कार्यवाही की है हम उससे संतुष्ट नहीं है। अमरीका 1954 से पाकिस्तान को हथियारों लैस कर रहा है और 1965 तक उसने 1700 से 2000 मिलियन डालर के हथियार पाकिस्तान से को दिये थे, बंगला देश में पाकिस्तान की सैनिक कार्यवाही के बाद भी, जबकि अनेक देशों ने पाकिस्तान को हथियार देना बन्द कर दिया है, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई हमारे लिये चिन्ता का विषय है। अतः हम अमरीका द्वारा निरन्तर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की योजना त्याग दें चाहे उसके लिए लाइसैंस 25 मार्च से पहले ही क्यों न जारी किये गये हों।

हमें आज ही अमरीकी दूतावास द्वारा बताया गया है कि अमरीका का कोई भी फ्लैग शिप पाकिस्तानी सैनिकों को पूर्व बंगाल ले जाने के लिये प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : It is appeared in the papers that the hon. Minister is trying to conceal something from the House. No big country of the world wants us to become a powerful nation. The hon. Minister in his statement has stated that America has supplied arms worth 35 million dollars to Pakistan. I want to know how for it is correct and whether our ambassador in Washington has tried to as certain the facts in this regard ?

I also want to know the reasons for not taking the House into confidence for having discussion with Mr. Kissinger ? May I know whether our Government is prepared to recall our ambassador from Washington in view of the anti-India policy of U.S.A. ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीनेटर चर्च द्वारा 35 मिलियन डालर के जो आंकड़े दिये गये हैं वह लगभग ठीक ही हैं। सम्भव है कि इन को बढ़ा दिया जाए क्योंकि अमरीका द्वारा अलग-अलग समय पर अलग-अलग आंकड़े दिये जाते रहे हैं।

दूसरे प्रश्न के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि अमरीकी दूतावास ने हमें बताया है कि पाकिस्तानी सैनिकों के ले जाने के लिये अमीरकी फ्लैग जहाजों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि मि० श्री किसिंगर राष्ट्रपति निक्सन के सलाहकार हैं। वह नीति बनाने वालों से नहीं है। हमने उनके साथ केवल विचारों का आदान-प्रदान किया है। जबतक कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती तब तक विदेशी प्रतिनिधियों से बातचीत के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता है। अतः सदस्यों को अन्धेरे में रखने की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य ने अपने भाषण के अन्त में जो सुझाव दिया है उसको स्वीकार करने का हमारा कोई ईरादा नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : In 1954 America decided to supply arms on the plea that it wents to check communism to come there. But after 1965 ever. Russia

[Shri Jagannath Rao Joshi]

and China have also started supplying arms to Pakistan. Now it is receiving arms from almost all the big powers of the world. No big country of the world is prepared to put pressure on Pakistan for creating situation whereby the refugees could return to their homes. I have received a letter about ten days back in which it is written that boys and girls aged between 8 to 9 years took out hunger procession and collection funds which they have sent to Lahore because they feel that West Pakistanies have become refugees in their own homeland and because of the situation created by the Awami League action in Bangla Desh. May I know whether Government is aware of this fact ? May I also know the concrete steps Government purpose to take if an suggestion regarding creating normal situation for the return of refugees is not acceptable.

श्री स्वर्ण सिंह : अपने भाषण के प्रथम भाग में माननीय सदस्य ने हथियारों की सप्लाई के मामले में रूस और अमरीका को समान आधार पर लाने का प्रयास किया है, परन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमरीका ने बंगला देश की घटनाओं के पश्चात भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बन्द करने से इन्कार कर दिया है जब कि रूस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उसने अप्रैल के पश्चात पाकिस्तान को न तो हथियार और न ही पुर्जे आदि सप्लाई किये हैं।

हम आरम्भ से ही यह बात जानते थे कि पाकिस्तान को दिये जाने वाले टैंक और अन्य कई उपकरण साम्यवादी की रोकथाम के लिये प्रयोग में नहीं लाये जा सकते। हम जानते थे कि ये हिन्दुस्तान के विरुद्ध ही प्रयोग होंगे। बंगला देश सम्बन्धी सरकार की योजना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इस पर सारा दिन चर्चा हो चुकी है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The hon. External Affairs Minister should accept that he has failed to impress the American during his tour. It is now being said by the Americans that all the arms which are in pipe line will reach Pakistan. Senator Church has revealed some facts about it. I want to know the reaction of the Government in the regard that President Nixon has decided to supply arms to Pakistan at presonal level ? I want to know the quantity of arms America is going to supply to Pakistan in addition to the arms worth 35 million dollars already in the pipe line. I have also come to know that in 1972 America will give aid to India and Pakistan worth five million dollars. In addition to that aid worth 2.5 million dollars will be given to Pakistan. May I know the opinion of the hon. Minister is regard to the attitude and intentions of U.S.A. ?

Pakistan has already got sufficient weapons to continue his policy of carrage in Bangla Desh. In my view the new supply of armaments will inspires him to attack India on any burnt. The hon. Minister has just not said that we should not put Russia and America on the same footing. But in 'Isveslia' it news agency it has appeared that Russia is advising India to restrain and have patience in regard to Bangla Desh. Is it not that they are putting India and Pakistan on the same footing. Pakistan has launched civil aggression on India by pushing 70 lakhs refugees into India and now they are preparing for military action against this country.

I want to know whether Government have protested to America in writing ? May I know we have requested. Dr. Kissinger to visit refugee camp and see himself the tragedy ? If we have not requested him to do so what were the reasons for that ? May I know whether the External Affairs Minister has taken any steps to express resentment against the attitude of America ? May I know whether the Government is prepared to refuse the aid carring from America for the help of refugees in protest of their supplying arms to Pakistan ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रथम प्रश्न का उत्तर 'हां' में है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी 'हाँ' में है, । डा० किसिंगर ने कहा था कि वह बहुत व्यस्त हैं और वह शरणार्थी शिविरों में नहीं जा सकते। जहांतक उनसे मिलने वाली सहायता को न लेने के बारे में घोषणा करने का प्रश्न है मुझे खेद है कि मैं इस समय ऐसा नहीं कर सकता।

Shri Phool Chand Verma : It is a very important question two hours should be allotted for discussion on this subject.

अध्यक्ष महोदय : यदि नियम अनुमति दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्य का सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 638/71 ।]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जून 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 938 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 639/71]

बैंककारी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत दस्तावेज

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1971 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेज़ों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—सभापटल पर रखता हूं।

(एक) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक अवधि के काय और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[श्री के० आर० गणेश]

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक ग्राफ बड़ौदा के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छः) कनारा बैंक के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनाइटेड बैंक ग्राफ इण्डिया के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) देना बैंक के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) सिंडिकेट बैंक के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूनियन बैंक ग्राफ इण्डिया के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) इण्डियन बैंक के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) बैंक ग्राफ महाराष्ट्र के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969

तक की अवधि के कार्य और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 640/71**)

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड में कार्य का समीक्षा तथा उसके वार्षिक प्रतिवेदन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की उपधारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1968-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 641/71**]

अनुदानों की मांगें—1971-72
DEMANDS FOR GRANTS—1971-72

रक्षा मन्त्रालय

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : अध्यक्ष महोदय, बंगला देश में पाकिस्तानी सेना लोगों की नृसंश हत्या कर रही है । बंगला देश की जनता पाकिस्तानी जनता के जुल्मों का मुकाबला कर रही है । बंगला देश में किये जा रहे नरसंहार ने विश्वमत को जाग्रत कर दिया है । स्वतन्त्रता आन्दोलन में लगे लोगों के शौर्य की सब ओर से सराहना की जा रही है । सदस्यों ने उन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है । बंगला देश से भारी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं ।

पाकिस्तान द्वारा बंगला देश में किये जा रहे नृसंश अत्याचारों से हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिये भारी खतरा पैदा हो गया है ।

हमारी पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही घुसपैठ और सैनिक तैयारी की सभी को जानकारी है । पाकिस्तान द्वारा हमारी सुरक्षा को दी गई धमकी के बारे में पहले ही चर्चा की जा चुकी है । मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर सतर्कता और सुदृढ़ कर दी गयी है और विरोधियों द्वारा की जाने वाले किसी भी सम्भावित कार्यवाही का सामना करने के लिये पूरी सावधानी से काम लिया जा रहा है । हमने अपने सुरक्षा दलों को घुसपैठियों के साथ कठोर कार्यवाही करने के निदेश दे दिये हैं ।

पाकिस्तान द्वारा की जा रही अमानुषिक कार्यवाही से हमारे सैनिकों के इरादे और दृढ़

[श्री जगजीवन राम]

हो गये हैं और वे पाकिस्तान की किसी भी कार्यवाही का सामना करने के लिये तैयार हैं। मुक्ति फौज के स्वतन्त्रता सेनानियों का आदम्य साहस अन्त में बंगला देश की स्थापना करने में सफल होगा। इस मामले में स्वतन्त्रता सेनानियों से हमें पूरी सहानुभूति है।

रक्षा सम्बन्धी तैयारी में सुधार करने की जोरदार मांग की जा रही है। अनेक सदस्यों ने यह शिकायत की है कि रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में हमारी सुरक्षा को दी जाने वाली धमकियों का तो उल्लेख किया गया है लेकिन उन धमकियों का सामना करने के लिये किये गये प्रबन्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हम प्रत्येक दृष्टि से पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। पैदल सेना और तोपखानों की मार करने की शक्ति को बढ़ाने के यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। प्रक्षेपणास्त्र यूनिट की स्थापना से हमारी टैंक भेदी क्षमता अत्यधिक बढ़ गई है। नये हथियारों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा नई युद्ध कला का अभ्यास कराया जा रहा है। हमारी असाधारण शक्ति शत्रुओं के लिये काफी चिन्ता का विषय हो सकता है।

यह सच है कि पाकिस्तान ने 'मिरेज —III ई' विमान प्राप्त कर लिये हैं। हमारी वायु सेना ने पाकिस्तान की वायु सेना की शक्ति की वृद्धि पर पूरी तरह ध्यान दिया है। हमारे लड़ाकू बमवर्षक विमान पूर्णतया आधुनिक हैं। हाल ही में हमने वायु सेना में कमानों का पुनर्गठन किया है। संचालन की स्थिति में सुधार करने के लिए संचालन अभ्यास, जिसमें शस्त्र चलाने का अभ्यास भी शामिल है, भी निरन्तर किये जा रहे हैं।

नौ सेना की शक्ति के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की गई है। यह सच है कि पाकिस्तान ने पनडुब्बी युद्ध के क्षेत्र में नई शक्ति प्राप्त कर ली है। लेकिन हमने भी अपनी शक्ति में सुधार कर लिया है। हमारी नौसेना के पास अब पनडुब्बी शस्त्र हैं। नौसेना के पास मिसाइल ले जाने वाले विमान हैं। विशाखापतनम पर एक नयी गोदी का निर्माण किया गया है।

हमने विमानभेदी तोपों को आधुनिक तथा शक्तिशाली बना लिया है। हमने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों की स्थापना कर ली है। केन्द्रीय सरकार इन मामलों पर काफी व्यय कर रही है।

हम विदेशों पर इस सम्बन्ध में अधिक समय तक निर्भर नहीं रह सकते हैं। इस बारे में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमारे आयुध कारखाने और रक्षा उपक्रम सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। अनेक नये तरीके के शस्त्र तथा उपकरणों का विकास किया गया है और उनका निर्माण किया जा रहा है।

1971-72 के बजट में रक्षा मन्त्रालय के लिए 1241.66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गत वर्ष की तुलना में यह राशि अधिक है। आयुध कारखानों और उपकरणों की खरीद के लिये भी धन की व्यवस्था में वृद्धि की गई है। सरकार ने मांगों को प्रस्तुत करते समय अपनी अर्थव्यवस्था के विकास और जनता को इस बारे में दिये गये बचनों की ओर भी ध्यान दिया गया है।

केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के तैनात करने से ही राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। इस बारे में सरकार को अनेक बातों की ओर ध्यान देना होता है। हमें आशा है सरकार को जनता से इस बारे में पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

अनेक सदस्यों ने सरकार को समयानुसार चलने का सुझाव दिया है। हम रक्षा सेवा के ढांचे और उसके प्रबन्ध को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार रक्षा के मामले में विशेषज्ञता पर अधिक जोर दे रही है।

हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की क्षमता की तुलना किसी भी विकसित देश के वैज्ञानिकों से की जा सकती है।

अनेक सदस्यों ने हमारी सेना द्वारा परमाणु शक्ति का प्रयोग करने के बारे में विचार व्यक्त किये हैं। हमारी वर्तमान नीति परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति के लिये करने की है। हमारे विचार से परम्परागत हथियारों के उपयोग करने की हमारी क्षमता का स्थान परमाणु अस्त्र नहीं ले सकते हैं।

सीमाओं की रक्षा के अतिरिक्त हमारी सेना की कुछ और जिम्मेवारियां भी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारियों को सेना ने बहुत अच्छी तरह निभाया है। इसी प्रकार, अन्य देशों से सहायता का अनुरोध प्राप्त होने पर हमने उनकी हर प्रकार से सहायता की है। हाल ही में हमने श्री लंका को भी सैनिक सहायता भेजी थी। हमने उसे कुछ हैलीकाप्टर दिये थे। लंका के तटों पर गश्त लगाने में हमारी नौसेना के जहाजों ने लंका की नौसेना की सहायता की थी। हम उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये सहमत हो गये हैं।

सेना की देश के आंतरिक मामलों के प्रति भी जिम्मेवारी है। आंतरिक सुरक्षा को खतरा होने पर उसे असैनिक अधिकारियों की सहायता करनी होती है। उसका प्रयोग देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी किया जाता है।

सेना ने भूकम्प, बाढ़ तथा अकाल जैसी दैवी विपत्तियों में भी असैनिक अधिकारियों की सहायता की है। गत वर्ष अनेक ऐसे अवसरों पर सेना की सहायता हमें लेनी पड़ी थी। सेना ने अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की।

अनेक सदस्यों ने प्रादेशिक सेना में हुई कमी की ओर ध्यान दिलाया है। प्रादेशिक सेना की अधिकृत शक्ति लगभग 50,000 है जबकि वास्तविक शक्ति 43,000 के लगभग है। इस बारे में पुनर्विलोकन करने के लिए पटियाला के महाराजा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी।

समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय कैडिट कोर पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होने तथा इस मामले में राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने का भी सुझाव दिया गया है। लेकिन कुंजरू समिति ने यह विचार व्यक्त किये गये थे कि राज्यों को, जो शिक्षा के लिये स्वयं जिम्मेवार हैं, इस कोर सम्बन्धी सभी मामलों

[श्री जगजीवन राम]

में सक्रिय रूचि लेनी चाहिये। इसके अन्तर्गत युवकों और युवतियों को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आशा है इससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभ उठायेंगे। ऐसी योजना तैयार की गई है जिससे विद्यार्थियों को अधिक सुविधाएं मिल सकें और उनके चरित्र का विकास हो सके। कमीशन रैंक में पदों को भरने के लिए नेशनल कैडिट कोर के कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। नेशनल कैडेट कोर के विद्यार्थियों को तीनों सेवाओं में भर्ती के लिये भी लाभ दिये जायेंगे।

अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा चालू करने का भी सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय खेल संगठन का संचालन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। इन दोनों के विलय से अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के लिये उत्तम विकल्प बन जाना है।

अनेक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि हमारी सशस्त्र सेना का गठन जाति और धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिये और लड़ाकू और गैर-लड़ाकू जातियों में भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये।

इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति रही है कि सशस्त्र सेना का गठन व्यापक आधार पर किया जाये और देश के प्रति अपनी निष्ठा से वे शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

हमारी यह नीति वायुसेना, नौसेना और थल सेना के अधिकारियों पर लागू होती है। फिर भी ऐतिहासिक कारणों से कुछ दस्ते जातियों के आधार पर बनाये गये हैं। अब धीरे-धीरे इन दस्तों में अन्य वर्गों के लोगों को भरती किया जा रहा है।

हमारी भरती करने की नीति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। देश में सब क्षेत्रों के लिये 15 चयन बोर्डों और 68 भरती केन्द्रों की स्थापना की गई है। प्रत्येक जोन के लिये कोटा निर्धारित कर दिया गया है।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में सरकार ने कुछ सुधार करने का प्रयास किया है। लेकिन हमारा देश विकासशील है और हमारे संसाधन होने के कारण हम उतना नहीं कर पाये हैं जितना करना चाहते हैं।

अग्रिम क्षेत्रों या अधिक ऊंचाई पर रहने वाले सैनिकों को अतिरिक्त राशन और कपड़े की सुविधा दी गई है। उन्हें विशेष प्रतिकर भत्ता देने की भी व्यवस्था की गई है। अधिकतम वेतन मान पर पहुँचने वाले सैनिकों को अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि देनी की भी व्यवस्था की गई है। सितम्बर, 1970 से सेना के जवानों को 4 रुपये प्रतिमास अतिरिक्त राहत देने की व्यवस्था की गई है।

उनके लिये पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं को भी उदार बनाया गया है। उनके लिये पेंशन की न्यूनतम राशि 40 रुपये कर दी गई है। पेंशन की राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि सेवा निवृत होने से पूर्व ही पेंशन की राशि निर्धारित कर ली जाती है।

वर्ष 1970-71 के दौरान जूनियर कमीशन रैंक तथा अन्य रैंक के अधिकारियों के लिए लगभग 5,000 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है और इतने ही क्वार्टर निर्माणाधीन है।

सशस्त्र सेना की सेवा की शर्तों में सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है और अन्य रैंक और जवानों के लिए भी ऐसी ही कार्यवाही की जा रही है।

अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे जवानों के कल्याण की ओर ध्यान दें और जवानों में यह भावना पैदा करें कि उनकी पूरी देखभाल की जाती है।

जवानों को सप्लाई किये जाने वाला राशन खाद्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है। उस स्टाफ का निरीक्षण रक्षा संगठन की खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। यदि इस बारे में की गई शिकायतों की मुझे जानकारी दी गई तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

अनेक सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्था में सुधार करने पर जोर दिया है। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक संचार साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस बारे में सीमा सड़क निर्माण संगठन ने कुछ कार्य किया गया है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है मैं इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रहा हूं।

हमें अपनी सेना को जवान तथा सशक्त रखना होता है। अतः सैनिकों को तुलनात्मक कम आयु पर सेवानिवृत करना होता है। लगभग 50,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष सेवा निवृत होते हैं उनमें से दो तिहाई से अधिक व्यक्तियों को दूसरे रूप में पुनर्वास के लिये सहायता की जरूरत होती है। हमारा यह प्रयत्न है कि विभिन्न असैनिक व्यवसायों में दाखिल होने के लिये उन्हें सुविधायें दी जायें। भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों के अधीन रोजगार देने के लिए उनके लिये पद आरक्षित किये जाने हैं तथा उन्हें इस बारे में रियायतें दी जाती हैं।

उदाहरण के तौर पर चौथी श्रेणी के पदों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिये तीसरी श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु सीमा में छूट दी गई है इसके अतिरिक्त उन्हें तीन वर्ष की और छूट दी गई है। उनके लिए न्यूनतम योग्यताओं में छूट दी गई है। उनके लिये आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० में भी स्थान आरक्षित है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके लिए विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

उनके मामले में आयु-सीमा में भी छूट दे दी गई है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसी ही छूट दे रखी हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिये रियायतों पर गत वर्ष नवम्बर में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। इस वर्ष पुनः उन पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और होम गार्ड्स जैसे अर्ध सैनिक संगठनों में भूतपूर्व सैनिकों के लेने के लिये विशेष व्यवस्था विद्यमान है। उनके लिये ऐसी व्यवस्था भी की गई है और ऐसे उपाय सुझाये गये थे कि सेना से मुक्त किये गये अधिकारियों

[श्री जगजीवन राम]

को 6 महीने के अन्दर अन्दर ही किसी न किसी काम पर लगा दिया जाये। सभा को यह जानकर हर्ष होगा कि 1970-71 में 23600 भूतपूर्व सैनिकों को अन्यत्र काम पर लगाया गया। ऐसे लोगों को प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह भी व्यवस्था है कि वे सेवा-निवृत्ति से 6 मास पूर्व ही ऐसे संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सरकार भुगतान करती रहेगी और प्रशिक्षण के बाद उनके लिये अपने निजी उद्योग स्थापित करना सरल होगा भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर प्रदान करने के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि का एक कोष भी बनाया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिये चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। रक्षा प्रतिष्ठानों में औद्योगिक और गैर औद्योगिक काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में कुछ कार्यवाही की गई है और कुछ की जा रही है। मुझे पूर्ण आशा है कि वे भी अपना कर्त्तव्य राष्ट्र हित में पूर्ण निष्ठा से पूरा करेंगे।

रक्षा से सम्बन्धित सामान का उत्पादन बढ़ाने और उनके भंडार करने के सम्बन्ध में जो प्रगति अब तक हुई है, उसका ब्यौरा रक्षा उत्पादन मंत्री पहले ही दे चुके हैं। रक्षा-उत्पादन एककों की स्थापना के बारे में एक शिकायत की गई है कि उनकी स्थापना के मामले में भेदभाव किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि उनकी स्थापना के स्थान का चयन पूर्ण आर्थिक तकनीक अध्ययन के आधार पर किया गया है। एक स्थान को केरल में उपयुक्त समझा गया है और वहां एक कारखाना लगा दिया गया। इस मामले में भेदभाव नहीं बरता गया है। जहां तक वायु सेना के जरनल ड्यूटी अफसरों और टेक्नीकल अफसरों में अन्तर का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन दोनों संवर्ग के अधिकारियों के कर्त्तव्य और दायित्व अलग-अलग है। अतः उनके वेतन मान भत्ते और भर्त्ती के नियम भी अलग-अलग हैं।

जहां तक मंत्रालय में सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग का सम्बन्ध है, इस कार्य के लिये मंत्रालय में सरकारी भाषा कार्यान्वयन समिति स्थापित कर दी गई है। सेना के मुख्य-कार्यालयों में भी ऐसी समितियाँ स्थापित कर दी गई हैं। इन समितियों के कार्य का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा।

बर्फ से ढकी पहाड़ की ऊंचाइयों में और स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए जो कठिन कार्य करते हैं उसके लिए क्षणिक आर्थिक प्रतिकर कोई अर्थ नहीं रखता। इस कार्य के लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी ही थोड़ी है। किन्तु इसक अर्थ यह भी नहीं है कि उनके वेतन और भत्तों आदि पर ध्यान ही न दिया जाये। इस प्रश्न पर सेना के मुख्य कार्यालय, तीनों सेनाध्यक्ष पहले ही विचार कर चुके हैं और अब यह प्रश्न वेतन आयोग के विचाराधीन है। मुझे पूर्ण आशा है कि तीसरा वेतन आयोग ऐसे सुझाव देगा जिनसे हमारे सैनिकों को आर्थिक लाभ होगा।

सैनिकों और सैनिक अफसरों के मनोबल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वयं जाकर देखकर आया हूं कि उनका मनोबल सचमुच बहुत ऊंचा है और वे प्रत्येक कार्य को जो उन्हें सौंपा जायेगा, वीरता से पूरा करेंगे। साथ में यह भी बताना चाहता हूँ कि रक्षा

से सम्बन्धित मामलों में निर्णय लेने या न लेने की जिम्मेदारी पूर्णतः मेरे ऊपर और सरकार के ऊपर है। इस सम्बन्ध में सेना के बड़े अधिकारियों पर दोष लगाना उचित नहीं है। श्री समर गुह मुझे डरपोक समझते हैं, किन्तु मैं खाली धमकी देने में विश्वास नहीं करता। जब भी आवश्यकता होती है, सेना ने अपना कार्य ठीक ढंग से किया है और दूसरों की धमकियों का सामना किया है। भविष्य में भी जब अवसर आयेगा, हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, या जो अन्य प्रश्न उठाये हैं उन सभी के बारे में मंत्रालय द्वारा एक बृहद् नोट तैयार कर लिया गया है और उन पर उचित ध्यान दिया जायेगा। अन्त में मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय के कार्य में अपनी रूचि दिखाई। साथ ही मैं सभा को यह भी आश्वासन देता हूं कि जो हमारे मंत्रालय का जो काम है वह निष्ठापूर्वक किया जायेगा और जो भी बाहरी धमकी या चुनौती होगी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 30 पर मतदान अलग से हो।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2, 3 से 8 तक, 9 से 16 तक और 17 से 29 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions Nos. 1, 2, 3 to 8, 9, to 16 and 17 to 29 were put and nagatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The cut Motion No. 30 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 31 से 34 तक मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut Motions Nos. 31 to 34 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा रक्षा मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted.

मांग सं०	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रक्षा मन्त्रालय	81,19,000
2	रक्षा सेवाएं, सक्रिय थल-सेना	5,42,50,67,000
3	रक्षा सेवाएं, सक्रिय जल-सेना	3[illegible],52,67,0[illegible]0
4	रक्षा सेवाएं, सक्रिय वायु-सेना	1,63,30,[illegible]0,000
5	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	31,53,3[illegible],000
111	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,0[illegible],[illegible]5,[illegible]5,000
112	रक्षा मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	3,06,67,000

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को लेंगे। जो सदस्य इस समय सभा में उपस्थित हैं, वे अपनी कटौती प्रस्ताव के क्रमांक पर्चियों पर लिखकर 15 मिनट के अन्दर मेरे पास भेज दें। उन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

वर्ष 1971-72 के लिये पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
81	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	17,30,000
82	ऋतु विज्ञान	3,45,09 000
83	विमानन	11,92,12,000
84	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,94,71,000
138	विमानन पर पूंजी परिव्यय	8,91,51,000
139	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	10,02,53,000

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : श्रीमन्, सर्वप्रथम मेरा यह निवेदन है कि हम सरकार की इस मंत्रालय से सम्बन्धित नीति से सहमत नहीं हैं। सरकार की वर्तमान नीति से ऐसा प्रतीत होता है कि सभवत: नागर विमानन सेवा केवल धनी लोगों, बड़े व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, मन्त्रियों, संसद सदस्यों और केवल विदेशी यात्रियों के लिये ही है और देश की 90 प्रतिशत सामान्य जनता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। विमानन सेवा एक जनोपगोगी सेवा है किन्तु एक सामान्य व्यक्ति विमान—सेवा का लाभ नहीं उठा सकता है। अत: विमान-सेवा के किराये की दरों पर सरकार को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि विमान सेवा का लाभ जन सामान्य भी उठा सकें। आम आदमी के लिए किराये में विशेष रियायतें दी जानी चाहिए जिससे वह भी मेलों में अथवा पर्यटन केन्द्रों पर जा सके। जहां तक सम्भव हो सभी छोटे कस्बों के विमान-सेवा से जोड़ा जाना चाहिये।

सरकार के नागर विमानन विभाग का रवैया अपने कर्मचारियों के प्रति बड़ा रूखा है। प्रबन्धक अपने कर्मचारियों की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करते और वे उनकी उपेक्षा करते हैं। श्रमिकों, तकनिशनों और विमान-चालकों की शिकायतों पर सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया है और उनकी समस्याएं अभी तक नहीं सुलझायी जा सकी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

जहां तक श्रमिक संघ को मान्यता देने का सम्बन्ध है, इसके बारे में सदस्यों ने कई बार

मांग की है कि संघ को मान्यता गुप्त प्रदान के द्वारा दी जाये। किन्तु मन्त्रालय इस मांग को स्वीकार नहीं कर रहा है।

प्रबन्धकों की यह कितनी अनुचित और गैर जिम्मेदाराना कार्यवाही है कि मार्च 1971 के अन्तिम सप्ताह में उन्होंने अपनी इच्छा से इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी घोषित कर दी थी और "नियमानुसार कार्य आन्दोलन" को चलाने वाले श्रमिकों के पांच नेताओं को निलम्बित कर दिया था। यह आन्दोलन वे अपनी मांगों के सम्बन्ध में कर रहे थे दूसरी ओर मन्त्री महोदय विभाग के अधिकारी अपने आश्वासनों को पूरा नहीं करते हैं। प्रबन्धकों की श्रम-विरोधी नीति का एक अन्य उदाहरण यह है कि पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान बन्द करने के परिणामस्वरूप विमान सेवा में लगे जो कर्मचारी बेरोजगार हुए उन्हें अभी तक अन्यत्र काम पर नहीं लगाया गया है। एक अन्य उदाहरण यह है कि प्रबन्धक कर्मचारियों से निर्धारित समय से अधिक कार्य लेते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। कार्यालय समय से अधिक समय तक काम लेने के लिए बाध्य करने की नीति तत्काल त्याग दी जानी चाहिए। विमान सेनाओं के लिए बोइंग और जम्बो जेट विमान खरीदते समय विश्व भर से टेन्डर नहीं मांगे गये बल्कि पक्षपात के आधार पर अपनी चहेती फर्मों को क्रयादेश दिये गये। यह था भी गलत है। यात्रियों को 20 प्रतिशत की जो छूट दी गई है, उसका राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग किया जायेगा। ऐसा मैं समझता हूँ। इसका लाभ जन सामान्य को नहीं होगा। अतः इसके बारे में स्पष्ट नियम बनाये जाने चाहिए कि किन-किन को यह रियायत मिलेगी। अन्यथा व्यापारी लोग चालाकी से इसका लाभ उठायेंगे। इससे हमारे देश के पर्यटन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है यह एक ऐसा विभाग है जहां से विदेशी मुद्रा की आय होती है। अब हमारे यहाँ केवल पश्चिमी देशों से पर्यटक आते हैं। उनके आकर्षित करने के लिए सरकार जितना विज्ञापन खर्च करती है यदि उसको प्रति पर्यटक के हिसाब से देखेंगे, तो भारत को लाभ नहीं के बराबर होगा। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी सरकार को कोई कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे यहां पर्यटकों को सहायता और दिग्दर्शन के लिए उचित मानचित्र और दिग्दर्शक पुस्तिकाएं नहीं हैं। ऐसे मानचित्र और पुस्तिकाएं प्रकाशित की जानी चाहिए, जिनमें पर्यटकों के लिए अपेक्षित जानकारी है।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मालदा को जहां हवाई अड्डा तो है, पर जो विमान सेवा से वंचित है, विमान सेवा से जोड़े जाना चाहिये। यह एक पर्यटन केन्द्र है और यहाँ विमान सेवा के लिए प्रर्याप्त यातायात है। कालीकट में निर्माणाधीन हवाई अड्डे को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। अन्त में, मेरा यह सुझाव है कि नागर विमानन पर से पूंजीपतियों और प्रबन्धकों का अनपेक्षित नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। तभी प्रबन्धकों और कर्मचारियों के सम्बन्ध सुधरेंगे और विमान सेवा का उपयोग देश के सामान्य लोग कर सकेंगे।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपये
82	20	श्री के० बालतन्डायुतम :	नागपट्टिणम् में तूफान का पता लगाने वाला प्रस्तावित रडार स्थापित करने में असफलता।	100
83	21	,,	मद्रास-मदुरै, मद्रास-कोयम्बतूर विमान उड़ानों के समय को बदलने की आवश्यकता, ताकि उनका तालमेल मद्रास-दिल्ली और दिल्ली-मद्रास उड़ानों के साथ किया जा सके।	
84	22	,,	तमिल नाडु में मदूरै, थक्कड़ी कोरटालम्, कन्याकुमारी का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने तथा वहां पर पर्यटक होटलों का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
138	23	,,	वलनाडु अथवा काईथारू के निकट तूतीकोरिन बन्दरगाह के लिए हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता।	,,
	24	,,	तमिल नाडु में मद्रास और तंजौर, कोयम्बतूर और सलेम, कोयम्बतूर और नीलगिरि, मदुरै और तूतीकोरिन के बीच, कम दूरी वाली विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
81	37	श्री रामावतार शास्त्री :	गया जिले के बराबर पहाड़ को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता।	,,
	38	,,	राजग्रह में पर्यटकों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधायें प्रदान करने में असफलता।	,,
	39	,,	पटना हवाई अड्डे का विकास करने की आवश्यकता।	,,

1	3	4	5
			रुपये
40	श्री रामावतार शास्त्री :	पटना से दिल्ली तक, रात्रि विमान सेवा चालू करने की आवश्यकता ।	100
41	,,	पटना से गया तक विमान सेवा चालू करने की आवश्यकता ।	,,
42	,,	पटना से मुजफ्फरपुर तक विमान सेवा चालू करने की आवश्यकता ।	,,
43	,,	पटना से दरभंगा तक विमान सेवा चालू करने की आवश्यकता ।	,,
44	,,	पटना से भागलपुर तक विमान सेवा चालू करने की आवश्यकता ।	,,
45	,,	बिहार से पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार की योजना को स्वीकार करने में तथा उसके लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि देने में असफलता ।	,,
46	,,	राजग्रह, नालन्दा, बौद्ध गया और वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ।	,,
47	,,	पटना में सरकारी क्षेत्र में एक पर्यटक-होटल खोलने की आवश्यकता ।	,,
48	,,	पारसनाथ पहाड़ का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की आवश्यकता ।	,,
49	,,	दिल्ली से पटना तक एक बड़ा और तेज रफ्तार वाला हवाई जहाज चलाने की आवश्यकता ।	,,
50	,,	विमान यात्रियों को सुविधाजनक शर्तों पर वापसी टिकट देने की आवश्यकता ।	,,
51	,,	बिहार में जिला चम्पारन में, पीपली कानन (पीपरा) में एतिहासिक स्थानों को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ।	,,
52	,,	चम्पारन जिले में मोतीहारी झील को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
	53	**श्री रामावतार शास्त्री** :	चेम्पारन जिले में भैंसा लोटन बांध (वाल्मिकी नगर) का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की आवश्यकता।	100
	54	,,	पटना में कुम्बरार का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की आवश्यकता।	,,
	55	,,	पटना जिले में मनेर शरीफ का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की आवश्यकता।	,,
	56	,,	देश में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
	57	,,	पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों को यथेष्ट सहायता देने की आवश्यकता।	,,
	58	,,	उच्चाधिकारियों के वेतन कम करके मन्त्रालय के व्यय को घटाने की आवश्यकता।	
	59	,,	पर्यटन और नागर विमानन कार्यालय में काम करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए सुविधायें बढ़ाने में असफलता।	
	60	,,	ऋतु विज्ञान सम्बन्धी कार्य में कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
	61	,,	हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों में स्थान ग्रहण करने से पहले अन्य यात्रियों के साथ संसद् सदस्यों की भी तलाशी लेने की अपमानजनक प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता।	
	62	,,	हवाई अड्डों पर खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की बिक्री बाजार के मूल्यों पर करने में असफलता।	
	63	,,	विमान यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन तथा जलपान के गुण-प्रकार में सुधार करने की आवश्यकता।	

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : Tourist industry is a paying industry. It has been observed that the number of tourists has exceeded the population of certain countries. In India the number of tourist spots depicting natural scenery and of religious, cultural, artistic and construction value is much higher than in any other country of the world. The Department of Tourism has started taking interest for the last two years or so and the number of tourists in India is increasing. It has been estimated that the number of tourists will be increased to 4 lakhs in 1973, 5 lakhs in 1975 and 9 lakhs in 1980 In order to accommodate them 45 thousand hotel rooms will be required. We will have to spent Rs. 280 crores to meet these requirements. In view of this we should take steps right now so that we may not have to face difficulties in future.

At present the number of recognised hotels is only 179 and there are 9659 rooms therein. I would therefore, suggest that Rs. 10 crores should be allocated to Hotel Development funds. In case Government does not impose Wealth Tax on Hotel bungalows than many hotels would be established in private sector.

There are many places of tourist interest but no facilities have been provided there. Government has made a provision of Rs. 25 crores which is highly inadequate and it should, therefore, be raised to Rs. 100 crores, for immediate development of places of tourist interest. The amount sanctioned to provide transport facilities is Rs. 1 crore but it is insufficient and therefore this amount should also be increased to Rs. 5 crores so that sufficient buses could be purchased. In fact Tourist Transport Industry should be declared as export oriented industry.

There should be clubs, hotels or restaurant in which arrangements should be made to provide sufficient entertainments to the tourists.

Government should not overlook domestic tourism. We should preserve wild life at any cost. The use of Andreen should be restricted and laws should be enforced studily so that deterrent punishments is awarded to the porchers.

A sum of Rs. 50 lakhs have been provided in the Fourth Five Year Plan for sanctuaries, which is too small. It will not serve any purpose. I, therefore, suggest that a sum of Rs. 5 crores should be provided for this purpose.

The number of travel agents of Indian Tourism Corporation is inadequate. Their number should be increased. The guides of Archaeology Department should be brought under the Department of Tourism. They should be taught other languages also. Our Government should pay special attention towards the publicity. There are many places of tourist interest in Andhra Pradesh such as Salarjang Museum etc., Golekunda, Char Minar, Nagarjun Sagar Dam, Warangal Temple etc. If necessary assistance is given to Andhra Pradesh, it can attract huge tourist traffic. No doubt tremendous imagination is required to develop tourism.

I would suggest that a Master Plan should be formulated in which a industrial places should be connected. It may be pointed out that no action has been taken on the recommendations made by National Development Council. The condition of International Airport at Madras is worst, Government should pay necessary attention towards these points because whatever is invested in Tourism, that will bring much more for the Government.

Shri Bhola Majhi (Jumai) : We can earn huge foreign exchange by developing places of tourist interest. There are numerous places which attract tourist traffic. It is not necessary to set up separate corporations for our Air services. Government should re-examine this proposal. A company of Paris was entrusted with the work of preparing a Master Plan of terminal complexes in Delhi, Bombay and Madras for International Air-lines. What is the necessity of obtaining the services of Dr. Phuller of U.S.A's now ? May I know whether it is a fact that Dr. Phuller and his company will be paid $60,000 each. Such unnecessary expenditure should be stopped.

[Shri Bhola Majhi]

Tata Committee had made such recommendations to deal with the matters in which there are differences among the top officials of the Ministry and the Technical Experts ? Government should appointed a Technical Committee to examine these recommendations. There has been disputes among the management and workers if hotels run by Indian Tourism Development Corporation. The workers are forced to resort to strikes because of defective policies of the management. Government should look into this problem also.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Sarnath and Gorakhpur are famous tourists centres. Many tourists visit places there. But the facilities provided there are quite inadequate. Government should set up hotels in Gorakhpur to accommodate the followers of Buddha religion so that they could get meals of their choice. Luxury Taxi and Tourist Cars should also be provided there to facilitate the movement of tourists. The tourists interested in meditation visit Kasi area, Bhrigu area and Harihar area but they cannot go beyond Banaras, Government should make necessary arrangements for the tourists to visit these places of tourist importance.

The tourist centre of Banaras is in very bad shape. Government should pay their utmost attraction to make these places fit for the use of tourists. In view of the increasing importance of Tourist Department Government should allocate more funds for the Department.

Meenakshi Temple should be developed and necessary improvements should be made in the means of communications.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : पर्यटन सब से बड़ा उद्योग है। विदेशों में पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस उद्योग से प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये की आय होती है, परन्तु प्रश्न यह है कि उसमें से भारत को कितनी आय होती है। वर्ष 1970 में 2,80,000 पर्यटक भारत आये थे परन्तु आश्चर्य की बात है कि प्रस्तुत प्रतिवेदन में भविष्य में पर्यटकों के आगमन के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि 90 लाख विदेशी पर्यटक भारत आकर फिर चले गये। इसका एक कारण होटलों में स्थान की कमी है। इस प्रतिवेदन में लिखा है कि वर्ष 1973 में 5000 होटल कमरों की कमी रहेगी। अत: इस बारे में हमें भविष्य के लिये योजना बनानी चाहिये। इसका कारण यह है कि हमारी विमान सेवा सम्बन्धी व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है। हमें सरकारी क्षेत्र के होटलों के बारे में विचार करना चाहिये क्योंकि उनमें घाटा हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में श्रमिक सम्बन्धों को आदर्श गैर सरकारी क्षेत्र के लिए बनाया जाना चाहिये। हमारे देश में दूरी की समस्या बहुत गम्भीर है। पर्यटकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए द्रुतगामी तथा सक्षम विमान तथा सड़क यातायात व्यवस्था आवश्यक है। पर्यटक केन्द्रों में कम से कम हेलिकॉप्टर सेवा की अवश्य व्यवस्था की जानी चाहिए। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

इण्डियन एयरलाइन्स ने हाल ही में किराये में 15 प्रतिशत वृद्धि की है। यदि विमान सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार किया जाये तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बंध में एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस में कोई प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिये।

हमें पता चला है कि 14 एच० एस०-748 विमानों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है इसीलिए इण्डियन एयरलाइन्स को किराया बढ़ाना पड़ा है। भारत सरकार ने विदेश

यात्रा पर 20 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। मेरे विचार में यह कार्यवाही बुद्धिमता की नहीं है क्योंकि एयर इण्डिया को 8.5 करोड़ रुपये का घाटा होगा जबकि विदेश यात्रा पर 20 प्रतिशत कर लगाये जाने से सरकारी कारखाने में 7 करोड़ रुपये की राशि ही आयेगी। फिर कर लगाये जाने से एयर इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सकेगा। अतः इस कर को नहीं लगाया जाना चाहिये।

विदेशी पर्यटकों द्वारा लाई जाने वाली विदेशी मुद्रा की बड़े पैमाने पर चोरबाजारी हो रही है। इसको रोकना चाहिये। इसका एक सरल तरीका यह है कि पर्यटकों के होटल बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना अनिवार्य कर देना चाहिये।

पर्यटक केन्द्रों से भिखारियों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि इसका पर्यटकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

मन्त्री महोदय दक्षिण के पर्यटन केन्द्रों का विकास करने में काफी रुचि ले रहे हैं। तमिल नाडु सरकार चाहती है कि मीनाक्षी मन्दिर, मदुराई में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम की व्यवस्था की जाये। दक्षिण में बहुत प्राचीन मन्दिर है जिनका कला की दृष्टि से बहुत महत्व है। परन्तु उनके बारे में प्रचार नहीं किया जाता था। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। तमिलनाडु सरकार ने महाबलीपुरम तथा ऊटकमंड के लिए एक करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव रखा है और मन्त्रालय ने आश्वासन दिया है कि वह अपने विशेषज्ञ वहां भेजेंगे परन्तु विशेषज्ञों को अभी तक नहीं भेजा गया है। आशा है कि मन्त्री महोदय उन्हें शीघ्र भेजेंगे।

तमिलनाडु सरकार ने मंडप्पम और रामेश्वरम में विश्राम-गृह बनाने का प्रस्ताव रखा है परन्तु भारत सरकार ने उस योजना को स्वीकार नहीं किया है। मन्त्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

हमारे यहां परिदर्शकों (गाइड) की बहुत अधिक कमी है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये तमिलनाडु सरकार ने परिदर्शक प्रशिक्षण योजना को स्वीकृति दी है। यह केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। मैं मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर ध्यान दें। मद्रास में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के विमान नहीं रुकते है। यदि ये वहां रुकने लगें, तो पर्यटक वहां उतरकर कोवलम जैसे अन्य पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। मंत्री महोदय को तमिलनाडु सरकार के इस अनुरोध पर भी ध्यान देना चाहिये कि सलेम में एक हवाई अड्डा बनाया जाये।

Shri R. S. Bisht (Almora) : First of all I would like to congratulate Dr. Karan Singh, who has been handling successfully the affairs of the Ministry of Tourism and Civil Aviation. As regards the scope of tourism is concerned it has a very bright future in the country, but it is unfortunate that the Government is not paying as much attention to it as it should. The Government should invest more and more money or tourism because it is a business, which gives lucrative returns quickly The money allotted in the budget for this Department inadequate and it should be increased.

Our Government should pay attention and take interest in developing the hilly areas of Uttar Pradesh including Uttar Kashi, Chamoli, Garhwal, Tehri, Almora, Nanital and Pithoragarh etc. These are the places of Natural beauty. In this respect these places are second to Kashmir in India. If these places are properly developed, they can become

[Shri R. S. Bisht]

as beautiful and Switzerland and Scotland. The hills of Kumaon and Garhwal have all sorts of attraction for foreign tourists such as glaciers, game spots etc. This hilly areas also abounds in wild life and rare birds. This area is best place for trout fishing. In addition there are a number of places for pilgrimage in U. P. like Haridwar, Allahabad, Kashi. Mathura, Vrindavan etc. These places can also be developed as tourist centres.

But there is a great need for improving the means of transport and communications in the hill areas of U. P. The helicopter service should be introduced in this area. It will encourage tourism there. A number of hotels should be constructed there and other facilities should be made available to the tourists of all categories in this area. Mountaineering schools should be transferred under the control of this Ministry. In this area we should have goods halls for dramas and other entertainment on the lines of opera houses in Moscow and France. It will be better if the hilly areas are inter-connected with air services. Vistors get railway concession for going to Kashmir. This concession was available for tourists to Nanital hill recently, but unfortunately it was discontinued by Railway Department now. The Government should reconsider and the railway concession should be re-introduced for visiters going to Nanital and other places in hilly areas of U. P.

There is much scope for expansion of tourist trade in U. P. The allocations made for U. P. in the five year plans has been inadequate there is need for more roads, rest houses and hotels in this area. The Government should pay special attention to the development of hilly areas of Uttar Pradesh. If it is done it will help India to earn more foreign exchange by way of increased tourism and also to eradicate the poverty of this backward area of U. P.

Shri Maha Deepak Singh (Kasganj) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to take the tourism first. As regards tourism, it is just like any other business and as such it should be handled, business like. It is a source of bringing foreign exchange for our Government, so we should provide more and more facilities to foreign tourists, so that more of them visit India. With the increased in tourism, our economy will also improve.

If we compare the earning which we have from tourism, we find that it is much less them that of foreign countries. In 1965-66 Italy earned Rs. 666 crores, France Rs. 682 crores, America Rs. 30 crores, UAR Rs. 80 crores and India only Rs. 25 crores. In 1968 Spain earned Rs. 760 crores from tourism while India earned only Rs. 24 crores in foreign exchange. It appears that the Department of Tourism is not paying as much attention to the development of tourism as it should. In this connection I would like to suggest that we should give more and more facilities to the tourists in our country in regard to their accommodation and reservation etc. A committee should be appointed to look into all these matters. In America there is an institution named American Express, which arranges reservation of seats and accommodation for tourists in no time. Such a system should be introduced in India also. An Inter-State Committee should also be formed to help the tourists going from one State to another. This will boost the trade of tourism in the country. Moreover transport facilities should be developed and improved for Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Jamnotri etc. So that tourists can go there easily. Suitable hotels should be constructed on the way and medical and other facilities should also be provided to the tourists. I hope the Minister will pay personal attention to these points. which I have revised.

श्री आर० डो० भंडारे (बम्बई मध्य) : श्रीमान्, मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए उठा हूँ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी जा रही है।...अब सभा में गणपूर्ति है। माननीय सदस्य पुनः अपना भाषण शुरू करें।

श्री आर० डी० भंडारे : मन्त्रालय के नागर विमानन विभाग और पर्यटन विभाग दोनों ही ऐसे हैं जो देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इनके विकास पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे उनसे और अधिक विदेशी मुद्रा की आय हो।

हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा के टिकट खरीदने पर भारत सरकार ने 20 प्रतिशत अधिभार लगाया है। इससे पर्यटन विभाग अवश्य ही प्रभावित होगा। अतः वित्त मन्त्री को यह अधिभार समाप्त कर देना चाहिए। इस वर्ष कर-प्रस्तावों द्वारा होटल-उद्योग को जो रियायतें प्राप्त थी, वे समाप्त कर दी गई हैं। इससे होटल-उद्योग का और आगे विकास होने की सम्भावना क्षीण हो गई है जबकि हमें अधिक होटलों की आवश्यकता है। स्वीकृत होटल परियोजनाओं के पूरा होने पर भारत में कुल 5480 होटल के कमरे होंगे। वर्ष 1973 तक हमारे यहां 5000 होटल के कमरों की कमी रहेगी। अतः यह बात भी विचारणीय है। जिससे होटल के विकास-कार्य में रुकावट न आये। पर्यटन उद्योग के विकास के बारे में मेरा यह निवेदन है कि सरकार को और अधिक पर्यटन केन्द्रों का विकास करना चाहिए ताकि अधिक विदेशी पर्यटक यहां आये। श्रावस्ती के विकास के सम्बन्ध में सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और वहां से लुम्बनी तक जाने की व्यवस्था करने के बारे में हमारी सरकार को नेपाल सरकार से बातचीत करनी चाहिये। इसी प्रकार दक्षिण को बौद्धों में कुछ गुफाओं का विकास किया जाना चाहिए। दोनों ही निगमों में उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी स्थान दिये जाने चाहिये। उनके लिए आरक्षित स्थान उन्हीं के द्वारा भरे जाने चाहिये।

मौसम-विकास विभाग के बारे में मेरा निवेदन केवल इतना है कि यह विभाग बड़ी उपयोगी सेवा कर रहा है। किन्तु इस दिशा में भी और अधिक सावधानी और कार्यकुशलता की आवश्यकता है। कभी-कभी मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणियां ठीक नहीं उतरती हैं। मेरा यह सुझाव है कि मंत्री महोदय ऐसी कार्यवाही करे जिससे मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणियां ठीक सिद्ध हों।

श्री के० रमकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : नगर विमानन और पर्यटन दोनों ही महत्त्वपूर्ण विषय हैं। इन दोनों के विकास के लिए माननीय मन्त्री प्रयास कर रहे हैं किन्तु जितना प्रयास किया जा रहा है, वह पर्याप्त नहीं है। बजट में इसके लिये नियत राशि को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। पर्यटन के विकास के लिए यातायात के साधनों और अच्छी होटल-व्यवस्था का होना नितांत अनिवार्य है। होटल ऐसे होने चाहिए जिनमें पर्यटकों के लिये सस्ती दर पर सभी अनिवार्य सुविधाएं, उपयुक्त भोजन और आवास की व्यवस्था उपलब्ध हो। पर्यटन सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के अनुसार पश्चिमी देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या घटती जा रही है। सरकार को उन कठिनाइयों को दूर करना चाहिए जिनके कारण ऐसा हो रहा है।

दक्षिण भारत की नागार्जुनसागर परियोजना और नागार्जुनकोंडा जैसे स्थानों को पर्यटन-केन्द्र घोषित किया जाना चाहिए। अमरावती, एलोरा और अजन्ता जैसे स्थानों के लिए पर्यटकों को यातायात की ऐसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जो पर्यटकों को इन स्थानों तक ले जाये

[श्री के० रामकृष्ण रेड्डी]

और वहां से वापस ले आये । दक्षिण में अनेक ऐसे स्थान हैं जिनमें बौद्धों को रुचि है, उनकी ओर भी माननीय मन्त्री को ध्यान देना चाहिए।

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi) : Mr. Deputy Speaker, I rise to support the demands of the Ministry of Tourism and Civil Aviation. While supporting these demands of this Ministry I would like to say that the Minister should pay more attention to a member of places of tourist interest in Vindhyachal and Madhya Pradesh. These places abound in natural beauty. Some places have great historical and cultural importance. For instance, Jhansi is an important town from where Rani of Jhansi had led the freedom struggle in 1857. But there is no proper accommodation and other facilities for tourists in that town. Guide is also not available there to help the tourists. The Minister should look into it.

There are a number of important places on way to Khajuraho and River Betwa has many places of slenic beauty. Balua Sagar has a lot of historical monuments and temples which can attract tourist. Devgarh has a big Jain temple, but no attention has so far been paid to it by this, Department and it is still in ruins. In fact the whole region of Bundelkhand is full of historical and cultural monuments which can easily be developed as tourist centres. In the end, I request Dr. Sarojini Mahishi to pay personal attention to all these things.

राजमाता गायत्री देवी (जयपुर) : पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि मन्त्रालय यह तो मानता है कि भारत में पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनायें बहुत अधिक हैं किन्तु इस बात से दुखः होता है कि सरकार इस दिशा में थोड़ी सी प्रगति से संतुष्ट हो गई है । हमारे यहाँ प्रकृति की दृष्टि से अनेक रमणीय स्थल है जिनका पर्यटन स्थलों के रूप में विकास किया जा सकता है । यदि स्पेन 750 करोड़ रुपये, यूनान 1000 लाख डालर और युगोस्लाविया 1500 लाख डालर की राशि पर्यटन उद्योग से अर्जित करता है तो भारत केवल 32 करोड़ रुपये ही क्यों कमाता है ? इस प्रश्न पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये । क्या हमने पर्यटन उद्योग का महत्व नहीं समझा है अथवा हम नहीं जानते कि उसका विकास कैसे किया जाये । पर्यटन के विकास के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इसके लिए एक स्वतन्त्र आयोग बनाया जाना चाहिए । जिस पर नौकरशाही का प्रभाव न हो । इस प्रतिवेदन में यह भी स्वीकार किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में स्थानों का बहुत अधिक अभाव रहता है । ऐसी स्थिति में देश में गैर सरकारी विमान-सेवा शुरू किये जाने की अनुमति क्यों न दे दी जाये । इस प्रश्न पर भी विचार किया जाए ।

अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर 20 प्रतिशत कर लगा दिया गया है । एयर इण्डिया ने पहले ही बताया है कि इस कर से उनका घाटा पूरा होने वाला नहीं है । अभी हाल में चार जम्बो जेट विमानों की खरीद के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और एयर इण्डिया के विमानों से यात्रा करने पर 100 डालर की छूट भी देने की घोषणा की है । भारत से बाहर के देशों में यात्रा करने के लिए एयर इंडिया ने विशिष्ट किराये निर्धारित किए हैं ; परन्तु इन सभी प्रयासों पर इस नए कर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

वित्त मन्त्री के अनुमान से 7 करोड़ रु० की इससे आय होगी और एयर इंडिया ने 8.5 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान लगाया है । विदेश यात्राओं पर 20 प्रतिशत कर लगाने के

बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया दो और बोइंग विमान खरीदने का विचार कर रही है। परन्तु इस रिपोर्ट से पता चलता है कि फिर भी देश में विमानों की भारी कमी है।

इस बात से वित्त मन्त्रालय और नागर विमानन मन्त्रालय के बीच समन्वय के अभाव का पता चलता है। अगर राजस्व में वृद्धि करनी है और विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकना है, तो मेरा सुझाव है कि विदेश यात्राओं पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए जो टिकट के खरीद मूल्य के आधार पर लगाया जाय और दो वर्षों की अवधि के लिए 600 पौंड का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी, क्योंकि तब अधिक व्यक्ति विदेश यात्रा पर जा सकेंगे।

इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि होटल कक्षों की कमी है ; मगर फिर भी होटलों और होटल निर्माताओं पर और शुल्क लगा दिया गया है ; इससे होटल निर्माताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। 1967 में होटल उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया गया था। उनके लाभ उठाने से पूर्व ही इस सुविधा को वापस ले लिया गया है। अगर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है, तो वर्ष 1978 के अन्त तक 4000 से 5000 होटल कक्षों की आवश्यकता होगी, जिसके लिये 320 करोड़ रुपये का उस अवधि तक विनियोजन करना होगा। इस लिए इस अलाभकारी कर पर पुनर्विचार करना चाहिए।

हम रोजगार के अवसरों को बनाने की तो बात करते हैं, परन्तु इस रिपोर्ट से पता चलता है कि होटल चालकों और गाइडों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है।

पर्यटन मंत्री वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए अत्याधिक उत्सुक हैं और इस क्षेत्र में हम किसी भी अन्य देश के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं ; परन्तु इन स्थानों की यात्रा करने के लिए डाक बंगलों और परिवहन की सुविधाओं का अभाव है।

इस पुस्तिका से पता चलता है कि सारे देश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इससे मुझे अत्याधिक प्रसन्नता है। बाघ जाति तो पहले से ही समाप्त होने जा रही है। इसके लिए अन्य उपाय भी करने होंगे। बाघ और तेंदुए की खालों का व्यापार करके व्यापारी भारी मुनाफा कमा रही हैं। तेंदुए की खाल 1750 रु० और 1550 रु० में तथा बाघ की खाल 3700 रु० से 7000 रु० के बीच बाजार में उपलब्ध है। हमें इस बारे में कानून बनाना चाहिए और खाल की बिक्री करने वालों पर जुर्माना ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनको कैद की सजा दी जानी चाहिए।

मन्त्री महोदय ने अभी कुछ समय पूर्व कुछ पर्यटन केन्द्रों का उल्लेख किया था। हमारे देश में अनेकों धर्म और संस्कृतियां हैं। कुम्भ मेला और अजमेर में मनाए जाने वाले उर्स मेले जैसे विशाल उत्सव भी आपेक्षित किए जाते हैं। विदेशी पर्यटक तीर्थ यात्रियों के साथ इन उत्सवों को देखना चाहेंगे और उनमें भाग लेना चाहेंगे। उनके लिए 10 रु० प्रति कमरे और भोजन के हिसाब से सस्ते आवास का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

नागर विमानन मन्त्रालय को परिवहन और रेल मन्त्रालयों के साथ प्रतिद्वन्द्विता करनी

[राजमाता गायत्री देवी]
होती है। रेलें और सड़कें भी अपर्याप्त हैं। सड़क निर्माण से रोजगार के विराट अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

मैं मनोरंजन के बारे में भी कहना चाहूँगी। विदेशी पर्यटक यहां आश्रमों, महर्षियों और देश को देखने आते हैं। हम सदैव गम्भीर नहीं बने रह सकते। पर्यटक सायंकाल में कहां मनोरंजन करने जायें। कैबरे नृत्य में भद्दे तरीके से यूरोपीय नृत्य की नकल की जाती है। हमारी अपनी भी संस्कृति है। कैबरे कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैंने यह गैर सरकारी क्षेत्र के लिए छोड़ रखा है।

राजमाता गा त्री देवी : अन्त में, मैं सरकार से यह कहना चाहूंगी कि वह पर्यटन को एक सरकारी विभाग न समझे, बल्कि इसे एक उद्योग मानकर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे। तभी देश में समृद्धि आ सकती है।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : हमारे देश में पर्यटन का तीव्र गति से विकास हो रहा है। वर्ष 1968 में 1,88,000 पर्यटक भारत में आये, और वर्ष 1970 के दौरान यह संख्या बढ़कर 2,18,721 हो गई। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या से सरकार भी अवगत है और उनके लिए आवास उपलब्ध करने के लिए सरकार को उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चार होटल चलाये जा रहे हैं, उनमें से दो घाटे में चल रहे हैं। पर्यटन निगम और कई होटलों का निर्माण करने पर विचार कर रही है। परन्तु इनके निर्माण होने में काफी समय लगेगा, तब तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में गैर सरकारी क्षेत्र के होटलों से अनुरोध किया जाय कि वे विदेशी पर्यटकों को आवास उपलब्ध करें।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari *in the Chair.*]

इसकी वार्षिक योजना से पता चलता है कि युवक होस्टलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे होस्टलों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि इनमें विदेशी पर्यटकों को भी आवास उपलब्ध किया जा सके।

उत्तरी और दक्षिणी भारत में कुछ होटलों का निर्माण करने के लिए तो प्रावधान किया गया है, परन्तु पूर्वी भारत के लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कलकत्ता, शांतिनिकेतन अथवा डीघा जैसे पूर्वी भारत के स्थानों में भी मोटलों का निर्माण किया जाना चाहिये। अन्यथा मैं कहूंगा कि पर्यटन निगम द्वारा पूर्वी भारत की उपेक्षा की जा रही है।

कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य के अन्तर्गत पर्यटन यातायात के विकास के लिए पर्यटन विकास निगम से सहायता मांगी है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा केरल में कोवासम पर्यटन परियोजना को प्रारम्भ किया गया है, जबकि पूर्वी भारत

के लिए ऐसी कोई परियोजना नहीं बनाई गई है। सिली गुड़ी में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है और इस प्रयोजन के लिये प्लाट भी देने का प्रस्ताव किया है। पर्यटन निगम ने न तो राज्य सरकार को वित्तीय सहायता ही दी है और न मंजूरी ही दी है। आशा है इस पर विचार किया जायगा।

पश्चिम बंगाल में डीघा परियोजना का विकास करने की काफी गुंजाइश है। इस स्थान पर विदेशी और देशी पर्यटक प्रतिवेदन भारी संख्या में आते हैं। यद्यपि पश्चिमी बंगाल सरकार डीघा परियोजना का विकास करने का प्रयास कर रही है, परन्तु वह धनाभाव के कारण इसे ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही। अभी हाल में डीघा को समुद्र द्वारा काफी क्षति पहुँची है। उपचारात्मक कार्यवाही करने में काफी धन व्यय करना पड़ेगा, इसलिए इस परियोजना को केन्द्र सरकार को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए। डीघा में युवा होस्टल और मोटल का निर्माण किया जाना भी आवश्यक है। डीघा में शीघ्र ही एक अस्पताल का निर्माण भी किया जाना चाहिए।

आंतरिक पर्यटकों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आम जनता में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही, यद्यपि गैर-सरकारी होटल आवास अवश्य उपलब्ध है। उनके लिये भी सरकार द्वारा होटलों का निर्माण किया जाना चाहिये।

आजकल विमान यात्रा बहुत मंहगी हो गई है। बहुत से छात्र अपने घरों से हजारों मील दूर अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें सड़क और रेल की तरह विमान यात्रा के लिये भी रियायत दी जानी चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह कोटा (झालावाड़) : इस वर्ष के बजट में जो हास्यास्पद कार्य किये गये हैं उनमें से एक विदेश यात्रा पर कर है। इस कर के कारण हमारी राष्ट्रीय विमान कम्पनी एयर इण्डिया के सामने अनेकों कठिनाइयां आयेंगी। जम्बो जेट विमानों की परिवहन क्षमता 400 यात्री हैं। उनमें क्षमता के एक तिहाई यात्री ही यात्रा करते हैं और कर लगने पर उतने भी नहीं रहेंगे। अगर भारतीयों पर विदेश यात्रा के लिये रोक लगाई गई, तो विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी निश्चित रूप से कमी होगी।

सरकार इस बात की जांच कर रही है कि विदेशी विमान-यात्री भारत में बगैर रुके ही विदेशों में क्यों चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि रात में उसके मनोरंजनार्थ कोई व्यवस्था नहीं है।

कुछ पर्यटन स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से रोक लगा दी गई है। आजकल पर्यटक अलमोड़ा, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों, दार्जिलिंग, आसाम के अन्य इलाकों और राजस्थान से जैसलमेर जैसे स्थानों की यात्रा नहीं कर सकता। आज उपग्रह युग में ऐसे प्रतिबन्ध निरर्थक हैं।

राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की पूर्ण उपेक्षा की जा रही है। राजस्थान के पूर्वी भागों विशेष-कर कोटा जैसे औद्योगिक नगर को विमान सेवा द्वारा दिल्ली और जयपुर से जोड़ा जाना चाहिए।

[श्री ब्रजराज सिंह कोटा]

राजस्थान में अनेक रोचक मेलों का आयोजन होता है। पुष्कर मेले को सबसे पावन मेला माना जाता है। अजमेर के आसपास अनेक स्थान ऐतिहासिक महत्व हैं और रमणीक दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। भारी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं। अतः अजमेर में और आसपास के स्थानों में आवास सुविधा पर्याप्त मात्रा में जुटाई जानी चाहिए।

राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्यों में कुछ नगर बहुत दूरी पर स्थित हैं और इन नगरों में कोई भी विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। इन नगरों के लिए सहायक विमान सेवा चालू की जानी चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार की क्षमता कम है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों को सहायक विमान सेवा चालू करने की अनुमति दे देनी चाहिए, जिससे वे भोपाल, बस्तर, जयपुर और जैसलमेर को विमान सेवा से जोड़ सकें।

दिल्ली को त्रिवेन्द्रम, मद्रास अथवा पटना जैसी राजधानियों से जोड़ने वाली विमान सेवाओं की आवृत्ति बहुत कम है। कोई व्यक्ति त्रिवेन्द्रम जाकर एक ही दिन में दिल्ली वापस नहीं लौट सकता। मद्रास में एक रात रुकना पड़ता है। पटना में भी सिर्फ एक ही विमान सेवा है। पहले वहाँ के लिए अनेक सेवायें थी।

चित्तौड़ के ऐतिहासिक किले के निकट मृग वाटिका बनाने का राजस्थान सरकार का प्रस्ताव है। मैं अनुरोध करता हूँ कि सरकार उसकी जाँच करे और सम्भव हो, तो उसे मदद करनी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : नगर विमानन और पर्यटन सेवाओं में सुधार से सम्बन्धित लगभग सभी विषयों पर चर्चा हो चुकी है। मेरे विचार में अगर आंतरिक पर्यटकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध की जायें, तो हम राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

जब मैं अपने राज्य में पठान कोट रेलवे स्टेशन पर देश के अन्य भागों से आई हुई स्पेशल रेलगाड़ियों को देखता हूँ, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि अन्य राज्यों के लोग हमारे राज्य में तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और कुछ वहां से कश्मीर की रमणीक छटा को देखने के लिए जाते हैं। पर्यटकों के लिए सुविधाओं का अभाव देखकर मुझे अत्यधिक दुख होता है। यद्यपि राज्य सरकार की भी सुविधायें जुटाने की अधिक जिम्मेदारी है, परन्तु केन्द्र सरकार सुविधायें जुटाने की अपनी जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती। पठान कोट रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों के लिए सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए।

हमारी विमान कम्पनियों को हड़तालों जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वह कुछ बड़े हवाई अड्डों में सुधार करने में सफल रहे हैं। हमारे कुछ बड़े हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्राप्त है, परन्तु वहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी सुविधायें अभी उपलब्ध नहीं है। ये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये।

हमारे पास जम्बो जेट विमान जैसे आधुनिकतम विमान हैं, परन्तु पैकेजों की वितरण

प्रणाली दोषपूर्ण हैं। अगर लन्दन से दिल्ली आने में पांच घण्टे लगते हैं, तो यात्रियों को अपना सामान लेने में एक और घण्टा बिताना पड़ता है। यह शिकायत समाप्त की जा सकती है। परन्तु व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस दिशा में सुधार हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये।

जैसा कि पहले ही कह चुका हूं विदेशी पर्यटकों की अपेक्षा आंतरिक पर्यटकों के पर्यटन को बढ़ावा देना अधिक महत्वपूर्ण है। श्री विष्ट ने ठीक ही कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन के विकास हेतु 62 लाख रुपए नियत किए गए थे, परन्तु इसका अधिकांश भाग कश्मीर में ही कम कर दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जम्मू कश्मीर राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए 77 लाख रुपए नियत किए गए थे उसका अधिकांश भाग कश्मीर घाटी में ही व्यय किया गया। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्रों का विकास करने के लिए राजौरी, पूंछ, जम्मू, भदरवाह और किष्ठवार में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

अनेक सदस्यों ने 5 स्टार के होटलों के निर्माण पर जोर दिया है। अनेक पर्यटन केन्द्र देश के दूरस्थ स्थानों पर हैं। मेरा सुझाव यह है कि इन क्षेत्रों में सरकार को मान्यता प्राप्त पर्यटन गृह खोलने चाहिए। उनमें दो या तीन कमरे हो सकते हैं और राज्य पर्यटन विभाग या केन्द्रीय पर्यटन एजेन्सी उन्हें मान्यता दे सकती है। उनके लिए न्यूनतम सुविधाओं और दरों को निर्धारित किया जा सकता है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : पूर्वी भारत में पर्यटन का तेजी से ह्रास हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि दम दम हवाई अड्डे पर पर्यटकों के आगमन में कमी हुई है; क्योंकि विदेशी विमान कम्पनियां धीरे-धीरे अपना कारोबार वहां से समेट रही है। सरकार को इन विमान कम्पनियों से अपना काम वहीं करते रहने के लिए कहना चाहिए जिससे कि कलकत्ता पूर्वी भारत के लिए पर्यटन का मुख्यालय बना रह सके। उड़ीसा में स्थापत्य कला की आश्चर्य-जनक कला है, बिहार में नालन्दा और पाटलिपुत्र जैसे भव्य ऐतिहासिक स्थान हैं। विदेशी पर्यटक इन स्थानों की यात्रा कलकत्ता में विमान से उतर कर और वहां ठहरकर ही कर सकता है।

तर्क देने की दृष्टि से कहा जा सकता है कि कलकत्ता की स्थिति खराब है। परन्तु कलकत्ता पूर्वी भारत का द्वार है। आसाम बिहार, उड़ीसा और मणिपुर में पर्यटकों के लिए अनेक रोचक स्थान हैं। उनके विकास के लिये क्या प्रयास किया गया है।

बिहार की राजधानी पटना में विमानों की उड़ानें अनियमित हैं। वहां सुदृढ़ और बड़ा हवाई अड्डा नहीं है। वहां बड़े वायुयान नहीं उतर सकते हैं। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत के पर्वतीय स्थानों पर यात्रा के लिए लगे प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। अगर इन प्रतिबन्धों को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो इन में ढील तो दी ही जा सकती है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में यह कहना कि विदेशी पर्यटक उन स्थानों के फोटो ले जायेंगे, बेतुका और अर्थहीन है।

[डा० रानेन सेन]

पालम और दमदम हवाई अड्डों पर कोई भी विश्राम-गृह नहीं है । अगर कोई यात्री रात में विमान से उतरता है और सुबह जल्दी ही दूसरी जगह जाना चाहता है, तो उसे भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

इण्डियन एयर लाइंस में भोजन का स्तर बराबर गिरता जा रहा है । पिछले वर्ष अनेक संसद सदस्यों ने शिकायत की थी । अगर हमें विदेशी पर्यटकों को अपने देश के प्रति आकर्षित करना है, तो उनके साथ साथ भारतीयों के भोजन में भी सुधार करना होगा और आंतरिक सेवाओं में सुधार करना होगा ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I find from the Report of this ministry that 25 crores of Rupees have been earmarked for the development of foreign tourism during the fourth five year plan. There should have been a provision of Rs. 100 crores at least.

We would not be able to attract the foreign tourists to our country unless we develop our temperament to receive them. They come here to see the architecture, fine arts, temples, mountains, rivers like Ganges and Jumna as well as composite culture of India. But we are unable to provide them necessary facilities. The custom authorities would search their belongings. They would find very old motor cars to travel. There would be beggars at several places. They would see a strange scene of thousands men and women attending to nature's call in the open space just near the road. This is really disgraceful. We should provide them such facilities as are available in the foreign countries. In Honolulu as well as in Manila, a foreign tourist is garlanded when he reaches there. We should also welcome the foreign tourists according to our Indian traditions. He is tired of cabaret dances, he waits to see the Indian culture, which should be shown to them in a healthy atmosphere.

I would request the hon. Minister to increase the demand of this ministry from Rs. 25 crores to Rs. 100 crores because only when he will ask for Rs. 100 crores, he would get Rs. 50 crores. In case his demand is not acceeded to by the Ministry, he and Dr. Mahishi should switch over to the ways adopted by Trade Unions *i.e.* strikes etc.

I would request the Government to open two or three stars cheap hotels. The cheap and adequate accommodation in remote places of tourist interests like Khajuraho and Bhilai should be provided. Such a arrangement will provide fillip to both foreign and domestic tourist traffic. At present Bhilai has got no air links. It is high time for the Government to pay had to it. If Bhilai is connected with air route, it can attract several tourists from other continues.

Lastly, I would like to say that the whole approach of the Ministry needs a basic change. It should be practical and business like and at the same time should have personal and human touch. With such as approach we can earn the requisite foreign exchange.

पर्यटन और नागर विमानन में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मुझे माननीय सदस्यों के भाषण सुन कर वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई है हमारे मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर तीन वर्षों के बाद सदन में चर्चा हो रही है, इसीलिए सदस्यों ने इनकी चर्चा में विशेष रुचि दिखाई है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत असैनिक उड्डयन विभाग, इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया, दो निगम, पर्यटन विभाग और भारतीय पर्यटन विकास निगम आ जाते है । इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और रेलवे सुरक्षा आयोग भी हमारे

मंत्रालय के ही अन्तर्गत आते हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग का कार्य रेल दुर्घटनाओं की तुरन्त जांच कर, रेलवे सुरक्षा के उपाय सुझाना है।

सदन में इस बात पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये क्या क्या उपाय किये जाने चाहिये। हाल ही के कुछ वर्षों में पर्यटन को बहुत महत्व पूर्ण समझा जाने लगा है। वर्ष 1970-71 में हमारे देश में 2,88,000 विदेशी पर्यटक आये जोकि गत कुछ वर्षों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक थे। हमारा विभाग स्वदेशी तथा विदेशी दो प्रकार के पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। विदेशी पर्यटकों के लिये होटल, आवास, विपणन तथा परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है जिससे वह प्राचीन स्मारकों आदि को देखने जा सकें।

जहां तक होटल आवास क्षमता का सम्बन्ध है, इस समय हमारे पास 1·2 होटलों में 9779 ऐसे कमरे उपलब्ध हैं जिन्हें हमारे विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है। हमें आशा है कि वर्ष 1973 में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर चार लाख हो जायेगी और उनके लिए अधिक कमरों की जरूरत होगी। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में इस मांग को पूरा करने के लिए हम निरन्तर प्रयत्नशील है। सरकारी क्षेत्र में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कुछ पांच तारे वाले होटल, मोटल और पर्यटन ग्रह बनाने की व्यवस्था की जा रही है। एयर इण्डिया द्वारा भी बम्बई में दो होटल बनाये जा रहे हैं और इसी प्रकार कुछ अन्य गैर सरकारी संस्थायें भी होटल बनाने के कार्य में लगी हुई है। होटलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, पर्यटन विभाग द्वारा होटलों के निर्माण के लिए ऋण भी दिया जाता है। होटलों को ऋण देने के हेतु 5 करोड़ रुपये की धनराशि अलग रखी गई है तथा इस राशि में से 50 प्रतिशत से भी अधिक धन पहले ही दिया जा चुका है और जिनती धनराशि के वितरण का आश्वासन दिया गया है वह 5 करोड़ रुपये से भी अधिक बन जाती है।

होटल आवास ही अपने आप में काफी नहीं है। पर्यटकों के लिये हमें परिवहन सुविधायें भी जुटानी होगी। भारतीय पर्यटन विकास निगम पर्यटकों की परिवहन सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है यद्यपि इसका प्रमुख कार्य होटल आवास, परिवहन अनुभाग तथा प्रचार विभाग की देख रेख करना है। आज इसके द्वारा अनेक युवक होस्टलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें आवास की व्यवस्था के साथ-साथ, सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। जयपुर में एक युवक होस्टल बन कर शीघ्र तैयार होने वाला है और अन्य युवक होस्टल भी अत्र स्थानों पर बनाये जा रहे हैं।

पर्यटन विभाग ने वन्य जीवन शरण स्थानों के लिए 50 लाख रुपये पृथक रखे हुए हैं। वन्य जीवन शरण स्थानों में आवास को बढ़ाने, शरण स्थानों को मिलाने वाली सड़कों को सुधारने तथा परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। पर्यटकों के लिए केन्द्रीय सेवाओं की स्थापना भी की जा रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय क्षेत्रों में कुछ दुर्लभ पशु जातियों के समाप्त होने के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में केवल यही कहना है कि इसके बारे में भी हम उपयुक्त कदम उठा रहे हैं। काजीरंगा में पर्यटन विभाग ने गैंड़े की नस्ल बढ़ाने के लिए

[डा० सरोजिनी महिषी]

विशेष धनराशि मंजूर की है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में बारहसिंगे की नस्ल बढ़ाने के लिए भी विशेष धनराशि की मंजूरी दी गई है। एक माननीय सदस्य ने यह भी बताया है कि ग्रामीण लोग चीतों और शेरों को विष देकर मार डालते हैं। ऐसा वह उनकी खालों को बेचने के लालच से करते हैं। सरकार ने अब खालों के निर्यात पर रोक लगा दी है। कुछ राज्य सरकारों ने भी चीतों और शेरों पर गोली मारने पर रोक लगा कर हमें सहयोग दिया है। अगर हमें राज्य सरकारों का इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहे तो दुर्लभ पशु-जातियों को बचाने के लिये बहुत कुछ किया जा सकता है।

हमारे पर्यटन विभाग ने एक होटल जम्मू में, एक बनारस में और एक सिली गुड़ी में बनाने का निर्णय किया है। पर्यटकों के लिये अधिकाधिक कक्ष बनाये जा रहे हैं। खजूराहों में लगभग 20 लाख रुपये की लागत से 40 और कमरे बनाये जा रहे हैं। इसी प्रकार मैसूर में हसन स्थान पर भी 20 कमरे बनाये जा रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री बिष्ट ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें यह भ्रम कैसे हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सम्पूर्ण योजना अवधि के लिये इन कार्यों के लिये 50 लाख रुपये नियत किये हैं। हमारे विभाग का कार्य तो राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता करना है और हम इस कार्य में कमी भी पीछे नहीं रहे हैं।

भारतीय जनमत संस्थान द्वारा जो सर्वेक्षण किये गये हैं, उनके अनुसार वर्ष 1968-69 में एक पर्यटक ने भारत में औसतन 1367 रुपये व्यय किये और वह लगभग 22 दिन भारत में रहा। अपने सम्पूर्ण व्यय का लगभग 42 प्रतिशत उसने आवास आदि पर खर्च किया। इन आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पर्यटन से हमारे देश को बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है और पांचवी पंचवर्षीय योजना में इससे 105 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा हो जाती है। इसीलिये इस विभाग द्वारा जन सम्पर्क और प्रचार कार्यों के लिये काफी धन व्यय किया जा रहा है। पर्यटन के सभी अनुभागों में कार्यकुशलता बनाने के लिये एक निरीक्षण विभाग की स्थापना की गई है। होटलों का वर्गीकरण करने तथा उनका स्तर बनाये रखने के लिए एक समिति भी नियुक्त की गई है।

माननीय सदस्य, श्री सुबोध हंसदा ने बताया है कि हमारे होटल घाटे में चल रहे हैं। मैं भी उन्हें यह बताना चाहती हूँ कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ने 1969-70 में लगभग 14.23 लाख रुपये का और 1970-71 में लगभग 50 लाख रुपये का लाभ कमाया है। लोदी और रणजीत होटलों ने केवल 0.15 लाख रुपये का लाभ कमाया है।

एक पर्यटन विकास परिषद है जिसके 9 सदस्य लोक सभा सदस्य बनाये जाते हैं और 9 बाहर के होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य भी है कि बाद में यही संगठन एक विश्व पर्यटक संगठन बन जायेगा। इस संगठन का सदस्य होने के नाते भारत अपने दायित्व का पालन बड़ी सतर्कता से कर रहा है। हमें आशा है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद भारत में आने वाले पर्यटकों के लिये यहां एक अच्छी मंडी बनाई जा सकेगी।

पुरातत्व-विभाग की सहायता से, हमारे देश के स्मारकों के रखरखाव के लिये भी निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग, इस मंत्रालय के अधीन, सेवा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में, एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

हमारे यहां बहुत से स्वचालित पारेषण केन्द्र भी हैं। इस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कृषकों, पलनों, जल विद्युत मौसम-विज्ञान के क्षेत्र में नदी घाटी परियोजनाओं, और उद्योगों सम्बन्धी सूचना जन साधारण तक पहुंचाने की व्यवस्था करना है। भारतीय मौसम विभाग, विश्व निरीक्षण कार्यक्रम में बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसी के परिणाम-स्वरूप दिल्ली में एक दूर संचार क्लब बना हुआ है। यह विभाग बहुत ही कम समय में बहुत से क्षेत्रों को मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचनायें भेज देता है।

आप सब को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे मौसम विभाग के महानिदेशक विश्व मौसम संगठन के उपप्रधान भी हैं। अभी तक उपप्रधान का पद किसी भारतीय को नहीं दिया गया था। हमें आशा है कि हम विश्व मौसम संगठन में भी अपना सम्मानपूर्वक स्थान बनाये रखेंगे और इस कार्य में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे। अन्त में मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना और मुझे अपेक्षित सहयोग दिया।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : सभापति महोदय, आपने पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए मुझे जो अवसर प्रदान किया है, मैं उस के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने सम्पूर्ण चर्चा को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सम्पूर्ण चर्चा में मनीपुर का किसी भी सदस्य ने कोई उल्लेख नहीं किया है। आर्थिक दृष्टि से मनीपुर की लघुता और पिछड़ेपन के बावजूद भी यह पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। यहां की लोकता नामक झील, बड़ी-बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। परन्तु अभी तक देश के इस भाग में पर्यटन के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। जो नाम मात्र कार्य यहां इस दिशा में किया गया है वह है सुन्दरा पर्यटक गृह का निर्माण परन्तु इस पर्यटक गृह की व्यवस्था भी इतनी खराब है कि बहुत कम पर्यटक वहां जाना पसन्द करते हैं। वैसे वहां अनेक ऐसे पर्यटक आकर्षण स्थल है जिन की ओर यदि ध्यान दिया जाये, यदि उनका विकास किया जाये तो वह अन्य विकसित पर्यटक आकर्षण स्थल से किसी भी प्रकार कम नहीं है।

पर्यटन के बाद अब मैं सभा का ध्यान नागर विमानन की ओर दिलाना चाहता हूं। व्यापारिक दृष्टि से मनीपुर एक पृथक सा राज्य है और वर्षा ऋतु में सड़कों पर भू-स्खलन तथा खराब मौसम के कारण देश के बाकी स्थानों से पूर्णतया कट जाता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता कि हूँ कि उन्हें इम्फाल तथा सिलचर के बीच विमान उड़ानों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए ताकि अन्य देश के साथ इसका सम्बन्ध बनाये रखा जा सके। पर्यटक व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों का विकास पूर्वी क्षेत्र तथा मनीपुर के विकास पर ही निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि सरकार जितना अधिक धन देकर, जितनी अधिक विमान उड़ानों की व्यवस्था कर सके, जितनी अधिक होटल आदि की सुविधायें उपलब्ध करा सके, इस क्षेत्र में पर्यटक व्यवसाय उतना ही अधिक विकसित हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस मत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री के० बासप्पा (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय, इण्डियन एयर लाइन्स में 1969-70 से ही जब कि वहां अवैध रूप से हड़ताल की गई थी, झगड़ा चल रहा है । इस हड़ताल के कारण निगम को लगभग 4.6 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई थी । इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें वहां श्रमिकों-प्रबन्धकों के सम्बन्धों के लिए, प्रगतिशील नीति अपनानी चाहिये ताकि आगामी 5-10 वर्षों में वहां औद्योगिक शांति बनी रह सके ।

इसके बाद मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एयर क्राफ्ट टेक्नोलोजी से सम्बद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पुराने तथा अनुपयोगी विमानों की जगह नये विमान खरीदने के लिए तुरन्त और उचित समय पर निर्णय कर लेना चाहिए । इसी प्रकार विमानों में जो भोजन दिया जाता है, विशेषरूप से शाकाहारी भोजन, उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर, काफी सुधार करने की आवश्यकता है ।

अब जरा हवाई अड्डों की बात लीजिये । इनके सम्बंध में यह आवश्यक है कि इन्हें पूर्णतया आधुनिक बनाया जाये, इनमें उपयुक्त सुधार किये जा येंताकि यात्रियों को शीघ्रतापूर्वक अन्दर आने और बाहर जाने में सहायता मिल सके । यह हर्ष की बात है कि क्षमतापूर्वक कार्य चलाने के लिए देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का प्रबन्ध एक सांविधिक व्यवस्था के अधीन किया जा रहा है ।

जहां तक पर्यटक सम्बन्ध का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि देश में पर्यटकों की रूचि वाले समस्त स्थानों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये । तत्पश्चात इन स्थानों के सुधार के लिए 15 से 20 वर्ष तक की एक बृहत योजना तैयार की जानी चाहिए और महत्त्वपूर्ण स्थानों को प्राथमिकता देते हुये, इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये अपेक्षित धन जुटाया जाना चाहिये । मैं इस सुझाव से भी सहमत हूँ कि यात्रा के लिए विद्यार्थियों को कुछ छूट अवश्यक दी जानी चाहिये ।

पर्यटक गाइड़ों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है । मेरा विचार है कि यह प्रशिक्षण केवल विदेशी भाषाओं में ही नहीं, अपितु देश की अन्य भाषाओं में भी दिया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं विचाराधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस मन्त्रालय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इसने अपने दायित्व का पालन बहुत संतोषजनक ढंग से किया है । एयर लाइन्स की हड़ताल की समस्या को, जिस कुशलतापूर्वक ढंग से इस मंत्रालय ने सुलझाया है, उसके लिए निश्चय ही यह मंत्रालय प्रशंसा का पात्र है । जम्बो जेट विमानों का भी एक सराहनीय कार्य है ।

यह सब कुछ कहने के बाद अब मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें आये दिन सुधार किये जा सकते हैं, हमें इसे आधुनिक ढंग से संगठित करना चाहिये । इस उद्योग पर आरम्भ में हमें काफी धन व्यय करना पड़ेगा परन्तु हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि पर्यटन उद्योग से अन्त में हमें अत्यधिक धन प्राप्त हो सकता है ।

हमें नये पर्यटक स्थानों का विकास करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो वर्तमान पर्यटक केन्द्र हैं, क्या उनका पूर्ण विकास हो चुका है। इसी प्रकार हमें विदेशी पर्यटकों, और विशेषतया महिला पर्यटकों की सुरक्षा की ओर भी पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिये।

अब मैं अपने राज्य उड़ीसा के बारे में दो चार बातें कहना चाहता हूं। उड़ीसा में पर्यटकों के लिए प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा कलावस्तु की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मन्त्रालय ने इसके सम्बन्ध में उपयुक्त ढंग से देख-भाल नहीं की है। अभी तक भुवनेश्वर की विमान सेवाओं द्वारा ट्रंक मार्गों तक जोड़ने की आरम्भिक आवश्यकता को भी पूरा नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय, स्वयं पर्यटकों को विमान सेवायें प्रदान कराने के मामलों में उड़ीसा राज्य की सभी आवश्यकताओं की ओर उपयुक्त ध्यान देंगे। इसी प्रकार पुरी जिले में रत्नगिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी में खुदाई से, बौद्ध धर्म सम्बन्धी बहुमूल्य अवशेषों का पता लगा है। मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय इस ओर भी उचित ध्यान देंगे।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि भुवनेश्वर में हवाई सेवायें प्रारम्भ करके उसे अन्य पर्यटक केन्द्रों से मिला दिया जाए इससे यात्रियों को उड़ीसा राज्य का दौरा करने में भी सुविधा होगी। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह हमारे राज्य के समृद्ध पर्यटक आकर्षण स्थानों का विकास करें।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : मैं पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। आज पर्यटन विश्व के सब से बड़ा उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। 1970 में इसकी आय 20,000 करोड़ रुपये के लगभग थी। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियां 14.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से बढ़ रही है और भारत में भी इसकी नींव पड़ गई है।

मैंने इस मन्त्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ा है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस दिशा में कुछ उचित कदम उठाये गए हैं। 1969-70 के दौरान पर्यटकों की संख्या 1,88,000 से बढ़ कर 2,80,000 हो गई थी और यह संख्या निर्धारित लक्ष्य 2,77,000 से कहीं अधिक बढ़ गई है। 1969 में इससे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा 33 करोड़ रुपये थी और 1970 में यह बढ़कर 38 करोड़ रुपये हो गई है। पर्यटन विभिन्न देशों से सम्बन्ध स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

भारत में बहुत विभिन्नताएं हैं। यहां भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषायें संस्कृतियां, परम्पराएं तथा रीति-रिवाज हैं और देश के एक भाग के लोग दूसरे भाग के लोगों की संस्कृति, परम्पराओं तथा रीति-रिवाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। विभिन्न भागों के लोगों के बीच आपस में अधिक सम्पर्क होना चाहिए। एक भाग के लोगों को अन्य भागों की यात्रा करनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को समझें तथा पारस्परिक सहयोग स्थापित कर सकें जोकि राष्ट्रीय अखण्डता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए नितान्त आवश्यक है।

मैं अपने राज्य आसाम के विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा। आसाम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां जीव-जन्तु तथा वनस्पति काफी मात्रा में उपलब्ध हैं जिस प्रकार के

[श्री तरुण गोगोई]

जीव-जन्तु आसाम में हैं सम्भवत: वैसे जीव-जन्तु विश्व के किसी अन्य भाग में नहीं मिलेंगे। काजीरजंगा का आखेट स्थल गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। 1970 में काजीरजंगा को 4 लाख रुपये की आय हुई और लगभग 12,000 पर्यटक इसे देखने आए किन्तु इनमें से आधे लोगों को स्थानाभाव के कारण निराश होकर लौट जाना पडा। आसाम सरकार ने पहले ही 75 लाख रुपये की एक योजना पेश की है। आशा है मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

दिल्ली से आसाम तक यातायात की कोई सीधी हवाई सेवा नहीं है अतः समूचे पूर्वी भाग आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की सर्वदा उपेक्षा होती रही है। कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल में हो रही घटनाओं के कारण प्राय: विमानों की उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं जिसके फलस्वरूप समूचा पूर्वी भाग पूर्णतया पृथक् सा हो जाता है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह गोहाटी में एक हवाई अड्डा बनाएं जिसपर एयर लाइन्स के विमान उतर सकें और यदि कलकत्ता से उड़ानें रद्द भी हो जाएं तो यहाँ आन्तरिक विमान सेवाएं चालू रहें।

Shri Achal Singh (Agra) : Sir, I rise to support the demands for grants of the Ministry of Tourism and Civil Aviation.

The Taj at Agra is one of the greatest marvels of the world and it attracts the largest number of tourists. There are other very important historical monuments also which are a great attraction for the tourists. For the last so many years have been stressing that there is need for improvement in Agra. The vast ground behind the Taj is lying waste, it should be developed properly. This matter is pending for the last 3 or 4 years. Previously there was a scheme for its development but now the amount for the development of this area has been reduced to only Rs. 50 lakhs. Even then nothing has been done so far. Japan is prepared to help us in developing this land.

In 1966, a 13 feet marble statue of Pandit Moti Lal Nehru was installed in the Shahjhan Garden. For the last three years we have been trying to get the ground levelled and developed. But nothing is being done. We want that the place should be developed like Vrindavan Garden.

About hotels, we have got only one good hotel at Agra while the number of tourists is very large. Some parties are prepared to build hotels here. But the Cantonment Board is not allowing. I request the hon. Minister to look into this matter and try that some good hotels are built in the city of Agra.

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

एयर इण्डिया बहुत अच्छा कार्य कर रही है और विश्व में केवल यही एक ऐसी एयर लाइन है जो प्रारम्भ से अब तक लाभ कमा रही है। जम्बो जैट विमानों को लेकर एयर इंडिया की आलोचना की जा रही है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि एयर इण्डिया की सेवाएं समूचे विश्व में चलाई जाएं किन्तु उनका यह सुझाव व्यवहार्य सुझाव नहीं है। आजकल समुद्री मार्ग ही अधिक लाभदायक प्रतीत होता है किन्तु यदि हम इस मार्ग पर चलकर लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए जम्बो जैट विमान सेवा चलाना अत्यधिक आवश्यक हैं। आज के समाचार पत्रों में कहा गया है कि पिछले बजट में विदेश हवाई यात्रा टिकटों पर 20 प्रतिशत

का अधिक कर लगाए जाने के कारण, जम्बो जैट विमान खरीदने के प्रश्न पर पुनः विचार किए जाने का प्रस्ताव है ऐसा किया जाना वस्तुतः ठीक भी है क्यों कि कोई भी विदेशी भारतीय वायु सेवा को अधिक पैसे देने के बजाय अपने देश की हवाई सेवा द्वारा यात्रा करना अधिक पसन्द करेगा। अतः एयर इण्डिया को घाटा उठाना पड़ेगा। इसलिए नागर विमानन मन्त्री को वित्त मंत्री से, विदेश हवाई यात्रा पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त 20 प्रतिशत के कर के प्रस्ताव को, वापिस लेने के लिए अनुरोध करना चाहिए।

इण्डियन एयरलाइंस को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है किन्तु फिर भी यह प्रगति कर रहा है। आज अधिकाँश राज्यों की राजधानियों को हवाई सेवा द्वारा जोड़ दिया गया है तथा अन्य केन्द्रों को भी हवाई सेवाओं द्वारा मिलाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे मार्गों पर, जहां एयरलाइंस कार्पोरेशन स्वयं हवाई सेवा चालू नहीं कर सकेगी उसे यह कार्य ऐसे गैर-संचालकों को सौंप देना चाहिए जोकि इन मार्गों पर हवाई सेवाएं चालू करने के लिए तैयार हों।

जहां तक होटलों का सम्बन्ध है कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के होटल घाटे में जा रहे हैं। संभव है कुछ होटलों ने घाटा उठाया हो पर समग्रतः हमने इस क्षेत्र में प्रगति ही की है तथा काफी लाभ अर्जित किया है। हमें इसके लिए अधिक विदेशी कार्य कौशल और जानकारी प्राप्त करनी होगी। हमें पर्यटन के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करनी चाहिये क्योंकि पर्यटन पर अधिक धन लगाने से हमें अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ सदस्यों का कहना है कि कई देश केवल पर्यटकों के कारण समृद्ध हो रहे हैं और हम भी इस प्रकार समृद्ध हो सकते है किंतु इसके लिए हमें अधिक से अधिक अच्छे तथा सस्ते होटलों की जरूरत है। इस व्यवसाय में धन लगाना लाभप्रद सिद्ध होगा। मेरा विचार है कि हमें भी इस दिशा में पीछे नहीं रहना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि जितना समय मुझे दिया गया है उसके भीतर मैं उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का यथासम्भव प्रयास करूंगा यद्यपि प्रश्नों को देखते हुए यह समय काफी कम है।

गत दो या तीन दशकों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में अदभुत विकास हुये हैं परन्तु इन सबसे बढ़कर असाधारण विकास केवल विमानन के क्षेत्र में हुआ है। आजकल लोग बहुत बड़ी संख्या मे विमानों द्वारा यात्रा करते हैं और वर्ष 19 0 के दौरान 39 करोड़ लोगों ने विमानों द्वारा यात्रा की जोकि पूरे विश्व की जनसंख्या का दसवां भाग है। भारत विमान विकास कार्य में अत्यधिक रुचि रखता है। अपने ही विशाल देश के आंतरिक विकास, सचार आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय एकीकरण में उड्डयन का काफी महत्व है। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत में आधुनिक विमानन की नींव रखी जा चुकी है। चौथी योजना के अंतर्गत गत वर्षों की तुलना में कहीं अधिक परिव्यय किया जाएगा। चौथी योजना के दौरान विमानन पर 185 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य बनाया गया है जबकि इतनी राशि 1951 से लेकर अब तक पूरे 18 वर्षों में खर्च की गई है।

[डा० कर्ण सिंह]

31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भी एयर इण्डिया ने अपने अद्वितीय तथा लगातार लाभ अर्जित करने की उस परम्परा को बनाए रखा जो कि इसने स्थापित किये जाने के बाद शीघ्र प्रारम्भ की थी अर्थात उसे पिछले 18 वर्षों में लगातार लाभ होता रहा। एयर इण्डिया की यह सफलता अत्यधिक प्रतिस्पर्धी तथा अद्यतन-विमानों, कुशल सेवा और विमानों के सवर्धन पर आधारित है।

इसी कारण एयर इण्डिया ने यह निर्णय किया है कि इसे जम्बो जैट विमान प्राप्त करने चाहियें और सरकार ने भी इसका समर्थन किया है क्योंकि यदि एयर इण्डिया जैसी छोटी सी हवाई सेवा को बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में अपनी स्थिति को बनाए रखना है तो उसे ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आने वाले कुछ वर्षों में यात्री जम्बो जेटों विमानों को अन्य विमानों की अपेक्षा अधिक पसन्द करेंगे। यद्यपि इस कार्य पर 100 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी धन राशि व्यय करनी होगी तथापि हमने जम्बो जेट विमानों को प्राप्त करने का निश्चय किया हुआ है।

आज के समाचार पत्रों में दी गई यह सूचना कि जम्बो जेट विमानों को खरीदने के सम्बन्ध में एयर इण्डिया पुन: विचार कर रहा है। सर्वथा निराधार है। हमारे विचार में समुद्र पार सेवाओं को बनाए रखने के लिये चार जम्बो जेटों का बेड़ा अत्यावश्यक है इसलिए हम अन्य दो जम्बो जेट विमान और खरीदेंगे।

विदेश यात्रा पर 20 प्रतिशत कर लगाए जाने के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा बहुत कुछ कहा गया है। यह सही है कि एयर इण्डिया द्वारा लगाये अनुमान के अनुसार इस कर से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा किंतु इस मामले पर केवल वित्त मंत्री महोदय ही कुछ निर्णय ले सकते हैं आशा है सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कुछ न कुछ उचित कार्यवाही अवश्य करेगी।

एयर इण्डिया भाड़े पर विमान देने वाली कम्पनी का स्वरूप ग्रहण करने वाली हैं क्योंकि हाल में विकसित हुई विमान सेवाओं की पद्धति से यह बात स्पष्ट हो गई है कि भाड़े पर की जाने वाली विमान सेवाएं सातवें दशक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस प्रणाली के द्वारा ऐसे पर्यटक भी कम भाड़े पर भारत आ सकेंगे जो कि आई० ए० टी० ए० द्वारा लिए जाने वाले अधिक किराये देने में असमर्थ हैं। अत: एयर इण्डिया एक नई आनुषंगिक चार्टर कम्पनी खोलेगी और यह कम्पनी 707 हवाई जहाजों से उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने में सहायता देगी।

माननीय सदस्य श्री ब्रजराज सिंह ने कुछ स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के निर्यात की बात कही है यदि यह सूचना एयर इण्डिया को दी जाए तो निश्चय ही वह इस पर विचार करेंगे।

जहां तक दो हवाई निगमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है मैं इस सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ परन्तु इसमें किसी का भी दोष नहीं है। इस दिशा में प्रयत्न किए जाते रहे हैं और किए जा रहे हैं परन्तु अनेक बार इन जातियों के योग्य व्यक्ति नहीं मिल सके है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं इस मामले में रुचि रखता हूँ और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करूंगा कि इस कमी को पूरा किया जा सके।

जहां तक इंडियन एयर लाईन्स का सम्बन्ध है 1970-71 उसके लिये अत्यधिक कठिनाई-पूर्ण वर्ष रहा है। हमारे तीन विमान नष्ट हो गए हैं। छोटे बेड़े वाली किसी भी एयरलाइन द्वारा तीन विमान खोना कोई छोटी बात नहीं है इससे उसकी सेवाओं के संचालन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों तथा प्रबंधकों के सम्बन्ध भी संतोषजनक नहीं रहे जिसके परिणाम अत्यधिक गम्भीर निकले। परन्तु अब निश्चय ही स्थिति में सुधार हो गया है। श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार हुआ है। प्रमुख संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं और दोनों ओर से यह आशा की जाती है कि इंडिण्यन एयरलाइन्स की पिछले वर्ष की घटनाएं फिर से नहीं दुहराई जाएंगी।

इंण्डियन एयरलाइन्स के प्रशासन के सम्बन्ध में मैंने एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्ति की है जोकि मुझे इण्डियन एयरलाइन्स के विभिन्न विभागों के सम्बंध में परामर्श देगी। इसके कर्मचारी अब काफी प्रसन्न हैं तथा पूर्ण सहयोग से कार्य कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वह जनता को और अधिक अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे।

इस वर्ष के अन्त तक कई नए नगरों को हवाई सेवा द्वारा आपस में जोड़ दिया जाएगा। हमने यही प्रयत्न किया है कि अधिकाधिक राज्यों की राजधानियां तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को जेट विमानों द्वारा मिला दिया जाये। इस संदर्भ में मैं त्रिवेन्द्रम का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वहां के लोग काफी समय से जेट हवाई सेवा प्रारम्भ करने का अनुरोध कर रहे थे। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है तथा 15 अक्तूबर से उस स्थान को जेट हवाई सेवा चालू हो जाएगी।

गोहाटी में इण्डियन एयरलाइन्स का अड्डा बनाए जाने के बारे में सुझाव दिया गया है। यह सुझाव वस्तुतः प्रशंसनीय है इससे पूर्वीय क्षेत्र में विमान परिचालन अधिक अच्छे और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा इसको मैं भी मानता हूँ किन्तु इस सुझाव पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए।

इसके अतिरिक्त हमने दीमापुर नागालैंड में भी एक नई हवाई सेवा चालू की है तथा हमारा विचार जोधपुर, मुजफ्फरपुर, रायपुर और नासिक में ऐसी सेवाएं प्रारम्भ करने का है।

सरकार पूर्वी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से पूर्णतः अवगत है। चूंकि भारतीय हवाई जहाज बंगला देश से होकर नहीं जा सकते इसलिए पूर्वी क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में कई बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि मैं इस समस्या पर विशेष ध्यान दूंगा।

कुछ सदस्यों ने विद्यार्थियों को विमान किराये में रियायत देने की बात कही है। सभा को पता ही है कि 19 से 26 वर्ष की आयु के बीच के विद्यार्थियों को किराये में 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है। जहां तक हेलिकाप्टर सेवा आरम्भ करने का सम्बन्ध है, इसमें कोई सदेह नहीं कि अनेक क्षेत्रों में जहां विमानों का उतरना संभव नहीं हैं हेलिकाप्टर द्वारा अच्छी सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है परन्तु दुर्भाग्य की बात है जब कभी हमने विमानन के उद्देश्यों के लिए हेलिकाप्टरों की खरीद पर विचार किया है तो उस परियोजना का आर्थिक पहलू इतना

[डा० कर्ण सिंह]

अलाभप्रद तथा प्रतिकूल पाया गया है कि हमें इस पर विचार करना छोड़ना पड़ा है संभवतया विश्व में कोई ही ऐसा देश हो जहां वाणिज्यिक आधार पर हेलिकाप्टर सेवा चलाई जाती हो—फिर भी हम इस मामले पर भी विचार करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा सकती है।

योजना का प्रश्न भी उठाया गया है। इस समय एयरइण्डिया के दिल्ली तथा बम्बई उड़ान में विशेष तौर पर भोजन ले जाया जाता है। हम यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां कहीं अच्छे होटल हों वहां उन होटलों से भोजन लिया जाए ताकि हम अपने यात्रियों को अच्छा भोजन उपलब्ध करा सकें। परन्तु मैं शाकाहारियों से क्षमा मांगता हूं क्योंकि हम अच्छे स्तर के शाकाहारी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। यद्यपि मैंने अधिकाधिक मात्रा में शाकाहारी भोजन परोसने के अनुदेश दिए हैं फिर भी भोजन अच्छे स्तर का नहीं है।

देश में विमानन का समुचित विकास करने के लिए दो एयर कारपोरेशनों के अतिरिक्त नागर विमानन विभाग को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। चौथी योजना में हवाई अड्डों के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है जबकि वर्ष 1951 से 1969 तक 18 वर्षों में 55 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के सुधार के महत्व के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। हम इस बारे में कृतसंकल्प हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे न केवल इतने बढ़िया हों जितने कि अन्य देशों में है, बल्कि वह उनसे भी बेहतर हों। इसके लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सहायता निश्चित रूप से ली जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो विदेशों से भी योग्य व्यक्तियों की राय ली जायेगी। देश के आन्तरिक हवाई अड्डों में भी काफी सुधार की जरूरत है। अतः आरम्भ में राज्यों की राजधानियों के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए हैं। और अगली वरीयता आगरा तथा उदयपुर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों को दी जाएगी। कई ठेके दिए जा चुके हैं तथा वर्षा के बाद निर्माण कार्य आरम्भ होने की संभावना है। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे संसाधन काफी सीमित हैं फिर भी हम इन सीमित ससाधनों से पूरा 2 लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे मैं ऐसा आश्वासन देने को तैयार हूँ।

हवाई अड्डों के सम्बन्ध में एक अन्य बात यह है कि हमने मार्ग निर्देशन उपकरणों पर तथा संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए 15 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च करने की व्यवस्था की है। सभा को यह जानकर खुशी होगी कि कुछ सुविधाओं के बारे में भारत संभवतः संसार के 8 अथवा 10 राष्ट्रों में एक होगा। उदाहरणार्थ बम्बई, दिल्ली तथा कलकत्ता में हम आई० एल० एस० की श्रेणी में दाखिल हो जायेंगे। संसार में संभवतः छः से अधिक ऐसे देश नहीं हैं जिन्होंने इस दिशा में इतनी प्रगति की हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत उन देशों में से एक है जहां पर्यटन की अत्यधिक सभाव्यता मौजूद है। मैंने प्रायः विश्व के सभी देशों का दौरा किया है किन्तु कोई भी देश भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला नही कर सकता है। यहां का गिरिराज हिमालय, समुद्र, नदियां, वन्य जीवन तथा कलात्मक वस्तुएं अजन्ता, एलौरा, दक्षिण के मन्दिर और अविरल परम्पराएं दुर्लभ दर्शनीय वस्तुएं हैं। यहां उत्सव भी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के केन्द्र हैं एक आधुनिक पर्यटक जो भी चीज देखने का इच्छुक है वह समग्र रूप

में उसे इस देश में उपलब्ध हो जाएगी किन्तु हमारा पर्यटन विकास इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने पर्यटन के आधारभूत ढांचे में कहां तक सुधार करते हैं।

माननीय सदस्यों ने पर्यटन विकास के बारे में बहुत कुछ पूछा है। सरकार इस बात के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है कि भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें उपलब्ध संसाधनों की सहायता से ही काम करना होगा। मेरा विश्वास है कि संसाधनों में वृद्धि अवश्य होगी।

हमारा अनुमान है कि 1973 तक 4 लाख और दस दशक के अन्त तक 10 लाख पर्यटक विमानों से यात्रा करेंगे। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि पर्यटन से हमारी आय बढ़े। विदेशी पर्यटक हमारे देश के लिए सदभावना पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करते हैं और देश के आन्तरिक पर्यटन से हमें आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

हाल ही में जब मैं पूर्वी यूरोप में था तो मैंने सभी सातों पूर्वी यूरोपीय देशों में होटलों का निर्माण होते देखा। वे सभी होटलों के बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनका विचार है कि जब तक वह अच्छे होटलों का निर्माण नहीं करेंगे तब तक पर्यटक नहीं आएँगे। बल्गारिया जैसा छोटा देश जिसकी जन संख्या हमारे हरयाणा राज्य के बराबर है प्रतिवर्ष पर्यटकों के कारण दो से तीन करोड़ रुपये कमा रहा है अतः हमें भी इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके होटल विकास का सामूहिक कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग भारत आ सकें। पर्यटन से राष्ट्रीय एकीकरण में बड़ी सहायता मिलती है। देश का एकीकरण धन से कहीं अधिक मूल्यवान है अतः इस दृष्टिकोण से भी पर्यटन का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए।

सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि उन स्थानों का जो विशेषकर सांस्कृतिक जीवन में समृद्ध है, विकास किया जाना चाहिए। किन्तु यह समूचा भार केन्द्र सरकार पर ही नहीं डाला जा सकता। राज्य सरकारों को भी इस बारे में कुछ भार वहन करना पड़ेगा और उन्हें भी इस कार्य में सहयोग देना होगा।

उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिये केवल 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की है जबकि जम्मू और काश्मीर ने, जो कि एक छोटा सा राज्य है, $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। माननीय संसद सदस्यों को अपने-अपने राज्यों में पर्यटन के लिये अधिकाधिक राशि निर्धारित करने के लिये राज्य सरकारों एवं जनता में भावना जागृत करनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम अपने सीमित साधनों से भी पर्यटन का हर दिशा में जितना विकास कर सकेंगे निश्चित रूप से करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने बौद्ध पर्यटन, वन्य जीवन तथा अन्य बातों का उल्लेख किया है। मैं इस बारे में अत्यधिक चिंतत हूँ कि हमारा वन्य जीवन शनैः-शनैः लुप्त होता जा रहा है। हमने बाघ के शिकार पर रोक लगा दी है। हमने खालों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है परन्तु देश में खालों की बिक्री गैर-कानूनी नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसे राज्य सरकार को करना चाहिये।

[डा० कर्ण सिंह]

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि प्रत्येक राज्य में 'नैशनल पार्क' होने चाहियें, हमनें इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी, हमने केवल पांच पार्क और एक 'पक्षी रक्षित स्थान' को लिया है क्योंकि इस कार्य के लिये 50 लाख रुपये ही मिले थे।

जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है सरकारी क्षेत्र में लाभ के होटल चलाना सम्भव नहीं है। यह गलत है। सरकारी क्षेत्र के होटल पहले की अपेक्षा काफी अच्छे चल रहे हैं। उदाहरण के लिये मार्च, 1971 में समाप्त होने वाले वर्ष में अशोका होटल लगभग 30 लाख रुपये और जनपथ होटल 12 लाख रुपये का लाभ कमायेंगे।

अन्त में मैं बताना चाहता हूँ कि हम गुलमर्ग और कोवलम में भी सरकारी क्षेत्र के होटल चालू कर रहे हैं।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect ef Ministry of Tourism and Civil Aviation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
81	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय	17,30,000
82	ऋतु विज्ञान	8,45,09,000
83	विमानन	11,92,12,000
84	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,94,71,000
138	विमानन पर पूंजी परिव्यय	8,91,51,000
139	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	10,02,53,000

*शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये पी० एल०-480 निधियां

**RE: PL-480 FUNDS FOR EDUCATION FACILITIES

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : कुछ दिन पूर्व मन्त्री महोदय ने एक तारांकित

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-nn-hour discussion.

प्रश्न के उत्तर में बताया था कि भारत में पी०एल०-480 निधियों में से 24.56 करोड़ रुपया शिक्षा कार्यों के लिये व्यय किया जा रहा है। शिक्षा कार्यों के लिये उपलब्ध पी०एल०-480 निधियों से सम्बन्धित कतिपय बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमें चर्चा करनी है।

इस योजना के आरम्भ से अनुदान के रूप में सरकार ने लगभग 119 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और ऋण के रूप में 137.4 करोड़ रुपया खर्च किया है तथा उसने विभिन्न शिक्षा कार्यों के लिये अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत लगभग 75 करोड़ रुपया खर्च किया है। यह बहुत बड़ी राशि है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हमें सिद्धान्ततः बहुत ही निश्चित अप्रत्यक्ष उद्देश्यों वाले देश द्वारा पेश किये गये धन को स्वीकार कर लेना चाहिये? उदाहरण के लिये, वह इस धन को शिक्षा कार्यों में खर्च कर रहा है। उनका प्रमुख खर्च पुस्तकों को प्रकाशित करने में होता है। जैसा कि सभी जानते हैं जब पाठ्य पुस्तकें छापी जाती हैं तो वे लाखों की संख्या में छापी जाती हैं और इन्हें हमारे छात्रों और बुद्धिजीवियों को बेचा जाता है।

इन पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में निर्णय कौन करता है? इसके लिये 14 सदस्यों की समिति है जिसका अध्यक्ष शिक्षा विभाग का सचिव होता है। इस समिति के सदस्यों में से 7 अमरीकी विशेषज्ञ होते हैं। सरकार का एक मात्र बहाना यह है कि पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में प्रायः पहले ही सरकार से परामर्श किया जाता है परन्तु ऐसा अध्यक्ष जो शिक्षा विभाग का सचिव है, इन प्रकाशनों के सम्बन्ध में केवल रबड़ की मुहर के समान कार्य करता है। अतः उसे अमरीकी सूचना सेवा द्वारा नियुक्त सचिव के द्वारा रखे गये प्रकाशनों से ही सहमत होना पड़ेगा।

जब हम पुस्तकों के सस्ते संस्करणों की बात करते हैं, तब यही कहा जाता है कि ये सस्ती पाट्य-पुस्तकें हैं परन्तु वे इतनी सस्ती नहीं जितनी वे लगती हैं। पुस्तकों पर लिखे मूल्य पर तो ये पुस्तकें सस्ती हैं परन्तु उत्पादन लागत में 80 प्रतिशत धन की पी०एल०-480 निधियों द्वारा सहायता दी जा रही है और यह बात सर्व विदित है कि इन प्रकाशनों की बिक्री के साथ कौन सम्बद्ध है। भारत का कोई भी प्रकाशक इन पर 25 प्रतिशत छूट प्रसन्नता पूर्वक दे देगा। पी०एल०-480 निधियों में से पुस्तकों के प्रकाशन पर धन लगाने से अमरीकी लेखकों और प्रकाशकों को रायल्टी के रूप में पैसा चला जाता है और देश को प्रति वर्ष 250 से 300 लाख रुपये की हानि हो रही है। इसलिये हमें विदेशी मुद्रा का भारी नुक्सान हो रहा है।

इन पुस्तकों का चयन किस प्रकार होता है? कतिपय प्रोफेसरों के परामर्श से, जिन्हें पी० एल० 480 विधियों के अन्तर्गत सेवायें प्रदान की गई हैं, इन पुस्तकों का चयन होता है। पी० एल० 480 की निधियों को शिविरों तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करने में खर्च किया जा रहा है और इस प्रकार गत 7, 8 वर्षों में हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों के लगभग 35,000 अध्यापकों को अमरीकी लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। ये व्यक्ति, जिन्हें पर्यटन पर ले जाया जाता है और उन्हें सभी प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग कहेंगे कि ये पुस्तकें अच्छी हैं और ये विश्वविद्यालयों में निर्धारित करने के लिए उपयुक्त हैं। ये लोग. इस प्रकार जासूसी गतिविधियों के लिए देश में शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर रहे हैं। सदस्य भली भांति जानते हैं और इस सदन में यह स्पष्ट हो चुका है कि पीपल्स कालेज, हल्द्वानी ऐसी संस्था है जिसे सी० आई० ए० से संरक्षण मिलता रहा था।

[डा० कर्ण सिंह]

बहुत सी शिक्षण संस्थाओं जिनमें सहयोग के लिए समझौता हुआ है, सुप्रसिद्ध अमरीकी विश्वविद्यालय हार्वर्ड और विसकांसन के सहयोग से शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं में प्रगति कर रहे हैं। यह सर्व विदित तथ्य है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी सी० आई० ए० के गुप्तचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बात का पता 1968 में हो लग चुका था जब इस सभा में सी० आई० ए० षड्यंत्र' पर चर्चा की गई थी इस संस्थानों का पी० एल० 480 के धन के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ दिन प्रतिदिन संपर्क बढ़ रहा है एवं हम अपने बुद्धिजीवियों और छात्रों को इन विश्वविद्यालयों में भेज रहे हैं। हमें इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है कि इस धन को स्वीकार करना चाहिये अथवा नहीं ? अमरीका द्वारा दी गई पी० एल० 480 की राशि नवयुवकों को जासूसी गतिविधियां करने हेतु अपने चंगुल में फंसाने के लिए और समूचे विश्व के युवकों को अमरीकी जीवन और सभ्यता में ढालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अन्य देश तो हमारी जनता को भ्रष्ट करते हैं परन्तु अमरीका समूचे राष्ट्र को भ्रष्ट कर रहा है। यह उसकी विशेषता है। शिक्षा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जब अमरीकी फाउंडेशन की बात चली थी तब इस पर इस सभा ने नहीं अपितु दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्रोफेसरों ने भी आपत्ति उठाई थी। हलद्वानी तथा आई० आई० टी०, कानपुर में सभी लड़के-लड़कियां भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं तथा उनके मस्तिष्क में भी अमरीकी सभ्यता भरी जा रही है। मैंने मंत्री महोदय को इसकी जांच करने के लिये पत्र लिखा था। क्या कानपुर में कार्य कर रहे अमरीकी तंत्र और धन को रोकने के लिये लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की जायेगी ?

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : पी० एल० 480 निधियों से समूचे देश को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार की 'फाउंडेशन' योजना तो बंद कर दी गई है परन्तु अब अमरीका शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपना प्रभाव जमा रहा है। क्या सरकार पी० एल 480 की निधियों का शिक्षण कार्यों के लिये प्रयोग करने पर पूर्ण रोक लगायेगी।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The other day the hon. Minister replied that the PL 480 funds were used in education programmes according to an agreement arrived at with U. S. A. May I know the main features of the agreement so that it can be known whether PL 480 funds are in consistence with the honour of this country ?

It has been stated that PL 480 funds are used for three purposes : (1) for I. I. T., Kanpur (2) for publication of books and (3) through U. G. C,. Is it really being spent in favour of country's honour or for the American propaganda ?

Will the hon. Minister name the private agency through which this fund is being spent ?

Will the Government appoint a commission to investigate as to whether PL 480 funds are being spent for the good of the country or these funds are meant for ulterior motives ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि पी० एल० 480 की निधि शिक्षा प्रणाली और हमारे युवकों

को भ्रष्ट कर रही हैं। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या पी० एल० 480 की निधि का प्रभाव इतना गम्भीर है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है?

शिक्षा मंत्री के रूप में मैं यह स्पष्ट कह सकता हूं कि मैं न केवल पी० एल० 480 की निधियों का ही अपितु विदेशों से आने वाले किसी भी ऐसे धन का विरोध करता हूं जिसे हमारे नवयुवकों और हमारी शिक्षा प्रणाली को भ्रष्ट करने में काम में लाया जाता हो अथवा जिसका हमारी नीतियों अथवा विचारधारा पर किसी प्रकार से भी प्रभाव पड़ता हो।

गत तीन वर्षों से पी० एल० 480 की निधियों को खर्च किया जा रहा है उनमें से कुल 24.56 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, पी० एल० 480 निधि से शिक्षा के लिए जो इतनी अधिक राशि दी गई है वह बजट प्रयोजनों के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूर की गई है। यह सामान्य बात है कि भारत में उपलब्ध पी० एल० 480 निधि में भारत सरकार को 87 प्रतिशत ऋण के रूप में और अनुदानों के रूप में मिलती है, 5 प्रतिशत भारत अमरीकी संयुक्त संस्थानों को देने के लिए आरक्षित है और शेष 8 प्रतिशत पी० एल० 480 समझौता में निर्धारित अमरीका मिशनों और अन्य प्रयोगों में खर्च के लिये रिजर्व है।

इस 24.56 करोड़ रुपये में से 21.33 करोड़ रुपए सैद्धान्तिक रूप से लिये गये हैं और इस प्रकार यह व्यवस्था बनी हुई है। शेष पांच प्रतिशत के साथ हमें कुछ नहीं करना होता है। यह राशि भारत-अमरीकी संयुक्त स्थानों पर खर्च होती है। उन संस्थानों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। तीसरा पहलू आठ प्रतिशत राशि का है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने सम्भवत: कुछ आपत्तियां उठाई हैं।

पहली बात तो यह है कि यह बहुत छोटी सी बात है। उदाहरण के लिए, गत तीन वर्षों में इस 8 प्रतिशत से जो कुल राशि खर्च की गई है वह केवल 3.26 करोड़ रुपये हुई है। यह राशि प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से कम होती है जब कि समूचे देश में शिक्षा पर हम 950 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। इस राशि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आशंका करना व्यर्थ है।

यह राशि अमरीकी पुस्तकों का सस्ता संस्करण निकालने के लिए खर्च की जाती है। ऐसी बात केवल अमरीका के साथ ही नहीं है। हम सोवियय रूस और ब्रिटेन में उपलब्ध पुस्तकों का सस्ता संस्करण मुद्रित करते हैं। इन तीन बड़े देशों के साथ हमने तीन प्रकार के प्रबन्ध कर रखे हैं और दूसरे देशों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है।

वे पुस्तकें कौन सी हैं, जिन्हें हम प्रकाशित करते हैं? वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर ख्याति प्राप्त पुस्तकें हैं। पामर और पर्किन्स द्वारा लिखित 'इंटर-नेशनल रिलेशन्स' नामक पुस्तक हमने प्रकाशित की है। ये ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे लोग कुछ सीख सकेंगे और अन्य देशों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। क्या हमें रूस, ब्रिटेन अथवा अमरीका की पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिये, जो भारत में प्रकाशित हुई हैं? हमने विचारों के आदान-प्रदान पर कभी रोक नहीं लगाई है और इससे सांस्कृतिक अतिक्रमण के किसी भी प्रकार से भयभीत होने की बात ही नहीं उठती। कुछ आवश्यक पुस्तकें पढ़कर कोई भी सच्चा भारतीय

[श्री सिद्धार्थ शंकर राय]

अपनी देश भक्ति की भावना को नहीं खोयेगा और इस तथ्य से दूर नहीं जायेगा कि वह एक भारतीय है और उसे अपनी राष्ट्रीय बपौती, अपनी संस्कृति और अपनी पराम्पराओं पर गर्व है।

दो और दूसरी चीजें हैं जिन्हें इस 8 प्रतिशत धन से किया गया है। इसमें से एक अनुसंधान है। पी० एल० 480 निधि का प्रयोग भौतिक, जीव-विज्ञान, कृषि विज्ञान और चिकित्सा सेवाओं आदि में विशिष्ट अनुसंधान के कार्य क्रमों तक सीमित हैं। इसका सामाजिक विज्ञान जैसे संवेदन शील क्षेत्रों में प्रयोग नहीं किया जाता। भारत सरकार द्वारा संस्थापित समिति द्वारा प्रत्येक अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति दी जाती है और हम विश्वास रखते हैं कि यह अनुसंधान राष्ट्रीय हित में होगा।

तीसरी बात छात्रों, और विद्वानों के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में है। यह भी भारत सरकार की पूर्व अनुमति स्वीकृति और सहमति से किया जाता है।

शिक्षा में किये गये कुल निवेश की तुलना में पी० एल० 480 निधि की कुल राशि शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए बहुत कम है। यह निधि शिक्षा के लिये केवल सिद्धांत रूप में रखी जाती है। सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि लखनऊ में स्थित साक्षरता निकेतन और पटना नोट्रेडम सिस्टर्स संस्था, ऐसे दो संस्थान है जिन्हें यह राशि दी जाती है।

इस समय सरकार की नीति स्पष्ट है। भारत सरकार की पूर्वानुमति के अतिरिक्त कोई धन या अनुदान नहीं दिया जाता है। यह देखना है कि ऐसा अनुदान किसी भेदभाव पूर्ण तरीके से तो नहीं किया गया है। सरकार इसी नीति का अनुसरण करेगी। हमारी नीति यह है कि भारत को किसी प्रकार के आपत्तिजनक प्रभाव से दूर रखा जाये।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 13 **जुलाई**, 1971/22 **आषाढ़**, 1893 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eieven of the Clock on Tuesday, the 13th July, 1971/Asadha 22, 1893 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Daryaganj, Delhi-6.